

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

23 मार्च, 1983

खण्ड 1, अंक 13

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 23 मार्च, 1983

	पृष्ठ संख्या
भाहीद ए आजम सरदार भगत सिंह तथा उनके सहयोगियो को श्रद्धांजलि	(13)1

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(13)4
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(13)22
ब्रीच आफ प्रिवलिज का प्र न— चौधरी हरद्वारी लाल वाईस चांसलर, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक संबंधी	(13)32
विभिन्न विशयों का उठाया जाना— गांव बोहड़ा कला मे व्याप्त डर तथा भय संबंधी	(13)33
प्वायंट आफ आर्डर— विधान भवन मे मैबर्ज को पम्फलैट/पब्लिके इन डिस्ट्रीब्यूट करने संबंधी	(13)34
अध्यक्ष द्वारा घोशणा— इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग म िन संबंधी	(13)35
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(13)36
बिलज— (i) दि हरियाणा एप्रोप्रिए िन (नं0 2) बिल, 1983	(13)39

(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 1) बिल, 1983	(13)39
(iii) दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एंड डिवैल्पमेंट) बिल, 1983	(13)70
बैठक का समय बढ़ाना	(13)75
दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एंड डिवैल्पमेंट) अमेंडमेंट बिल, 1983 (पुनरारम्भ)	(13)76
वैयक्तिक स्पष्टीकरण— श्री हरि चंद हृड्डा द्वारा	(13)76
दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एंड डिवैल्पमेंट) अमेंडमेंट बिल, 1983 (पुनरारम्भ)	(13)77
(iv) दि हरियाणा आयुर्वेदिक एड युनानी प्रैक्टि ानर्ज (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 1983	(13)79
बैठक का समय बढ़ाना	(13)83
दि हरियाणा आयुर्वेदिक एड युनानी प्रैक्टि ानर्ज (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 1983	(13)83

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 23 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन,
सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा
सिंह)

ने अध्यक्षता की।

भाहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह तथा उनके सहयोगियों को
श्रद्धांजति।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर सहाब, आज
23 मार्च का दिन है। यह दिन हमारे इतिहास में भाहीदी दिवस है।
आज के दिन सरदार भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया था।
सरदार भगत सिंह जी ने देश की आजादी के लिये ही अपना
बलिदान दिया था। हम सभी को उन्हीं के दिखलाए हुए रास्ते पर
चलना चाहिए ताकि हम भी अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का
पालन कर सकें। स्पीकर सहाब, जो प्रस्ताव मैं हाउस के सामने
लाया हूँ, उसके प्रति हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे
भाहीदों को सच्ची श्रद्धांजति भेंट करें।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, मैं इसलिये खड़ा हुआ हूँ कि आज 23 मार्च का दिन है। आज इन भाहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिये लाखों लोग उनकी समाधि पर इकट्ठे हो रहे हैं। आज के दिन पंजाब सरकार ने अपना विधान सभा का सत्र भी बंद कर दिया है। ऐसा ही एक प्रस्ताव ये 1980-81 में लाये थे लेकिन आज के ऐजेंडें पर ये इस प्रस्ताव को ला नहीं सके। अब मेरे जैसे किसी सदस्य ने इनको सुझाव दे दिया होगा।

चौधरी भजन लाल: आपने कोई सलाह नहीं दी। हमें भी तो कुछ पता है।

श्री मंगल सैन: लीडर आफ दि हाउस से यह बड़ी भी गलती हो गई है। मैं आपके जरिए इनसे कहना चाहूंगा कि आज का दिन छूट्टी का दिन होना चाहिए। यह मौके कभी कभी ही आते हैं जब इन महापुरुषों को याद किया जाता है। ऐसे भाहीदों के बलिदान के कारण ही हमारा देश स्वाधीन हुआ है। आज हमें आजाद हुए 35 वर्ष हो चुके हैं। यह आजादी हमें इन्हीं की बदौलत मिली है। इसलिये हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करें। जो प्रस्ताव ये हाउस में अब लाये हैं मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्रीमती चंद्रावती (बाढड़ा): स्पीकर साहब, आज 23 मार्च का दिन है। यह दिन भाहीद आजम भगत सिंह जी को याद करने

का हैं। मैं अपनी तरफ से और इस देश के नौजवानों के लिये एक उदाहरण है। नौजवानों को उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उनके पद चिन्हों पर आज की मौजूदा सरकार नहीं चल रही है। ऐसे ऐसे मौकों पर हम इन वीरों को याद तो कर लेते हैं लेकिन सच्चे दिन से याद नहीं कर पाते। आज किसी को कोई भी बहाना मिला जाता है तो वह दफतर से गैर हाजिर होना चाहता है। आज का दिन जैसे छुट्टी का दिन होना चाहिए था। मैं यह समझती हूँ कि हम चंद भावों में उनकी कुर्बानी और उनके दिखलाए हुए रास्ते के लिये सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। मैं इस प्रस्ताव का पुनः पुरजोर समर्थन करती हूँ और अपने तथा अपने दल की ओर से उनके प्रति नतमस्तक होते हुए श्रद्धांजलि भेंट करती हूँ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौद): स्पीकर साहब, लीडर आफ दि हाउस से यह गलती रही कि आज के एजेंडे पर ऐसा महत्वपूर्ण विषय नहीं आ सका अब इन्होंने इस प्रस्ताव को लाकर सुधार कर लिया है। मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। स्पीकर साहब, 23 मार्च यययययययययका दिन हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा दिन माना जायेगा। आज के दिन ही सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी भाहीद हुए थे। पंजाब सरकार ने आज के दिन छुट्टी करके वाकई एक बहुत बड़ा काम किया है। मैं तो अब भी आपके द्वारा सी0एम0 से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके आज के लिये सदन स्थगित कर दिया

जाये। आज के दिन हम इन भाहीदों को श्रद्धांजलि तो दे रहे हैं परंतु आज दे आ को आजाद हुए 33 साल हागे गये हैं ओर हम उस रास्ते पर नहीं चल पाये जो इन बीरों ने दिखलाया था। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस दे आ को आजाद करवाया था। जो स्वप्न उन्होंने इस दे आ की आजादी के लिये संजोये थे, हम उस प्रकार का दे आ नहीं बना पाए। उसमे हम सभी जिम्मेवार हैं ओर विशेष तौर पर उन लोगो की जिम्मेवारी है जो लम्बे समय तक इस दे आ की हकूमत करते चले आ रहे हैं। हम इस दे आ के चरित्र का निर्माण अभी तक नहीं कर पाए हैं। हममे आज के दिन भी बहुत कमियां हैं। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तथी होगी जब हम आज के दिन यह संकल्प करें कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते और आदर्शों पर आगे चलेंगे। स्पीकर साहब, अंत में जो प्रस्ताव सी0एम0 साहब ने रखा है। मैं उसका अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से इन भाहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समर्थन करता हूँ।

श्री नेकी राम (रतिया, अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, डा0 साहब ने कहा है कि लीडर आफ दि हाउस को इस प्रस्ताव को आज के एजेंडे पर लाना चाहिए था। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विचार इनके हैं, वे विचार दूसरे सभी मंत्रियों के भी हैं इसलिये आप इस प्रस्ताव को आज की कार्यवाही पर ले आये और हाउस में अनाउंस कर दें।

श्री हीरा नंद आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी दे 1 में जब उसके वीरों को श्रद्धांजलि जाती है तो यदि उनके दिखलाए हुए रास्ते पर वह दे 1 चलेगा तो वह दे 1 कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ लेकिन मैं एक बात आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि हमारे हरियाणा के भी अनेक वीरों ने इस दे 1 की अजादी के लिये प्राण गंवाए है। राज नाहर सिंह, बल्लभभगद और नवाब झज्जर ने भी इस दे 1 के लिये अपनी जान की बाजी लगाई है।

श्री अध्यक्ष: आप सिर्फ इसी प्रस्ताव के समर्थन में ही कहिए।

श्री हीरा नंद आर्य: स्पीकर साहब, मैं उन लोगों की चर्चा कर रहा हूँ जिन्होंने दे 1 की आजादी के लिये अपनी जान की बातजी लगाई है। जिन लोगों का जिक्र मैंने किया है, इन लोगो को 1857 में दिल्ली के अंदर फांसी पर लटकाया गया था। इस संबंध में मेरा सरकार से यह सुझाव है कि ऐसे वीरों की यादगार के लिये जगह जगह पर यादगारों बनायी जानी चाहिए। जेसा मैंने पहले भी कहा है कि जब तक कोई दे 1 सच्चे दिल से अपने दे 1 के भाहीदों को याद नहीं करता तब तक वह दे 1 आगे भी नहीं बढ़ पाता। स्पीकर साहब, मैं फिर सरकार से यह प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे वीरों की जगह जगह पर यादगारें बनायी

जानी चाहिए। अंत में मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए और श्रद्धांजलि भेंट करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

डा० ओम प्रकाश भार्मा (जगाधरी): स्पीकर सहाब, जो प्रस्ताव सदन के लीडर आफ दि हाउस ने अब रखा है, वह किसी कारण आज के एजेंडे में इन्क्लूड नहीं हो सका था। जहाँ तक इन भाहीदों को याद करने की बात है, उसके संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि—

भाहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले,

वतन पर मरने वालों का यही बाकी निगाहों में होगा।

स्पीकर साहब, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश के लिये कुर्बानियाँ दीं। यह कुर्बानियाँ उन लोगों को जगाने के लिये दीं जिनकी आत्माओं में अंग्रेज सरकार के जामने में, सरकार की दहशत और जालिमाना कार्यवाहियों से डर पैदा हो गया था। उनके डर को दूर करने के लिये सरदार भगत सिंह और इसके साथियों ने कुर्बानी देने का रास्ता अख्तियार किया था। उन्होंने एक तहरीक चलाई थी जिसे इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी कहते थे। यह तहरीक अंग्रेज सरकार को ताक के जोर से उलटाने का प्रोग्राम लेकर आई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी कौम, मेरे देशवासी डरपोक बन चुके हैं तो उन्होंने कुर्बानी देने का रास्ता अपनाया। उन्हें डर था कि अगर लोगों के दिलों में अंग्रेज हकूमत का डर इसी तरह बना

रहेगा तो वह तहरीक, जिसको लेकर वे मैदान में आये थे, वह फेल न हो जाये। इसलिये उन्होंने सोचा कि कुर्बानी देकर ही इस डरपोक भारतवासियों के दिल से दूर किया जा सकता है। उन्होंने अपने आप को गिरफ्तारी के लिये पेश किया तथा अपने साथियों के साथ देश के लोग भाहीद हुए। उस वक्त से लेकर आज तक यह दिन भाहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सरदार भगत सिंह जी भाहीद ही नहीं बल्कि भाहीदेआजम है। उन्होंने सारे देशवासियों को कुर्बानी का रास्ता दिखाया, जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। उसी नतीजे के तौर पर आज हम आजाद हैं और आज हमारी सरकार इस में काम कर रही है। आज अपनी सरकारको लेकर हम इस सदन में बैठे हैं यह सब कुछ उन्हीं लोगों की देन है, उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है। इन भावों के साथ मैं इन भाहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ और लीडर आफ दि हाउस ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है, उसका समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मੈंबर्ज, मैं आप सब साहेबान के सेंटिमेंटस के साथ अपने आपको एसोसिएट करता हूँ। मेरी भी वही फीलिंग्स हैं जो सारे हाउस की हैं। मैं सब मੈंबर साहेबान को रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको होमोज पे करने के लिये दो मिनट के लिये खड़े हो जायें।

(इस समय भाहीदों के सम्मान में सदन ने खड़े हो कर दो मिनट का मौन धारण किया)

तारांकित प्र न एंव उत्तर

श्री अध्यक्ष: साहेबान, अब सवाल होंगे।

Home for Destitutes at Ambala

***100. Seth Ram Dass Dhamija:** Will the Minister for Social Welfare be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Home for destitutes, old and infirm persons at Ambala Cantt.?

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती भाकुंतला भगवाड़िया):
नहीं जी।

सेठ राम दास धमीजा: क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि सारी स्टेट में जिलावार डैस्टिच्यूटस होम्ज की कितनी कितनी तादाद है और एक डैस्टिच्यूट होम बनाने में कुल कितना खर्च आता है?

श्रीमती भाकुंतला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, वृद्ध और बृद्धाओं के लिये एक ही डैस्टिच्यूट मधुबन में चल रहा है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, हमारे आदरणीय सदस्य श्री राम दास धमीजा जी के साथ बड़ी बेइंसाफी हो रही है। उन्होंने अपने इलाके के गरीबों के लिये डैस्टिच्यूट होम बनाने की बात कही है। बड़ी अच्छी बात होती अगर मेरी आदरणीय बहिन जी

कह देती कि डैस्टिच्यूट, ओल्ड और इंफर्म पर्सन के लिये अम्बाला में होम सेंट अप करने जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जब मधुबन में डैस्टिच्यूट बना था, वह किन हालात में बना था ? इसको सेंट अप करने के लिये कितने इंफर्म होने चाहिए, कितने ओल्ड होने चाहिए और कितने हताश होने चाहिए ? आपने कौन सा क्राइटेरिया अपना रखा है ?

श्रीमती भाकुंतला भगवाड़िया: इनका क्राइटेरिया यही है कि जिस व्यक्ति का कोई लड़का न हो, कमाई का कोई साधन न हो, अनाथ हो और रोटी खाने से लाचार हो तथा कोई दूसरा व्यक्ति उसका पेट भरने वाला न हो, ऐसे लोगों के लिये ऐसे डैस्टिच्यूट होम का प्रबंध किया जाता है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, क्या बहिन जी के उत्तर से यह समझा जाये कि जो क्राइटेरिया, जो मापदण्ड उन्होंने बताया है, उसके हिसाब से सब को डैस्टिच्यूट होम में दाखिल किया जा सकता है ?

श्रीमती भाकुंतला भगवाड़िया: इस में दाखिला होने के लिये 50 साल की औरत और 65 साल का मर्द होना चाहिए। स्पीकर साहब, मधुबन के अंदर जो होम खाल गया है इस में 100 सीटों का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस वक्त 42 लोग रहते हैं और 58 सीटें खाली पड़ी हैं। इन में चाहे बाहर के हो, चाहे गांव

के हो, जो निर्धारित किये गये क्राइटेरियो के मुताबिक वहां आते हैं, उनसब को दाखिल कर लेते हैं।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, बहिन जी ने बताया कि 58 सीटें खाली पड़ी हैं। अगर हम वहां कुछ आदमी ले जाये, तो क्या सरकार दाखिल कर लेगी?

श्रीमती भाकुंतला भगवाड़िया: बिल्कुल दाखिल कर लेंगे।

चौधरी रो मन लाल आर्य: क्या मंत्री महोदया बतायेंगे कि सारे हरियाणा में कुल कितने निराश्रित लोग हैं, इस बात का पता लगाने के लिये क्या सरकार ने कोई सर्वे किया है?

श्रीमती भाकुंतला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, इस वक्त घर में बैठे हुए वृद्ध और वृद्धाओं की टोटल संख्या 18 हजार है जिनको सरकार पैसा देती है। डिसिट्रिक्ट है और क्राइटेरिया पूरा करता है, हम उसको इस किस्म की सुविधा देते हैं।

सेठ राम दास धमीजा: स्पीकर साहब, अम्बाला में ऐस जितना कम से कम दो सौ होंगे जिन में कुछ भाई होंगे, कुछ बहिने होंगे। अगर हम इनकी लिस्ट बना कर मंत्री महोदय को दे दें क्या सरकार अम्बाला में डैस्टिच्यूट होम बनाने का विचार करेंगी?

श्रीमती भाकूंतला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मधुबन में 58 सीटें खाली पड़ी हैं, वहाँ दाखिल करवा सकते हैं। इससे पहले हमने दो जगहों पर खोल कर देखा है, पहले रिवाड़ी में खोला, फिर सोनीपत में खोला और अब मधुबन में चल रहा है। 52 लाख की बिल्डिंग रिवाड़ी में तैयार हो रही है। आप दो सौ आदमियों की बात करते हैं, हमने तो निर्णय ले रखा है कि अगर मधुबन की 100 सीटें पूरी हो जायेगी तो और जगहों पर भी खोलेंगे।

Recruitment of Police Constables/Officers

***135. Shri Lachman Singh Kamboj:** Will the Chief Minister be pleased to state the districtwise number of Police Constables and Police Officers recruited in the State During the year 1982?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): वर्ष 1982 के दौरान पुलिस विभाग में केवल सिपाहियों तथा सहायक उप निरीक्षकों के पदों में ही भर्ती की गई थी। सहायक उप पुलिस निरीक्षक के पद पर भर्ती जिला स्तर पर नहीं की जाती है। इस वर्ष के दौरान 29 सहायक उप पुलिस निरीक्षक इस बोर्ड की सिफारिश पर भर्ती किये गये थे। चार दूसरे सहायक उप पुलिस निरीक्षक जो कि मृतक पुलिस कर्मचारियों के पुत्र थे, भी सरकार की सेवा अवधि के

दौरान मरने वाले कर्मचारियों के परिवार ने एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की निति के अंतर्गत भर्ती किये गये थे।

स्टेटमेंट

जिले / युनिट का नाम	भर्ती किए गए सिपाहियों की संख्या
अम्बाला	171
करनाल	165
कुरुक्षेत्र	136
जींद	113
हिसार	152
भिवानी	117
सिरसा	106
नारनौल	114
गुड़गांव	161
फरीदाबाद	141
सोनीपत	100

रोहतक	107
रेलवे पुलिस	29
प्रथम बटालियन, ह0स0पु0	9
द्वितीय बटालियन, ह0स0पु0	36
तृतीय बटालियन, ह0स0पु0	14
चतुर्थ बटालियन, ह0स0पु0	14
पंचम बटालियन, ह0स0पु0	22
वायरलैस	15
जोड़	1722

श्री लछमन सिंह कम्बोज: स्पीकर सहाब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि करनाल में 165 लड़के भर्ती किये लेकिन क्यायह सच है कि इन्द्री हल्के से

200 लड़के टैक्स में एपीयर हुए लेकिन एक भी लड़का नहीं लिया गया?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राम विलास भार्मा: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने सदन के पटल पर हर जिले की फिगरज में अंतर है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि हर जिले के बराबर की भर्ती क्यों नहीं की गई ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जब भी पुलिस की भर्ती की जाती है। तो जिले की आबादी का ख्याल रखा जाता है। आबादी को ध्यान में रखते हुए भर्ती की गई है। किसी के साथ कोई भेद भाव नहीं बरता गया है। आबादी के हिसाब से भर्ती की गई है।

मास्टर विप्रसाद: क्या मंत्री महोदय बताने की कष्ट करेंगे कि करेंगे कि हरियाणा में हरिजन डी०एस०पी० और एस०पी० को किसी जिले में लगाया हुआ है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इस वक्त 10 क्लास-1 आफिसर पुलिस में हरियाणा आफिसर पुलिस में हरिजन है। हैड क्वार्टर पर डी०आई०जी० भी लगाये हुए है। जिले में कितने डी०एस०पी० लगाये हुए है। भायद डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर एस०पी० न हो।

श्री वीरेन्द्र सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कश्ट करेंगे कि कि ए0एस0आईज0 का जो सिलेक्शन हुआ, उसमें एक्स-सर्विसमैन का कोटा पूरा कर लिया गया है?

चौधरी भजन लाल: एक्स-सर्विसमैन चार लिये गये हैं।

श्री मंगल सैन: मुख्य मंत्री महोदय ने जवाब में बताया है कि 1722 आदमी पुलिस में भर्ती किये गये हैं। सिपाही सभी जिलों से भर्ती किये गये हैं। मेरे एक सवाल के जवाब में मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि कि इन 1722 सिपाहियों में कितने हरिजन, कितने एक्स-सर्विसमैन और कितने बैकवर्ड जाति के लिये गये हैं?

चौधरी भजन लाल: 310 हरिजन, 217 बैकवर्ड और बाकी एक्स सर्विसमैन और जनरल के लिये हैं। जितना जिस का हक बनता था, उसी के हिसाब से काटा पूरा करने की कोशिश की है।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या एक्स-सर्विसमैन के डिपेंडेंट का कोटा पूरा कर लिया है?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, अगर कोई एक्स सर्विसमैन नौकरी में नहीं लगना चाहता है तो उसके लड़के या लड़की को नौकरी में ले लिया जाता है।

श्रीमती चंद्रावती: मैंने तो आपसे यह पूछा है कि क्या वह कोटा पूरा कर लिया है?

चौधरी भजन लाल: अगर एक्स सर्विसमैन आ जाते हैं तो ले लिये जाते हैं। अगर नहीं आते हैं तो उनके लड़के और लड़कियों को लिया जाता है। उनका अलग से कोटा रखा हुआ है।

श्री भागी राम: मुख्य मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि 310 हरिजन लिये गये हैं और 217 बैकवर्ड लिये हैं, क्या इनसे रिजर्वें पूरी हो गई हैं? दूसरे जो 29 ए0एस0आईज0 लिये हैं उनमें भी रिजर्वें पूरी हो गई हैं या नहीं?

चौधरी भजन लाल: 1722 में से 344 सिपाही लिये जाते तो हरिजनों का 20 परसेंट का कोटा पूरा हो जाता लेकिन हमने 310 लिये हैं। हो सकता है बाकी लोग आये न हों या मैडिकल के टाइम पर निकल गये हों। केवल 34 हरिजन कम रहे हैं। हमारी कोटा पूरी होती है कि हरिजनों और बैकवर्ड का कोटा पूरा करे। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि जब इनका राज था यानी चौधरी देव लाल का राज था तो ये हरिजनों की रिजर्वें पूरी केवल 13 परसेंट कर पाये थे लेकिन हमने 16 परसेंट पूरी कर ली है। हमने पिछली कमी को कवर करने का प्रयत्न किया है और भविष्य में बाकी कमी को पूरी करेंगे।

श्री फतेह चंद विज: हरिजनों की जो भर्ती की गई है, क्या इसमें कोई रिलैक्सेशन भी दी गई है?

चौधरी भजन लाल: सिर्फ हरिजनों को सिलैक्सेशन देते हैं। हरिजनों की एक इंच छाती और एक इंच कम ले लेते हैं। दूसरे लोग अगर मैट्रिक पास हों तो हरिजनों को मिडल पास भी ले लेते हैं लेकिन दूसरे केंसिज में किसी को रिलैक्सेशन नहीं देते हैं।

डा० भीम सिंह दहिया: मुख्य मंत्री महोदय ने 1722 सिपाहियों की भर्ती के आंकड़े दिये हैं। सरकार ने कुछ सिपाहियों को डिसमिस भी किया था। उनके कभी 341 और कभी 731 के आंकड़े दिये जाते रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या उस समय 1722 सिपाही तो डिसमिस नहीं किये गये थे जिनकी जगह यह भर्ती हुई है।

चौधरी भजन लाल: इन्होंने सारे साल की भर्ती की फिगरज मांगी थी, वह हमने दे दी है।

चौधरी भागमल: क्या मंत्री महोदय बताने की कश्ट करेंगे कि हरियाणा में पुलिस हरिजन क्लास वन, कितने क्लास-टू और कितने इंस्पैक्टर हैं?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आ गया है।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जो ए0एस0आई0 सिलैक्ट किये थे उनमें से कितने लगा दिये और कितने अभी गलियो में फिर रहे हैं?

चौधरी भजन लाल: इनमें से 5 हरिजन, ती बैकवर्ड क्लासिज, चार एक्स-सर्विसमैन और 17 जनरल कैटेगरी के लगा दिये हैं।

श्री हीरा नंद आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि सर्विस सिलैक्ट इन बोर्ड ने जो सिलैक्ट इन की है, इसमें से भ्रष्टाचार के आधार पर कितनी सिलैक्ट इन की गयी है। क्या कोई रिआयत इस बारे में इनके नोटिस में आयी है?

Mr. Speaker: This is no question. Please sit down Mr. Arya.

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मधुबन में पिछले साल कुछ सिपाहियों को डिस्मिस किया गया था, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम किया था। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो मौके पर डियुटी पर नहीं थे बल्कि पंजाब में थे। उनके बारे में मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा था कि इन्कवायरी कर लेंगे। मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ऐसे आदमी थे उनके बारे में क्या वे इन्कवायरी करेंगे और जो उनमें बेकसूर थे, उनको दोबारा लेने की कृपा करेंगे?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरे से एक बार भले राम जी ने जिक्र किया था कि कुछ लोग वहां पर नहीं थे। मैंने उनसे यह कहा था कि उनको अपील करनी चाहिये। उन्होंने भायद अपील की हुई है। इस मामले को हम एग्जामिन कर रहे हैं। अगर वाकई वे बैकसूर होंगे और मौके पर नहीं थे, तो उनको जरूर इंसाफ देने के लिये हम कहेंगे। जहां तक हीरा नन्द आर्य जी ने 29 ए0एस0आईज0 की भर्ती के बारे में भ्रष्टाचार की बात कही है, जो आदमी जैसा होता है, वैसा ही दूसरों को समझता है। ए0एस0आईज0 सारे जिलों से लिये गये हैं। करनाल से 2 आदमी, जींदसे 3, सोनीपत में 4 रोहतक के 5, इसी तरह से हिसार, भिवानी, सिरसा, नरनौल और फरीदाबाद से भी लिये गये हैं।

एक आवाज: हिसार से कितने लिये हैं?

चौधरी भजन लाल: हिसार के 6 लिये हैं।

श्री भले राम: सिरसा से कितने हैं?

चौधरी भजन लाल: सिरसा से दो हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरे सबमिशन में यह है कि न तो मेरे सवाल का जवाब आया है और न ही डाक्टर मंगल सैन के सवाल का जवाब आया है। मैंने यह पूछा था कि कितनी पोस्टें एडवरटाइज की गई थी, उनमें से कितनी पोस्टों के लिये सिलैब में किया गया था और कितने आदमियों को अभी तक

लिया गया है और अभी तक कितने बेचारे गलियों में भटकते फिर रहे हैं?

चौधरी भजन लाल: 29 तो हमने लिये हैं। 4 आदमी हमने वह लिये हैं, जिनके पिता सर्विस में थे और उनकी सर्विस में थे और उनकी सर्विस के दौरान मृत्यु हो गई। कुल सिलैक इन 42 आदमियों का हुआ था। 29 उनमें से हमने ले लिये हैं। 13 आदमी अभी ने रहते हैं। जब जगह होगी तो उनको भी हम लगा लेंगे।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने यह बताया है कि 1722 सिपाही भर्ती किये गये हैं। यह भी तथ्य सामने आ गया है कि ये उन आदमियों की जगह पर भर्ती किये गये हैं, जो निकाले गये थे। मैं भर्ती में भ्रष्टाचार की बात के बारे में कुछ नहीं पूछता लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुख्य मंत्री महोदय डेट नोटीफाई हुई थी, उससे एक हफ्ता पहले ही भर्ती नहीं करली गई थी, अगर हां, इसके क्या कारण थे?

चौधरी भजन लाल: यह क्या सवाल हुआ।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मेरा एक अन स्टार्ड क्वै चन था, उसका जवाब मुझे यह आया है कि भर्ती के लिये नोटिफिके इन के मुताबिक 26.8.1982 की डेट फिक्सड थी लेकिन किन्ही एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से यह भर्ती 20.8.1982 की कर ली गयी। स्पीकर साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों वाली बात हमारी

समझ मे नही आती। क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि 26 तारीख की बजाय 20 तारीख को ही भर्ती क्यों करली गई ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, आपको भी पता है कि हमे मधुबन मे हुई बात की वजह से फौरी तौर पर भर्ती करनी पड़ी है। (व्यवधान व भाोर)

श्री हीरा नन्द आर्य: * * * * *
* * * * *
*

चौधरी भजन लाल: * * * * *
* * * * *
*

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल: * * * * *
* * * * *
* * * * *

चौधरी भजन लाल: * * * * *
* * * * *
*

श्री हीरा नन्द आर्य: * * * * *
* * * * *
*

चौधरी भजन लाल: * * * * *

* * * * *

*

श्री भले राम: * * * * *

*

श्री हीरा नन्द आर्य: * * * * *

*

श्री अध्यक्ष: जो बाते इस सवाल से इररैलेवैन्ट थी, वह रिकार्ड न की जाये। इस के अलावा, मैं दोनो साइडज से अपील करूंगा कि इस हाउस की कुछ मर्यादा रखी गयी जाये, कुछ डीसेंसी रखी जाये ओर कुछ डैकोरम रखा जाये जो कुछ बातें अभी यहां पर हुई है, उनको जो लोग यहां पर बैठे हुए हाउस की कार्यवाही देख रहे है, वे भी अच्छा नहीं समझेंगे और गलत इम्प्रेसन लेंगे। जिस ढंग से यहां पर प्रोवोकेशन हुई और उसके बाद री प्रोवोकेशन हुई उसके बारे में आप ही खुद महसूस करेंगे कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि हर आदमी की रंगों में खून है। आर्य जी और लबीर सिंह की रंगों में भी खून है। हर आदमी घर में रोटी खाता है अगर लीडर आफ दि हाउस को इतनी बुरी बात कहनेंगे तो फिर आप यही ऐक्सपैक्ट करूंगा कि हाउस के डैकोरम को कायम रखे। दोनो साइडज से, चाहे इधर से कोई बात आई है या उधर से आई है वह मैंने रिकार्ड न करने के लिये कह दिया है और वह रिकार्ड नहीं की गई है।

Arrears of H.S.E.B. outstanding against Industrial Consumers

***187. Prof. Sampat Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total amount of arrears outstanding at present against the industrial consumers in the State on account of electricity charges; and

(b) the amount, out of the amount referred to in part (a) above if any, outstanding for more than one year?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala):

(a) Rs. 1202 lacs ending 12/82.

(b) Rs. 1055 lacs.

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि 12 करोड़ दो लाख रुपये के बिजली के बिलज इंडस्ट्रियलिस्ट्स के खिलाफ बकाया है और एक साल के उपर की जो राशि बताक्या है वह दस करोड़ पचपन लाख रुपये है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कौन से कन्सर्न है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनके अगेन्स्ट पन्द्रह लाख रुपये से उपर के अमाउंट के बिल बकाया है और उनके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया है?

चौधरी भाम ँर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा बिजली बोर्ड एक साल मे 120 करोड से 140 करोड रूपये के बीच कंज्यूमर्ज से इकटठे करता है। उसमे से 12 करोड 2 लाख इंडस्ट्रीज की तरफ से बकाया है जिसमे से 10 करोड 55 लाख रूपया एक साल मे बकाया है इसकी तफसील इस प्रकार है 12 करोड, मे से साढ़े नौ करोड रूपया पब्लिक सैक्टर कंज्यूमर्ज की तरफ है। ये पब्लिक सैक्टर कंज्यूमर्ज है पानीपत की ने ंनल फर्टिलाइजर, एम0आई0टी0सी0। स्पीकर साहब, इसी तरह की और कुछ पब्लिक सैक्टर की इंडस्ट्रीज है जिनमे से कुछ गवर्नमेंट आफ इंडिया की है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट है जिनमे से कुछ गवर्नमेंट आफ इंडिया की हे और कुछ स्टेट गवर्नमेंट है। मेजर अमाउंट इनकी तरफ है। अढ़ाई करोड रूपये प्रावेट लोगो की तरफ है। इस अढ़ाई करोड रूपये मे से डेढ़ करोड रूपये का अदालतों से स्टे आर्डर मिला हुआ है। बाकी जो एक करोड की अमाउंट है, वह प्राइवेट इंडस्ट्रीज की तरफ है। इनके खिलाफ हमने ऐव ंन लिया है। उनके कनैक्ट ंज जिस कनैक्ट कर दिये है और रिकवरी कीर पोजी ंन एडवांस स्टेज पर है। स्पीकर साहब, मेंबर साहब ने यह भी पूछा है कि जिनकी तरफ पन्द्रह लाख रूपये से ज्यादा का अमाउंट बाकी है उनके नाम क्या हैं वह भी मैं बता देता हूं (1) मैसर्ज नौर्दन इंडिया बल्लभगढ़ इनकी तरफ 43 लाख रूपया है। इनका केस कोर्ट मे पेंडिंग है। मैसर्ज पी0सी0 महे वरी, इनके खिलाफ 16.43 लाख रूपया बाकी है। इन्होंने अदालत से स्टे लिया हुआ है। मैसर्ज डबरीवाला, इनके

खिलाफ 17.38 लाख रुपया है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे आर्डर लिया हुआ है मैसर्स बी0टी0एम0 भिवानी, इनके खिलाफ 49 लाख रुपया बाकी है। इन्होंने भी कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। सहगल पेपर मिल, धारूहेड़ा, इनके खिलाफ चालीस लाख रुपया बाकी है। इनका कनेक्ट इन डिस कनेक्ट कर दिया है और रिक्वरी की पोर्जी इन एडवांस स्टेज पर है। अध्यक्ष महोदय, और कोई कम्पनी या कंज्यूमर नहीं है जिसकी तरफ पैसा बकाया हो।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, कम्पनीज और फ़ैक्ट्रीज की तरफ इतना भारी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है और इन्होंने कोर्टस से स्टे आर्डर ले लिया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि स्टे को वेकैट कराने के लिये सरकारने क्या कदम उठाये है। ?

चौधरी भाम देव सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में बिजली बोर्ड कार्यवाही करता है, सरकार पिक्चर में नहीं आती। बिजली बोर्ड के बाकायदा बोर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों को अंगेज करके क्वेसिज परसू करता है।

श्री सागर राम गुप्ता: मंत्री महोदय ने बताया है कि ने इनल फर्टीलाइजर फ़ैक्टरी पानीपत जो पब्लिक सैक्टर में है और गवर्नमेंट आफ इंडिया की है उनके खिलाफ पैसा बकाया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उसके खिलाफ कितना पैसा बकाया है और उनके साथ क्या झगड़ा है ?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, ने इनल फर्टीलाइजर फ़ैक्टरी के खिलाफ तीन करोड़ उनसठ लाखरूपया आउटस्टैंडिंग है। आर्बीट्रे इन के पास केस है और अभी इसका फ़ैसला नहीं हुआ है।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि के क्या यह बात सही है कि सरकार के या ओर्ड के जो लीगल एडवाइजर्ज है वे ठीक ढंग से केस को प्लीड नहीं करते है। अच्छे वकील अप्वायंट नहीं किये जाते है और वाई डिफाल्ट केस हार जाते है जिसकी वजह से इन कम्पनियों से कोर्ट से स्टे आर्डर मिल जाता है?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: यह बिल्कुल गलत बात है कि कोर्ट मे ठीक ढंग से केस प्लीड होते । यह तो कोर्ट को मालूम है कि स्टे क्यों दिए जाते है। हम तो कोर्ट से पूछ नहीं सकते यह तो फाइल से हीपता लग सकता है और हम फाइल मंगवा नहीं सकते। बाई डिफाल्ट कोई ऐसा बात नहीं है।

श्री मंगल सैन: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस बात उनके नोटिस मे कब आई कि बारह करोड रूपया इंडस्ट्रलिस्टस के खिलाफ बकाया है और इसमे से दस करोड पचपन लाख रूपया एक साल से बकाया है ? अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि यह रूपया बड़े बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ बकाया है और उद्योगपतियों ने स्टे आर्डर लिया हुआ है।

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कि स्टेट फाइनेंशियल कार्पोरेट्स ने भी इन उद्योगपतियों को कोई रूपया दिया है और क्या इस कार्पोरेट्स का रूपया भी इन उद्योगपतियों के खिलाफ बाकी है?

चौधरी भामदेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, स्टेट फाइनेंशियल कार्पोरेट्स के बारे में मैं जवाब कैसे दे सकता हूँ क्योंकि यह कार्पोरेट्स मेरे पास नहीं है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह बड़ा सीरियस मामला है। आप इस मामले पर आधे घंटे की चर्चा अलाउ कर दें। बिजली बोर्ड का साल का रेवेन्यू लगभग 1.20 करोड़ रुपये है और उसका दस परसेंट लोगों के पास फंसा हुआ है। यह बड़ा सीरियस मामला है। स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड में करोड़ों रुपये का घपला है। इसलिये आप इस पर आधे घंटे की डिस्कशन अलाउ कर दें।

डा० ओम प्रकाश भार्गव: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो रकम फैक्टरीज के खिलाफ बकाया है यह कितने पीरियड के अंदर बनी और जब पहली दफा राशि इन फैक्टरीज के खिलाफ बनी उस दौरान बिजली बोर्ड की तरफ से इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

चौधरी भामदेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, 12/82 तक जो कंजुमर्ज डिफाल्टर्स थे कैटेगरी वाइज उनका मैं

बता देता हूँ। जनरल कंजूमर्ज की संख्या 14151 है उनकी तरफ 1 करोड़ 15 लाख रूपये इन्वाल्ड है। इंडस्ट्रीयल कंजूमर्ज 2119 है, उनकी तरफ अमाउंट इन्वाल्ड है 12 करोड़ 2 लाख रूपये, एग्रीकल्चर कंजूमर्ज 5986 है उनकी तरफ इन्वाल्ड है 79 लाख रूपये। इस तरह से टोटल कंजूमर्ज की संख्या 22256 और उनके अगेन्स्ट अमाउंट है 13 करोड़ 96 लाख रूपये। इनके खिलाफ जो कार्यवाही की गई है, वह भी मैं बता देता हूँ। जनरल कंजूमर्ज में से 11 हजार 98 के कनैक्ट इनज डिस्कनैक्ट कर दिये गये और बाकी से एज एरियर्ज आफ लैण्ड रैवन्यू रिकवरी की जा रही है। इसी तरह से इंडस्ट्रीयल कंजूमर्ज 2119 में से 1537 के कनैक्ट इन काट दिये गये और जो बाकी बचे, उनसे एज एरियाज आफ लैण्ड रैवन्यू रिकवरी की जा रही है। एग्रीकल्चर कंजूमर्ज जो थे, वे 5986 थे और उनकसमसे 1827 के नैक्ट इन काट दिये गये हैं। अयह डिफरेंट कैगबक के बारे में मैं बता देता चाहता हूँ कि उनके खिलाफ 14 करोड़ रूपये अभी आउटस्टैंडिंग है। इंडस्ट्रीज के खिलाफ 12 करोड़ 2 लाख और उसमें से साढ़े 9 करोड़ रूपया जिन जिन के नाम हैं, वे मैं पढ़ कर सुना देता हूँ।

पब्लिक सैक्टर में जिनकी खिलाफ अमाउंट बकाया है, वे हैं नेशनल फुटलाईजर पानीपत उनके खिलाफ 3 करोड़ 59 लाख हरियाणा कनकास्ट के खिलाफ 2 करोड़ 9 लाख यडालमिया सीमेंट फैक्टरी के खिलाफ 1 करोड़, 18 लाख, एम0आई0टी0सी0 1 करोड़ 30 लाख, म्यूनिसिपल कमेटीज

ओर पंचायतों के खिलाफ 20 लाख, के करीब है। अध्यक्ष महोदय इसमें लिफ्ट इरीगे इन स्कीम का 1 करोड़ के लगभग है। इस तरह से छोटा मोटा अमाउंट ओर भी हे जैसे ओरिएंटल स्पीलज फरीदाबार वगैरह। अगर ये चाहे तो मैं उनके बारे में भी बता देता हूँ। (ओर एंव व्यवधान)

डा० ओम प्रकाश भार्मा: स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया हे मेरा सवाल था कि क्यायह सारा अमाउंट एक ही दिन मते इतनाबढ़ गया या बताएं कि यह इतना ह्यूज अमाउंट कितने अमाउंट पीरियड में बना है?

चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, ये जो प्रावेट इंडस्ट्रीज वाले हैं न का एक करोड़ रुपये से ज्यादा अमाउंट नहीं हैं पब्लिक सैक्टर के खिलाफ अमाउंट जरूर इंचालवड हैं उनके नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर फिर चाहे तो मैं दोबारा बता देता हूँ। डालमियासीमेंट फैक्टरी, दादी को सरकारने टेक ओवर कर लिया थां यह अमाउंट किसी भी वक्त का हो, इसके लिये जो रिसीवर मुकर्रर किया था, उसके पास रिकवरी के लिये केस पैडिंग है।

आवाजे: स्पीकर साहब, हम यह पूछना चाहते हैं कि यह रुपया कब से पैडिंग है?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: यह काफी लम्बी चौड़ी इंफर्मे ान हे, अलग अलग कंजूमर्ज के खिलाफ अलग अलग डेटस से अमाउंट पैडिंग है।

डा० ओम प्रका ा भार्मा: स्पीकर साहब, हम इस बारे में फ्रे ा नोटिस देंगे ताकि सरकार की मतरफ से पूरापूरा जवाब हमें मिल सके।

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: ठीक है।

श्री हीरा नंद आर्य: स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने बताया कि डालमिया सीमेंट फ़ैक्टरी, दादरी के खिलाफ 1 करोड़ 18 लाख रूपया बकाया है, क्या यह पैसा उस फ़ैक्टरी को सरकार के टेकओवर करने के बाद का है या कि पहले का। दूसरी बात यह है कि उस फ़ैक्टरी के खिलाफ भारत सरकार ने 70 लाख रूपया और निकाला है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वे इसका 20 परसेंट भी पैसा वापिस नहीं दे पायेंगी, क्या यह सच है?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सवाल तो पूछा नहीं, सूचना दी है, आफिसर्ज ने नोट कर ली होगी, इसका हम पता कर लेंगे।

चौधरी हुकम सिंह: स्पीकर साहब, ३ जो बड़के बड़ इंडस्टियलिस्ट है, इनके खिलाफ लोखो े पैसा बकायाहोता है और वे जाकर हाई कोर्ट से स्टे ले आते है। उनके मीटर वगैरह भी

डिसकनैक्ट नहीं किये जाते लेकिन जो छोटे छोटे कंज्यूमर्ज है, किसान है, चाहे उनके खिलाफ 40 रूपये ही क्यों न हो, उनका कनैक्ट इन एक दम काट दिया जाता है क्या ऐसे लोगों के लिये ऐसा नहीं हो सकता कि वे भी स्टे ले ले और उनके कनैक्ट इन भी एक दम बिन सूचना के न काटे जाये?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, स्टे तो किसान ले ले, आर्डिनरी कंजूमर ले ले या बड़ा ले ले। स्टे लेने के लिये बिजली बोर्ड तो किसी को नहीं कहता। लोग स्वयं परसयु करते हैं और हाई कोर्ट में चले जाते हैं। जो बड़े बड़े कंज्यूमर्ज है नान पैमेण्ड केसिज में उनके खिलाफ सरकार ने अब य कार्यवाही की है, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ।

Shri Virender Singh: He is always sevading every question, Sir.

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इसमें इवेडकर ने की कोई बात नहीं है। हमारी पूरी पूरी हमदर्दी लोगों के साथ है। 2119 इंडस्ट्रीज वाले डिफाल्टर पाये गये। उनमें से 1537 के कनैक्ट रूान काट दिये और बाकियों में से कुछ को स्टे मिला हुआ है और कुछ एक से एकज एरियार्ज ऑफ लैंड रैवेन्यू रिकवरी हो रही है।

प्र० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने जो रिकवरी का ढंग बताया, उससे हम लोगो को संतोश नहीं होता है। स्पीकर साहब, पब्लिक अंडरटेकिंगज के लिखाफ साढ़े 9 करोड़ रूपये बकाया है। सरकार इनको सबसिडी भी देती है इसके बावजूद भी हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड पर लोगों को वि वास नहीं है। प्राईवेट इंडस्ट्री वाले भी कोर्ट में चले जाते हैं और पब्लिक अंडरटेकिंगज वाले भी कोर्ट में चले जाते हैं, इस कारण से उनके कनैक्शन नहीं कटते। कोर्ट में पांच छ साल तक केस चलते रहते हैं। सरकार जिस तरह से डोमैस्टिक कनैक्शन को पहले बिल की पैमेंट न होने पर काट देती है, इन बड़े इंडस्ट्रीज वालों के साथ भी ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि उनके कनैक्शन भी पहले बिल की नान पैमेंट कीवजह से काट दिये जाये। ऐसा करने से आगे के लिये सरकार को किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी और न ही वे लोग कोर्ट में जा कर स्टें ले सकेंगे। क्या ऐसा प्रोसीजर सरकार अडाप्ट करने का विचार रखती है?

चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, कनैक्शन काटने का प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। पहले एक महीने तक अगर कोई बिल की पैमेंट नहीं करता तो फिर ग्रेस पीरियड तक इंतजार किया जाता है। अगर तब तक भी बिल की पैमेंट न हो तो फिर कनैक्शन टैम्पोरेरी तौर पर काट दिया जाता है। अगर वह एक महीने में उसको रिवाइव नहीं करवाता तो उसका परमानेंट

कनैव इन काट दिया जाता है। मतलब मीटर और वायर वगैरह काट देते हैं या उतार देते हैं। उसके बाद अध्यक्ष महोदय अधिकारी 60 दिनों का नोटिस देकर रिकवरी की प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। इस प्रोसीडिंग के खिलाफ लोग फिर कोर्ट में जाते हैं तो वहां से उनको स्टे मिल जाती है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है कि उन लोगों के साथ कोई रियायत की जाती हो, सभी के साथ एक ही व्यवहार किया जाता है। हरियाणा इलैक्ट्रीसिटी ट्यूट एक्ट, 1970 के तहत एज एरियाज आफ रैवनयू रिकवरी की जाती है।

श्री फतेह चंद विज: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदयने डिस्कनैव इन का प्रोसीजर बताया है कि पहले एक महीने तक अगर कोई बिल की पेमेंट नहीं करता तो उसे प्रेस पीरियड दिया जाता है। अगर रुरि भी पेमेंट नहीं होती तो टैम्पोरी तौर पर कनैव इन काट दिया जाता है क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इतने दिनों तक इंतजार करने की क्या आवश्यकता है। एक ही महीने में सारी कार्यवाही फाइनल करके कनैक्शन क्यों नहीं काट दिया जाता ताकि सरकार को भी फायरनेसियल लोस न हो और कंज्यूमर भी आगे से इस बाम का ध्यान रखे कि समय पर बिल की पेमेंट करनी है?

चौधरी भामदेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, हमें प्रोसीजर के अनुसार ही सारी कार्यवाही करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया है कि एक महीने तक अगर कोई बिल की पेमेंट नहीं करता तो फिर प्रेस पीरियड तक इंतजार किया जाता है अगर तब तक भी बिल की पेमेंट न हो तो टैम्पोरी तौर पर कनैव इन

काट दिया जाता है । अगर एक महीने तक उसको रिवाइव नहीं करवाया जाता तो फिरपरमोनैट कनेक्ट इन काट दिया जाता है । उसके बाद फिरअगर नान पेमेंट का केस हो, तो 60 दिनों का नोटिस देकर अधिकारी संबंधित पार्टी या आदमी के खिलाफ इंकवायरी शुरू कर देते हैं और इलेक्ट्रीसिटी ड्यूट एक्ट, 1970 के अंतर्गत एज एरियार्ज आफ लैंडरेव्यू रिकवरी की जाती है ।

डा० ओम प्रकाश भार्गव: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि डोमैस्टिक और कमर्शियल कनेक्ट इनज को डिसकनेक्ट करने का अलग अलग क्राईटेरिया क्या है । जो इन्होंने अभी ब्यान किया वह डोमैस्टिक केबारे में था या कमर्शियल के बारे में था?

चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, सभी कंज्यूमर्स के लिये एक ही क्राईटेरिया हैं सिर्फ डिसकनेक्ट करने के अख्तियार में फर्क है । 100 के०वी० तक तो एस०डी०ओ०, 500 के०वी० तक एक्सीयन, 1000 के०वी० तक एस०ई० और 1000 के०वी० से ऊपर के लिये हैडक्वार्टर परचीफ इंजीनियर को अख्तियार है । बड़े कनेक्ट इनज में इसलिये देर लग जाती है कि उनका केस हैडक्वार्टर तक पहुँचते देर लग जाती है ।

डा० ओम प्रकाश भार्गव: स्पीकर साहब, जो कमर्शियल कनेक्ट इनज है या जो तिजारती अदारे या फ़ैक्ट्रीज है उनमें कुछ स्माल युनिट्स भी होती हैं और कुछ बड़ी यूनिट्स भी होती हैं ।

कुछ बड़ी युनिटस भारत सरकार के लेवल की भी होती है और कुछ यूनिटस स्टेट लेवल की होती है। इस लिस्ट के अंदर जो बड़े बड़े अदारे है वह में समझता हूं कि भारत सरकार के लेवल के अदारे है। क्या उकने लिये भी वही क्राईटेरिया है जो हरियाणा के आदम दुकानदारों के लिये या छोटे कारखानों के लिये है?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, जनवरी 1983 में हरियाणा में 48864 इंडस्टियल कंज्यूमर्ज थे उनमें से लार्ज 796 थे, मीडियम 3603 और स्माल 44465 थे। सप्लाई का क्राईटेरिया यह है कि 100 के 0वी 0 से उपर लोड तक तो लार्ज माना जाता है, 21 से 100 के 0वी 0 तक मीडियम माना जाता है और 20 के 0वी 0 तक स्माल माना जाता है। जहां तक पैसेवसूल करने के क्राइटेरिये का संबंध है उससे उनका मतलब रिकवरी से होगा। उसके बारे में कोई डिफरेंट क्राईटेरिया किसी के लिये नहीं है, सब के लिये एक ही क्राईटेरिया हैं

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, सारा हाउस इस बारे में बहुत कंसर्ड है कि पूंजीपतियों से बिजली के बिल नहीं लिये गये। हमें कुछ इस मामले में संदेह हैं इस बारे में हमारे टैजरी बेंचिज के भाई भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं। इस लिये आप इस पर आधे घंटे की डिस्कान मान लीजिये। उस पर हम अपनी बात कह सकेंगे, अब तो इतनी सप्लीमेंटरी पूछने की इजाजत नहीं मिलेगी।

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, मैंने इसलिये तो इतना ज्यादा टाईम इस सवाल पर दिया है।

मास्टर रिाव प्र ताद: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी इन्होंने डा० ओम प्रकाश जी से सवाल के जवाब में बताया कि बिलों की अदायगी के लिये सब के साथ एक जैसा ही तरीका है क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन से इतनी धन राशि लेनी है उनके साथ भी वही प्रोसीजर अपनाते हैं क्या उनका कनेक्शन भी टैम्पोरेरली डिस्कनेक्ट किया जाता है?

चौधरी भामदेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, स्पीकर साहब, मैं पहले भी बिता चुका हूँ कि हमने 1500 के करीब कनेक्शन काटे हैं। जो बाकी है उनके बारे में भी किसी ने किसी स्टेज पर कार्यवाही चल रही है। किसी के केस में कोर्ट ने स्टेज कर दिया है और किसी का केस आर्बीट्रेशन में चल रहा है

मास्टर रिाव प्र ताद: अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल पूछने का मतलब यह था कि जब उन्होंने कोर्ट से स्टेज ले लिया उससे पहले इतना समय था जिसमें ये अपने पोसीजर को अपनाते हुए कनेक्शन काट सकते थे,

चौधरी भामदेर सिंह सुरजेवाला: माननीय सदस्य अगर किसी विशेष केस के बारे में पूछेंगे तो मैं मुकम्मल तौर पर बता

सकता हूँ। सैंकड़ों कैसों के बारे में इस समय आफ हैंड नहीं बता सकता।

श्रीमती बसंती देवी: अध्यक्ष महोदय, जो लोग इतने दिनों तक 50-50 लाख रूपये के बिजली के बिल पे नहीं कर पाए क्या जिस वक्त वेपे करेंगे उनसे इन्ट्रैस्ट भी लिया जाता है?

चौधरी भाम ाेर सिंह सुरजेवाला: उन पर 2 प्रति ात सरचार्ज लगाते हैं।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल: स्पीकर साहब, पिछले दिनों चौधरी भजन लाल जी ने जब भिवानी के बारे में रिलीफं दिया तो उस समय किसानों की तरफ 17 लाखरूपये बकाया थोक। हमने इनको कहा था कि 31 मार्च की बजाये किसानों को 31 मई तक की एक्सटैं ान दे दी जाये। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इंडस्ट्रियलिस्टस के साथ ये लिनिएं्ट व्यू क्यों अपनाया जा रहा है? उन्होंने एक एक साल से उपरका रूपया रोका हुआ है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि डालमिया सीमेंट फ़ैक्टरी की रिकवरी किस स्टेज पर है?

चौधरी भाम ाेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मेरे लायक दोस्ट भिवानी से चले थे ओर पता नहीं किस 17 लाख रूपये की बात कर गये उसने बाद डालमिया की तरफ पहुंच गये। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि डालमिया की तरफ कोई रिकवरी बकाया नहीं है। डालमिया फ़ैक्टरी तो गवर्नमेंअ ने टैक

ओवर कर ली गिरी ओर वह लिक्वीडे टान मे चली गई थी, उनकी तरफ बकाया है।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल: स्पीकर साहब, पहला सवाल मेरा यह था कि पीछे मुख्य मंत्री जी ने बिजली के रेट बढ़ाने के बारे में भिवानी जिले के किसानों को रिलीफ दी थी। किसानों की तरफ 17 लाखरूपया बकाया था। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह पैमेंट 31 मार्च तक करनी होगी ओरहमने कहा था कि यह पैमेंट 31 मई तक कर दी जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स की तरफ तो एक एक साल से इतनापैसा बकाया पड़ा है किसानों को टाईम क्यों नहीं दिया जाता?

चौधरी भाम देर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यह सवाल तो कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो मुख्य मंत्री जी ने लोगों की ओर उस इलाके के विधायक की बात को मानते हुए डीप ट्यूबवैल वाले किसानों को बड़ा भारी कनसे टान दिया ओर साथर में जासे उन्होंने डिफाल्ट किया था उस बारे में भी यह कहा कि वह अप्रैल के महीने में दे देगा जो उनके खिलाफ पीछे की कार्यवाही है वह नहीं की जायेगी। अब पता नहीं ओर कौन सी बात पूछ रहे हैं।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन प्राईवेट इंडस्टीज को बिजली के

बिलों की अदायगी का कोर्ट से स्टे मिला हुआ है जब उन केषों का कोर्ट से फैसला हो जायेगा तो क्या वह सारा अमाउंट विद इन्टैस्ट वसूल किया जायेगा?

चौधरी भाम ाेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे मे पहले ही बता चुका हूं कि आउटस्टैंडिंग बिजली के बिलों की दो परसेंट सरचार्ज लगाकर रिकवरी की जाती है

श्री राम विलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जो से जानना चाहता हूं कि किन किन कारखानेदारों की तरफ एक लाख से उपरके बिजली के बिलों की रिकवरी बाकी है?

चौधरी भाम ाेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, एक लाख से उपर जिन जिन कारखानेदारों की तरफ करवरी बाकी रहती है, वह इस प्रकार है:—

M/s Northen India, Ballabgarh	Rs. 73 lacs
M/s P.C. Maheshwari, Ballabgarh	Rs. 16.34 lacs
M/s Oswal Steels, Faridabad	Rs. 7.88 lacs
M/s S.G. Steel, Ballabgarh	Rs. 10.75 lacs
M/s Dabriwala, Faridabad	Rs. 17.38 lacs

M/s B.T.M Bhiwani	Rs. 49.83 lacs
M/s Mohta Electro Steel, Bhiwani	Rs. 10.65 lacs
National Fertilizers Ltd. Panipat	Rs. 3.59 lacs
M/s Haryana Concast, Hissar	Rs. 209 lacs
M/s Dalmia Cement Factory, Charkhidri	Rs. 118.64 lacs
M/s Nepco Faridabad	Rs. 2.21 lacs
M/s Paryag Dass Faridabad	Rs. 1.61 lacs
M/s Prem Enterprises, Rewari	Rs. 2.28 lacs
M/s Sehgal Paper Mill, Dharuhera	Rs. 40.44 lacs
M/s I.T.C. Haryana, Chandigarh	Rs. 130 lacs
Municipal Committees and Panchayat in the State	Rs. 20 lacs
M/s Orient Steel, Faridabad	Rs. 1.84 lacs
M/s Hindustan Wires Ltd., Faridabad	Rs. 3.22 lacs
M/s Venus Paper Mill, Faridabad	Rs. 2.41 lacs
M/s Haryana Paper Mill, Faridabad	Rs. 1.83 lacs
M/s H.S. Sethi, Faridabad	Rs. 1.90 lacs

M/s Lajwani Chemicals, Faridabad	Rs. 5.84 lacs
M/s H.N.G. Bahadurgarh	Rs. 1.05 lacs
M/s Swastika Woolen Mills, Panipat	Rs. 1.16 lacs
M/s Swastika Woolen Mills, Panipat	Rs. 1.02 lacs
M/s Rajpura Singla, Panipat	Rs. 1.13 lacs
M/s Steel Sales, Panipat	Rs. 1.61 lacs
M/s Amar Flour Mills, Sirsa	Rs. 1.08 lacs
M/s India Steel Alloy, Hissar	Rs. 2.66 lacs
M/s Godara Cotton Factory, Sirisa	Rs. 1.19 lacs
M/s Seth Suraj Mall, Sirsa	Rs. 2.49 lacs
M/s Barmalt, Gurgaon	Rs. 1.22 lacs
M/s Apricot, Faridabad	Rs. 3.38 lacs
Lift Irrigation	Rs. 1.00 crore
M/s Haryana Electro Steel, Sonapat	Rs. 6.88 lacs

श्री हरि चंद हुड्डा: स्पीकरसाहब, रूल के मुताबिक यदि कोई आदमी सरकार का डिफाल्टर हो, जब तक वह आदमी अपने डिफाल्ट को दूर नहीं कर लेता तब तक वह सरकार की कोई भी फ़ैसिलीटीज नहीं ले सकता। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ

कि जो आदमी सरकार का डिफाल्टर है क्या उसको फ़ैसलीटीज दी हुई है अगर दी हुई है तो क्यों दी हुई है?

चौधरी भाम शेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य पता नहीं किस किस की फ़ैसिलीटी के बारे में पूछना चाहते हैं। इनको अपने सवाल में यह बात क्लीयर करनी चाहिए थी कि किस फ़ैसिलीटी के बारे में जानना चाहते हैं। (गोर एव विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मेंबर साहेबान, अब क्वैशन आवर समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित

प्रश्नों के लिखित उत्तर

**Haryana Government cases handled by the private
Advocates of Supreme Court and High Court**

***290. Dr. Bhim Singh Dahiya:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of private Advopcates of Supreme Court and Punjab and Haryana High Court practising in Delhi and Chandigarh respectively, entrusted with Government cases since the date the present Advocate General of Haryana took over the charge;

(b) the descriptions of cases entrusted to each one of the advocates referred to in part (a) above together with the amount of money paid in each case; and

(c) the number of cases involving the Boards and Corporations of Haryana handled by the said Advocate General and the amount of money paid to him in each case?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) से (ग) सूचना इकट्ठी करने में जो समय और परिश्रम लगेगा उससे विशेष लाभ न होगा।

Uniforms to Haryana Roadways Employees

***234. Shri Devi Dass:** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) whether any uniform is given to the Conductors and Drivers of Haryana Roadways; if so, whether the same is made of woollen, cotton or terrycot cloth;

(b) the total amount spent on the supply of the said uniforms during the period from January, 1982 to January, 1983 along with the rate of per metre cloth thereof;

(c) the total amount of expenditure incurred on sewing the said uniforms together with the sewing charge paid per uniform during the said period separately;

(d) the name of the Agency with its address from where the said cloth was purchased; and

(e) whether uniforms are also given to the employees of Haryana Roadways other than the Conductors and Drivers; if so, the categories thereof?

Transport Minister (Col. Rao Ram Singh):

(a) Yes, the conductors and Drivers of Haryana Roadways are provided woollen uniform in winter and terrycot uniform in summer. Malmal cloth for turbans is also given.

(b) The statement at Annexure I is laid on the Table of the House.

(c) (i) Total expenditure incurred on sewing of uniforms: Rs. 404288/-

(ii) Rate of sewing charges paid per uniform:-

(i) Woollen uniform : Rs. 38.10 to Rs. 80.00

(ii) Terrycot uniform : Rs. 18.50 to Rs. 25.00

(d) The Statement at Annexure II is laid on the Table of the House.

(e) Yes, the uniforms are also given to:-

(i) Operational Staff.

(ii) Workshop staff.

(iii) Class IV staff.

Annexure I

(i) Total amount spent on uniforms during the period from January, 1982 to January, 1983 Rs. 2975582/-.

(ii) Rate of Cloth per metre:-

(a) Woollen Serge : Rs. 94.50

(b) Terrycot : (i) Rs. 41.81

(ii) Rs 45.54

(c) Malmal : (i) Rs. 3.31

(ii) Rs. 3.39

Annexure II

(i) Woollen Serge : M/s New Egeton Woollen Mills,
Dhariwal.

(ii) Terrycot Cloth : (i) M/s Jagatjit Cotton Textile Mills
Ltd.,

Phagwara.

: (ii) M/s. Beni Parshad & Co.
Amritsar.

(authorised by M/s J.C.T. Mills
Ltd.)

(iii) Malmal : (i) M/s. Goyal Corp., Chandigarh.

(ii) M/s. Swastika Trading Corp.

Ambala Cantt.

Accidents on G.T. Road in the State

***251. Sh. Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Transport be pleased to state—

- (a) the total number of motor vehicle accidents occurred on G.T. Road in Haryana from 1st September, 1982 to-date;
- (b) the total number of persons died or seriously injured in the above said accidents during the said period; and
- (c) whether the Government proposes to widen the said road at some specific places on G.T. road to facilitate overtaking by heavy vehicles at such specific places only till the four lane road is completed?

परिवहन मंत्री (कर्नल राव राम सिंह):

(क) 193 (28-2-1983)

(ख) मरे 82

घायल हुए 230

(ग) जी हां।

**Benefits to Military Pensioners re-employed in Civil
Departments**

***262. Chaudhri Balvir Singh Grewal:** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether the revised Scale of Pay Rules; 1980 have been made applicable to the military pensioners in the service of Haryana Government;
- (b) whether the benefit of exemption of military pension upto Rs. 125/- while fixing the pay of a military pensioner in the Civil Department has been allowed to all such military pensioners as were in Haryana Government service before or after 1-4-79 upto 1-2-83, if not, the reasons therefore; and
- (c) whether all the military pensioners appointed in Civil Dept. on similar categories of posts before or after 1-4-79 upto 1-2-83 are drawing the same pay scales; if not, the reasons therefor?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

Shortage of Electric Power in the State

***270. Shri Hari Chand Hooda:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether it an acute shortage of electric power in the State at present; if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken to overcome this shortage?

Irrigation and Powder Minister (Ch. Shamsheer Singh Surjewala): There is no acute shortage of electric power in the State at present. Continuous watch is kept to improve the performance of thermal units of the State.

Motilal Nehru School of sports

***285. Shri Kanwal Singh:** Will the Minister of State of Technical Education be pleased to state—

- (a) the total expenditure incurred on the Motilal Nehru School of Sports, Rai During the financial years 1979-80, 1980-81, 1981-82 and 1982-83 to date;
- (b) the total number of students in the School during the years referred to in part (a) above, separately;
- (c) the number of students out of those referred to in part (b) above belonging to scheduled Castes, Backward, Classes and Rural area, separately; and
- (d) whether all the categories of students are charged the same amount of fee or different categories of students are charged differently?

Minister of State of Technical Education (Shri Lachhman Dass Arora): The requisite information has been indicated in the enclosed statement which is placed on the Table of the House.

Statement

(a) The Total expenditure incurred on Motilal Nehru School of Sports, Rai during the financial year 1979-80, 1980-81, 1981-82 and 1982-83 to date is as under:-

	Year 1979-80	Year 1980-81	Year 1981-82	Year 1982-83 (upto Feb. 83)
Plan	1590050/-	3045396/-	1142245/-	482270/-
Non-Plan	4045757/-	4291251/-	4926638/-	4941371/-
Total	5635807/-	7336647/-	6068883/-	5423641/-

(b) Total numbers of students in the School during the years referred to in part (a) above is given below separately:-

Years	Boys	Girls	Total
1979-80	415	144	559

1980-81	406	156	562
1981-82	449	168	617
1982-83	455	150	605

(c) The numbers of students out of those referred to in part (b) above belonging to Scheduled Castes, Backward Classes and rural areas separately are asunder:-

Years	Scheduled Castes	Backward Classes	Rural Area
1979-80	12	4	206
1980-81	14	5	305
1981-82	16	8	324
1982-83	20	9	351

(d) The school fee of Rs. 2500/- per year, but Haryanavee students are charged concessional fee in the following manner:

(a) Students whose presents income is Rs. 500/- or below, will be free.

(b) Students whose presents income is between Rs. 501/- and Rs. 1000/- per month, will pay Rs. 600/- per annum.

- (c) Students whose presents income is between Rs. 1001/- and Rs. 1500/- per month, will pay Rs. 1200/- per annum.
- (d) Students whose presents income is between Rs. 1501/- and Rs. 2000/- per month, will pay Rs. 1800/- per annum.
- (e) Students whose presents income is between Rs. 2000/- will pay Rs. 2500/- per annum.
- (f) Students who are admitted through lateral entry are required to pay full fee of Rs. 2500/- per year.

Upgradation of Schools

***279. Ch. Nar Singh:** Will the Minister of State of Education be pleased to state the constituency wise number of schools upgraded from Primary to Middle and Middle to High Schools during the period from 1978-79 to 1981-82?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा): वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी है।

सूचना

क्र० संख्या	जिले नाम	का कौन नाम	स्टीच्यूए का नाम	प्राथमिक से माध्यमिक	माध्यमिक से उच्च
1	अम्बाला	कालका		5	4
		नारायणगढ़		5	10
		सढौरा		5	2
		छछरोली		7	4
		यमुनानगर		5	2
		जगाधरी		2	3
		मुलानां		6	6

		अम्बाला छावनी	1	—
		अम्बाला भाहर	2	—
		नागल	7	6
		कुल	45	37
2	भिवानी	बढ़ड़ा	7	6
		दादरी	6	3
		मुढ़ालखुर्द	7	3
		भिवानी	2	2
		तो ाम	10	6
		लोहारू	9	8
		बवानी खेड़ा	10	5
		कुल	51	33
3	फरीदाबाद	फरीदाबाद	3	4
		मेवला महाराजपुर	9	4
		बलबगढ़	7	3
		पलवल	6	3

		हसनपुर	5	5
		हथीन	9	6
		कुल	39	25
4	गुड़गांव	फिरोजपुर झिरका	8	6
		नूह	12	1
		तावडू	10	6
		सोहना	5	3
		गुड़गांव	5	3
		पटौदी	5	3
		कुल	45	25
5	हिसार	बरवाला	4	2
		नारनौद	4	6
		हांसी	6	5
		भट्टूकलां	18	10
		हिसार	2	3
		धिराये	5	10

		टोहाना	14	6
		रजिया	6	7
		फतेहाबाद	10	7
		आदमपुर	19	14
		कुल	88	70
6	जींद	कलायत	4	4
		नरवाना	9	4
		उचाना कलां	5	6
		राजोंद	4	2
		जुलाना	7	7
		जींद	10	3
		सफीदों	11	3
		कुल	50	29
7	करनाल	इंद्री	11	6
		नीलोखेड़ी	9	5
		करनाल	—	2

		जुंडला	8	5
		घरोंडा	11	3
		अंसध	4	6
		पानीपत	4	1
		सामलखां	4	3
		नौलथा	3	3
		कुल	54	34
8	कुरुक्षेत्र	भाहबाद	9	3
		रादौर	7	5
		थानेसर	9	5
		पिहोवा	7	4
		गुहला	7	3
		कैथल	2	4
		पुण्डरी	6	6
		पाई	3	1
		कुल	50	31

9	महेन्द्रगढ़	बावल	9	6
		रिवड़ी	7	5
		जाटूसाना	8	4
		महेन्द्रगढ़	11	7
		अटेली	11	8
		नारनौल	7	3
		कुल	53	33
10	रोहतक	हसनगढ़	3	6
		किलोई	2	2
		रोहतक	—	1
		महम	3	9
		कलानौर	9	5
		बेरी	6	5
		साहलावास	13	6
		झज्जर	5	6
		बादली	7	3

		बहादुरगढ़	10	8
		कुल	58	51
11	सोनीपत	बरोदा	3	8
		गोहाना	6	5
		कैलाना	15	9
		सोनीपत	2	3
		राई	4	3
		रोहट	4	4
		कुल	34	32
12	सिरसा	ऐलनाबाद	1	3
		सिरसा	12	3
		रोड़ी	15	5
		डबवाली	9	5
		दड़बाकलां	11	5
		कुल	51	21
		कुल जोड़	618	421

Sugar Mill at Shahabad

***309. Shri Nirmal Singh:** Will the Minister for Cooproration be pleased to state—

- (a) whether any cooperative Sugar Mill is proposed to be set up at Shahabad; and
- (b) if so, details of the areas proposed to be brought unde the operation of the said Mill?

सहकारिता मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह):

(क) जी हां ।

(ख) प्रचालन क्षेत्र हरियाणा गन्ना नियंत्रण बोर्ड द्वारा चीनी मिल के कार्य आरम्भ करने के समय नियत किया जायेगा ।

Prevention of Blindness

***325. Master Shiv Parshad:** Will the Minister be healthe be pleased to state—

- (a) whether any scheme has been formulated for the prevention of belindness in the State;
- (b) whether any grant is being received from the Government of India for the scheme, referred to in part (a) above, if

any formulated; if so, the amount so received during the year 1982-83 (to date); and

(c) whether the Government proposes to provide eye specialists in the rural primary health centres in the State for the Treatment of eye diseases of rural people?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) जी हां।

(ख) जी हां। वर्ष 1982-83 में अब तक भारत सरकार द्वारा 4.79 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई

(क) जी नहीं।

श्री हरि चंद हुड्डा: स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि * * * * * * * * * *
* * * * * (गोर एवं विघ्न)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है * * * * * * * * * *
* (गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यह जो पर्सनल बातें हुई हैं, इन को रिकार्ड न किया जाये।

ब्रीच आफ प्रिवलिज का प्र न-

चौधरी हरद्वारी लाल, वाइस चांसलर, महर्षि दयानंद युनिवर्सिटी

रोहतक संबंधी

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं एक बहुत ही सीरियस बात कहना चाहता हूं कि कल जब हम यहां आए तो चैम्बर से बाहर जो मैंबर्ज के हस्ताक्षर करने के लिये रिजस्टररखा हुआ है, उस जगह पर एक आदमी इस रंग का पम्फ्लैट बांट रहा था जो इस समय मेरें हाथ मे है। उस आदमी ने मुझे वह पम्फ्लैट लेने के लिये कहा। मैंने उसे कहा कि यह क्या है? उस आदमी ने कहा कि वाइस चांसलर श्री हरद्वारी लाल जी ने यह पम्फ्लैट लिखा हैं मैंने उसे कहाकि रहने दीजिए मुझे यह पम्फ्लैट नहीं पढ़ना, आप यह पम्फ्लैट श्री हरद्वारी लाल जी को वापिस दे दीजिये। स्पीकर साहब, बाद मे वह पम्फ्लैट मैंने अपने साथियों से लिया औरा बड़े गौर से पढ़ां उन्होंने इस पम्फ्लैट मे प्रैस की भी काफी आलोचना की है। चलो यह बात जो प्रैस वाले जाने, उनको प्रैस के बारे मे कहने का संवैधानिक अधिकार है। स्पीकर सहाब, उन्होंने इस हाउस के बारे मे भी इस पम्फ्लैट मे बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने इस हाउस की डिगनिटी को अंडरमाइन किया है। स्पीकर साहब, उन्होंने आप पर भी एसप नि किये है। उन्होने इस पम्फ्लैट मे माननीय सदस्यों का हयूभिलेटिंग ढंग से जिक्र

किया है। सभी माननीय सदस्यों को मीन कहा है। और यह भी कहा है कि सभी सदस्य उन स्कूपलस हैं वे जो गालियां उन्होंने दी है। उन्होंने गवर्नर साहब को भी नहीं बख्शा। उन्होंने अपने पम्फ्लैट में यह भी लिखा है कि गवर्नर साहब ने जो कार्यवाही की थी, वह गलत की थी। उन्होंने गवर्नमेंट को भी नहीं बख्शा। उन्होंने गवर्नमेंट के बारे में लिखा है कि कैबिनेट के मिनिस्टर्स ने मेरे खिलाफ साजिश की थी और मैमोरेण्डम लिखवाए थे। (गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, सारी बातें क्लियर हो गई है। आपने जो प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया था, वह मुझे मिल गया है, मैं उसे कंसिडर कर रहा हूँ। (गोर)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह मामला बहुत ही सीरियस है यह प्रिविलेज मोशन का नोटिस सारी अपोजीशन के मेंबर्स ने दिया है और उस नोटिस से ट्रेजरी बेंचिज को भी कंसिडर होना चाहिए। यह सारे हाउस की इज्जत का सवाल है। कोई आदमी अबव बोर्ड नहीं है। श्री हरद्वारी लाल ने अपने आपको एंजल प्रोजेक्ट किया है और हम सब को अंडरमाइन किया है। आप उस प्रिविलेज मोशन के नोटिस को एडमिट कीजिए और प्रिविलेज कमेटी को भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, मैं उसे कंसिडर कर रहा हूँ। जो भी फैसला होगा उसका जवाब आपने पास भेज दिया जायेगा।

विभिन्न विशयों का उठाया जाना—

गांव बोहड़ाकलां मे व्यापत डर तथा भय संबंधी

श्री राम विलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैंने आपकी सेवा मे एक काल अटैं इन मो इन का नोटिस दिया था कि गुड़गांवा जैसे मे बोहड़ा कलां गांव मे भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत जबरदस्त आंदोलन ही रहा है और वहां के लोगों मे जुल्म के खिलाफ बहुत असंतोश हैं मैंने अपनी काल अटैं इन मोशन के नोटिस के साथ गुड़गांवा जिले की 93 पंचायतों के हस्ताक्षरों का एक पत्र भी जोड़रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करुंगा कि आप मेरे काल अटैंशन मो इन को स्वीकर करे और सरकार से कहे कि वह इस बारे मे अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

श्री अध्यक्ष: मैं उसे कंसिडर कर रहा हूं। जो भी फैसला होगा उसका जवाब आपके पास भेज दिया जायेगा।

प्वायंट आफ आर्डर—

विधान भवन मे मैम्बर्ज को पम्फलैट/पब्लिके इन डिस्ट्रीब्यूट करने संबंधी

श्री हीरा नंद आर्य: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। कल जब चेयरमैन साहब हाउस को प्रिजाइड कर रहे थे उस समय मेने यह क्वै चन रेज किया था कि श्री हरद्वारी लाल द्वारा लिखित पम्फलैट बांटा गया था। स्पीकर साहब, चैम्बर के गेट पर यहां मैंबर साहेबान रजिस्टर मे साईन करते है, उस जगह पर वह पम्फलैट बांटा गया था। उस पम्फलैट के आपके खिलाफ और दूसरे सभी माननीय सदस्यों के खिलाफ बहुत अ गोभनीय बातों की चर्चा की हुई है। इस संबंध मे मैने कल भी क्वै चखन रेज किया था उस समय चेयरमैन साहब ने यह आ वासन दियाथा कि वे इसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे कि आया इस प्रकार का कोई पम्फलैट विधानसभा की परसिंकटस के अंदर बांटा जा सकता है या नही। उन्होंने इस बारे मे अपनी रूलिंग रिजर्व रखी थी। स्पीकर साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो पम्फलैट बांटा गया है आया वह आपकी इजाजत से बांटा गया है या विधान सभा के किसी एम्पलाई की तरफ से बांटा गया है?

श्री अध्यक्ष: हमारा कोई एम्पलाई बिना परमि उन के ऐसा पम्फलैट डिस्ट्रीब्यूट नही कर सकतां अगर विधान सभा के किसी एम्पलाई ने वह पम्फलैट मैंबर साहेबान को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो मैं उस एम्पलाई के खिलाफ सख्त एक् उन लूंगा।

प्रोफेसर सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मेरे पास एक नौजवान आयाथा वह हरियाणा कनफैड के आसि मे सर्विस करता

था। उसको कनफैड से 30 महीने तक की तनखाह अब तक नहीं मिली है। उस कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया था। उसको पहले बहुत थोड़ी तनखाह दी जाती थी। उसको सस्पेंडान पीरियड का अलाउंस भी नहीं दिया गया है। उस आदमी ने धमकी दी है.....(गोर एवं विधन)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय जब तक आप किसी मैनबर को बोलने की इजाजत नहीं देंगे तो वह बात रिकार्ड नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जब तक कोई मैनबर किसी विशय के बारे में आपकी लिख कर के नहीं देता है, उसको उस विशय पर बोलने के इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने आपको लिख करके कोई भी नोटिस नहीं दिया है फिर भी यह आपकी इजाजत के बगैर बोल रहे हैं। इसलिये इनकी बातों का रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिए। (गोर एवं विधन)

Mr. Speaker: I would request the hon. Member go please give a proper notice for any matter that he wishes to raise. I will not permit it to be raised like this.

डा० ओम प्रकाश भार्गव: स्पीकर साहब, सदन के अंदर हुड्डा साहब ने जो लीडर आफ दि हाउस की भान के खिलाफ बात कही है, वह अपनी नमी के कारण ही कही है। कुछ लोग आपकी नमी का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। * * *

* * * यह बात मुझे बड़े खेद के साथ कहनी पड़ रही है। (गोर)

श्री हरि चंद हुड्डा: स्पीकर सहाब, मैं बड़ी नमी से एक बात और कहना चाहता हूँ। (गोर)

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये। As I have already ordered, the personal exchanges that have taken place between you and the Leader of the House will not be recorded.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, हरद्वारी लाल जी के खिलाफ प्रिवलेज मो इन लाने की बात डा० मंगल सैन जी ने कही है। इस संबंध मे मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, मैं उसे सभी कंसिडर कर रहा हूँ।

श्रीमती चन्द्रावती: जो बात सम्पत सिंह जी ने कही है, वह भी मैं कहना चाहती हूँ। स्पीकर साहब, मेरे पास भी एक चिट्ठी आई है। (गोर)

चौधरी भजन लाल: आप लिख कर नोटिस दे।

Mr. Speaker: I have already said that a proper notice for that may be given.

अध्यक्ष द्वारा घोशणा—

इलैक्ट्रानिक वोटिंग म तिन संबंधी

Mr. Speaker: Now I am making an announcement. The Chief Electoral Officer of Haryana has arranged to display the latest model of the electronic voting machine today, the 23rd March, 1983 from 10 a.m. to 3 p.m. in the Committee Room of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat. Hon'ble Members may please see the electronic voting machine in batches of 5 to 15.

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 24th March, 1983.

Mr. Speaker: Motion moved—

That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 24th March, 1983.

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर माहेदय, मंत्री जी ने रूल 30 को सस्पेंड करने के लिये कहा है। बृहस्पतिवार जो नौन आफि टायल डे होता है उसको सरकार औफि टायल डे में कन्वर्ट करना चाहती है और इसलिये यह प्रस्ताव लाए है। आप भी

महसूस करते होंगे कि मੈंबरो को बोलने के लिये पूरा समय दिया जा रहा है इस सदन के मੈंबर होने के नाते हम प्रांत के लोगो के कहतोंकी बात यह और को बात यहां पर ही कह सकते हैं स्पीकर साहब, जितने भी स्टेट के सब्जैक्ट है उसके बारे मे विधान सभा मे ही खुले तोर से पूछा जा सकता है और यही एक ऐसा मौक है यहां पर हर विधायक अपनी बात कह सकता है। नौन आफि ियल डे का जो कांस्टीच्यू िन के अंदर प्रोवीजन है उसी के आाध पर कोई मॅंबर अपनी बात अलग से कह सकता है यह नौन आफि िशिल डे इसलिये बनाया गया है कि कोई भी मो िन लाने से पहले वह सैक्रेटरी साहब के पास जाता है वहा पर नम्बर लगता है फिर कहीं जाकर उस पर आगे बहस चलती है स्पीकर सहाब ये हमारे अधिकार छीनना चाहते है। आज डैमोक्रेसी का तकाजा यही है कि हरि विधायक अपनी आत साफ साफ कर सके। यदि इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है तो विधायकों को अपने विचार प्रकट करने का मौका नही मिलेगा औरन ही कोई विधायक अपने ख्याल इमजाद कर सकेगा। यदि इस तरह से काम चलता रहा तो लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नही रहेगी। इस संबंध मे मेरी आप से प्रार्थन है कि आप इस प्रस्ताव पर दोबरा गौर करे। अंत मे मैं इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए सदन से प्रार्थन करता हूं कि इसे पास न किया जाये।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनोंद): स्पीकर साहब जब से मौजूदा असैम्बली का इजलास भुरू ह आ है और वि ि तौरपर

जब से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी मीटिंग हुई है उसी समय से हम लगातार यही कोर्नर करते रहे हैं कि वर्तमान सत्र का समय बढ़ाया जाये। जिससमय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी मीटिंग हुई है, उसी समय से हम लगातार यही कोर्नर करते रहे हैं कि वर्तमान सत्र का समय बढ़ाया जाये। जिस समय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही थी उस समय इतफाक से मैं औरराव निहाल सिंह जी भी आपके चेंबर में मौजूद थे। मैं खूद फील कर रहा था कि सरकार, बोलने के लिये हमें कम समय दे रही है आप भी चाहते थे कि समय और दिया जाना चाहिए क्योंकि जो समय सरकार देने जा रही है वह मੈबरों को बोलने के लिये कम है और आपकी आत्मा भी कहती थी कि कम समय दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप मेरी आत्मा के बारे में कैसे कह सकते हैं कि मैं क्या चाह रहा हूँ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आपके सामने रूलज आफ प्रोसीजर थे, जिनके कारण समय बढ़ाने में आप भी मजबूर थे। हमने हर मुमकिन कोर्नर की कि समय बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन ट्रेजरी बैचिज की तरफ से अभी तक मुश्किल से सिर्फ 10 विधायक ही बोल पाये हैं और हमारे दल के भी मुश्किल से सिर्फ 7-8 ही विधायक ही बोल पाये हैं। बाकी मੈबरों को न तो बजट पर बोलने का मौका मिला और न ही डिमांडों पर बोलने का मौका मिल पाया है। अगर इसी तरीके से काम चलता रहा हतो

आज एप्रोप्रिए इन बिलों पर भी मुक्ति कल से एक घंटा या सवा घंटा ही मँबर बोल पायेंगे। इस बार हमारे समय बढ़ाने की कोशिश आखिरी कोशिश होगी, क्योंकि फिर तो हाउस समाप्त होने जा रहा है। इस संबंध में मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि नौन आफि यल डे को आफि यल डे में कन्वर्ट न किया जाये। यदि ऐसा किया जाता है तो हमारे अधिकारों पर कुठाराघात किया जायेगा हमारी तरफ से भी दो रैजोल्यूशन थे और धीमाज साहब की तरफ से था। अभी मँबरों ने उन पर अपने विचार प्रकट कर सके। जो प्रस्ताव ला रहे हैं उससे ये हमारे ऊपर कोई रहम नहीं कर रहे। स्पीकर साहब, जैसा कि चर्चा चल रही है कि ये सै इन के आखिरी मुख्य मंत्री होंगे। ये जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस परदे में इतिहास लिखा जायेगा और उसके साथ साथ इनके संबंध में अनैमोकेटिक भी लिखा जायेगा। स्पीकर साहब, प्राइवेट बात करते समय यह कहते हैं कि दुबारा सै इन बुलाने पर बहुत खर्चा आयेगा। मैं इन को अपने दल की तरफ से कहता हूँ कि तीन चार छुट्टियों के बाद जब भी हम सै इन के लिये दोबारा इकट्ठे होंगे, यदि इन मुद्दों पर चर्चा हो जाती है, जो हाउस के सामने पेश है तो हम उन दिनों का कोई अलाउंस या भत्ता वगैरह नहीं लेंगे। यदि इसके बाद भी ये नहीं मानेंगे तो मैं यही कहूँगा कि—

अजब दस्तुर जबां बंदी है तेरी महफिल में,

कि यहां कुछ कहने को तरसती है जबां मेरी।

श्रीमती चंद्रावती (बाढडा): ट्रेजरी बेंचिज कीतरफ से जो मो इन रूल 30 के तहत लाई गयी है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ी हुई हूं। स्पीकर सहाब, यह प्रस्ताव लाने से पहले जब बी0ए0सी0 की मीटिंग हो रही थी, उस समय गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रतिनिधि थे ओरहमारे भी प्रतिनिधि थे। उस समय हमाने बारबार यह कहा था कि इसनौन आफिं गिल डे कोआफिं गिल डे मे कंवर्ट न किया जाये। इस बात कोप्रत्येक मँबर चाहता है कि चाहे वह अपोजी इन का है या टैजरी बेंचिज का कि इसे आफिं गिल डे न बनाया जाये। जिस तरह से डैमोक्रेसी मे हमारे डैमोक्रेटिक अधिकार है, यह भी उन अधिकारों का एक अंग है, इसलिये हमें बोलने का अवसर मिलना चाहिए ताकि मँबर साहेबान अपने हल्के की बात कह सके। सै इन का टाईम बढाने के लिये हमने बार बार अर्ज की थी, लेनिये माने हीनही। जैसा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह नेकहा कि अगर खर्चा ज्यादा होने की बात है तोहम इन दिनों का भत्ता नही लेंगे, मैं भी इस बात का समर्थन करती हूं। और आपसे रिक्वैस्ट करती हूं कि हाउस को एक्सटेंड किया जाये।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की तीसरी रिपोर्ट जब सदन ने एडाप्ट की थी, उस वक्त हाउस को एक्सटेंड करने पर विस्तार से विचार हुआ था और इन्ही तीन माननीय सदस्यों ने हाउस मे चर्चा की थी। अब रूल 30 की मो इन जो

हाउस मे आई है ,यह तो एक फार्मैलटी है लेकिन फिर भी हाउस के मेंबरान ने इसका फैसला करना है। अध्यक्ष महोदय, डा0 मंगल सैन जी ने कहा कि उनके इलाके पर बड़ी भारी छापा मारा है। नान आफिं गयल-डे को आफिं गयल-डे मे कन्वर्ट करने के सिलसिले मे पहले ही काफी बाते हो चुकी है, मैं दउनबातों को इस वक्त रिपीट नही करना चाहता। उस वक्त माननीय सदस्यों का जो सुझाव था, उस पर विस्तारसे डिस्क गन हुई थी। धमीजा साहब के रैजोल्यू गन पर इन्होंने भुरु से ही कहा था कि वे इस पर डिस्क गन नही करना चाहते लेकिन फिरभी उस पर डिस्क गन भुरु हुई क्योंकि उस पर 12-14 आदमी हमारी तरफ से भी बोलना चाहते थे। हमने अपने मेंबरों का हक काट कर अपोजी गन की बात मानी। इनकी मांग का एतराम करते हुए हमने 25-3-83 को नान आफिं गयल-डे को आफिं गयल-डे मे कन्वर्ट किया ताकि इनको डिफरेंट मैटर्ज पर बोलने के लिये ज्यादा वक्त मिल सके। स्पीकर साहब, इस के खिलाफ इनके पास कोई दलील नही है और बार बार एक ही बात को रिपीट करते है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने एक भोर पढा है, मुझे भोयरो भायरी तो आती नही लेकिन इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं-

नजर उनकी, जुबां उनकी फिर भी तजबुजब है,

नजर कुछ कहती है, जुबां कुछ कहती है उनकी।

ये अपोजी इन के लोग सिर्फ अपोज करने के लिये ऐसा कर रहे हैं, बात कुछ भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आजकल किसी की जुबान पर कंट्रोल नहीं है, जो मर्जी आये कह सकते हैं। अभी श्री ओम प्रकाश जी फरमा गये कि डैमोक्रेसी खत्म होने वाली है। (व्यवधान)

मास्टर रिटिव प्रोप्राइटर (अम्बाला भाहर): स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया कि वे गैर सरकारी दिन को सरकारी दिन में बदल रहे हैं और सरकारी बिजनेस टेक अप करना चाहते हैं। इस के बारे में मेरा एक सुझाव है कि जिस मेम्बर की तरफ से रैजाल्यू इन आया है, अगर वे अपने प्रस्ताव को विदग्ध कर रहे हैं, फिर तो इस दिन को आफिशियल डे कर लिया जाये वरना जो बिजनेस आलरेडील तय हो चुका है, उसके मुताबिक ही काम होना चाहिए।

Mr. Speaker: Question is—

That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 24th March, 1983.

The motion was carried

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, मैं सुझाव देना चाहता हूँ अगर

आपकी इजाजत हो तो दोनों एप्रोप्रि एन बिलज इकट्ठे ही मूव कर दिये जाये और दोनों पर इकट्ठी ही डिस्क एन हो जाये।

Mr. Speaker: Is it the sense of the House?

आवाजे: ठीक है जो, दोनों बिल इकट्ठे ही मूव कर दिये जाये।

Mr. Speaker: Al right.

बिलज

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिए एन (नं० २) बिल, १९८३

(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिए एन (नं० २) बिल, १९८३

Finance Minister (Ch. Katar Singh Chhokar): Sir, I beg to introduce—

(i) the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1983, and

(ii) the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1983,

Sir, I also beg to move—

(i) That the Haryana appropriation (No. 2) Bill, be taken into consideration at once.

(ii) That the Haryana appropriation (No. 1) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

(i) That the Haryana appropriation (No. 2) Bill, be taken into consideration at once.

(ii) That the Haryana appropriation (No. 1) Bill, be taken into consideration at once.

As decided, these Bills will be discussed together and the hon'ble Members can speak on them. But, the motion in respect these Bill, will be put to vote separately.

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, सदन मे एप्रोप्रिए इन बिल नं0 1 और 2 पर विचार करने के लिये मंत्री महोदय ने प्रस्ताव रखा है। जिस दिन सप्लीमेंटरी एस्टीमेटस सदन मे पेश हुए थे, उस दिन हम वाक आउट कर गये थे औरह मे अपनी बात कहने का मौका नही मिला थता। लेकिन आज 51, 91, 99, 316 रूपये की मांगों पर खर्चा करने के लिये सदन की स्पीकृती मांग रहे है। स्पीकर साहब 1982-83 मे इन्होंने यह रूपया खर्च कर दिया है। स्पीकर साहब, आप जरा गौर फरमाये, किस बेरहमी के साथक जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को मिसयूज किया जा रहा है। फाईनैस मिनिस्टर बड़े धिसेपिटे अंदाज मे, बड़ी बात कहनी थी तो काई वजनदार बात कहते और हम उनकी बात को स्वीकार कर लेते। ये तो कमजोर मुकददमे के कमजोर वकील है। इनका सदन मे बहुमत है। इसलिये सदनकमे बिल लेते आओ और पास करवाते चलो। स्पीकर साहब, डैमोक्रेटिक फार्म आफ गवर्नमेंट मेक और पालियामेंटरी सिस्टम आफ गवर्नमेंट मे हमे अपनी बात कहने का अधिकारी है।

इन्होंने डिमांड नं0 2 के तहत जो रूपया खर्च किया है। इस खर्च को जस्टिफाई करने के लिये इन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। हां, जो टैक्स लगाया है उसकी वकालत जरूर कर दी कि इस टैक्स का आम आदमी पर कोई असर नहीं होने वाला है। इन्होंने इस बात पर कुछ नहीं कहा कि छोटी कैबिनेट होनी चाहिए निगम तोड़ देने चाहिए। जहां तक इररैगुलेरिटीज का ताल्लुक है, इस बारे में सदन में काफी चर्चा हो चुकी है, मैं इस पवर ज्यादा नहीं कहूंगा। डिमांड नं0 3 पुलिस विभाग से संबंध रखती है। इसमें कुछ एडी अनल पोस्टें क्रिएट की गई है। चौधरी भजन लाल जी ने हाएस को बताया था कि 1982 में 1722 आदमीर नये रख थे, लेकिन दूसरी तरफ गरीबों को हटाया गया। वे कुछ सुविधाये लेना चाहते थे, उनकी कुछ कठिनाईयां थी, जिनको वे हल करवाना चाहते थे। लेकिन बजाये उनकी कठिनाईयों को हल करने के, इन्होंने उनको नौकरियों से निकाल दिया। इसके वाबलूद भी ये समझते हैं कि पुलिस इन्हें इमदाद देगी और जब ये चुनाव क्षेत्र में जायेंगे तो पुलिस इनके आगे पीछे होगी। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी ई वर सिंह पदासीन हुए) ये जनता पररोब डालने के लिये पुलिस वालों को ले जाते हैं। अंदर की कहानी तो पुलिस वाले ही जानते हैं।

Now, sir, i refer you to demand No. 5 wherein an additional amount of Rs. 1631020 has been asked for "(i) sanctioning of additional posts to ensure effective and

salutary measures against illicit distillation and sale of sup0erious/;adultrated liquor which if not checked can l3ead to boock tragedies and (ii).....” Further, an additional amount of Rs. 11385568 has been demanded on account of (i) sanctioning of additional posts (ii) grant of instalments of additional drarness allowance (iii) extensive touring by the eforcemnet stalff foir condemned vehicles, purchaswe of nwe cvbehcil efor mobile cheking units of important sales tax check barriers etc.

चेयरमैन साहब, सन् 1981 और 1982 के साल मे कालांवाली और नरवारलन मे नकली भाराब पीने से कितने आदमी मर गये थे। नरवाश्ना मे चौधरी भाम रेर सिंह जी का हल्का है। वहां कुछ लोग मरे थे कुछ अंधे हो गये थे लेकिन आज तक अपराधियों के खिलाफ कोई कारगर कार्यवाही नहीं की गई। रूपया तो ये लें लेंगे लेकिन उस का असर कुछ भी नहीं। चेयरमैन साहब, डिमांड नम्बर आठ मे फरमाते है कि जहां पर मंत्री रहते है।, उनकी बिल्डिंग की फरनि ांग के लिये और ज्यादा पैसे की आव यकता होगी क्योंकि प्राइसिज बहुत हाई हो गये है। डिमांड नम्बर नौ मे नेहरा साहब ने भी पनैसा मांगा है। यह पैसा कालेजिज के लिये मांगा गया है। यह तो बड़ी अच्छी बात है कि प्राइवेट कालेजिज की 95 परसैंट लौस को सरकार करवर करती है। जहां सरकार कालेजिज की बात कर रही है। वहां स्कूलों को भी सुविधायें देनी चाहिए। चेयरमैन साहब, अब तो प्राइवेट स्कूलों के टीचर्ज ने अपना एजीटेशन भी वापिस ले लिया है। आप लोगो की प्रैस्टिज का भी प्वायंट नहीं रहा। प्राइवेट स्कूलों के

टीचर्ज यहां आये थे और उन्होंने आंदोलन किया था। लेकिन अब वह वापिस ले लिया है इस लियेक अब तो इनकी बात सरकार को मान लेनी चाहिए। इन लोगो की दो मेन डिमांडज है, एक तो टेजरी से तनखाह और दूसरे गवर्नमेंट सर्वेटस के बराबर का ए0डी0ए0। तीसरी डिमांड मैडिकल फौसिलिटीज के बारे मे है। वह भी सरकार को मान लेनी चाहिए क्योकि बीमारियां तो सभी के लिये बराबर होती है। चेयरमैन साहब, इन्होने 83 लाख रूपये मे से 8 लाख रूपया दयानंद महर्शि यूनिवर्सिटी के लिये मांगा हैं। चेयरमैन साहब, इसके बारे मे तो मैं कल बिल पर ही बोलूंगा। लेकिन हाउस को बताना चाहता हूं िदुल्लत साहब की रिपोर्ट 58 पेज की है। उसरिपोर्ट मे और वे किस प्रकार के थे। इससे अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि म्यूनिसिपल कमेटी को बड़ी उदारता से पैसा दिया जाना चाहिए। हरियाणा प्रांत की आबादी एक करोड़ 30 लाख बनती है, और हरियाणा की कुल आबादी का 30 परसैंट हिस्सा भाहरों मे रहता है। आप गांवों पर 70 परसैंट पैसा खर्च करें लेकिन 30 परसैंअ भाहरों पर भी तो करना चाहिए। अगर आप सही सही पैसा इयर मार्क करे तो किसी को किसी प्रकार का उल्हानाही न हरे। चेयरमैन साहब, इन्होंने एक डिमांड नं0 13 रखी हैं एक स्टेट ग्रिवैन्सिज कमेटी बनाई हुई है। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि इस कमेटी का क्या काम है, यह मिनिस्टर्स ने लोगो के ग्रिवैन्सिज सुनने बंद कर दिये है, इसलिये यह कमेटी बनायी है या किसी और कारण से बनाई है। जब आप टूल पर जाते हो तो टूर प्रोग्राम मे लिखा

जाता है कि आप लोगोके के ग्रिवेसिज सुनने के लिये जा रहे है अब पता नही यह कमेटी किस लिये बनाई है ? दूर प्रोग्राम ग्रिवेसिज सुनने के लिये होता हे । हमो पास तो इन लोगो का दूर प्रोग्राम भी नही आता है । सरदार लछमन सिंह का पहुंच जाता है लेकिन भामेरेर सिंह जी और सरदार हरपाल सिंह जी का तो पहुंचता ही नही । गलती से कभी कभी फूल चंद जी का भी पहुंच जाता है । चेयरमैन साहब, मे यह प्रार्थना कर रहा था कि उस दूर प्रोग्राम मे लिखा होता है कि फलां जहह पर जायेंगे और लोगो के ग्रिवेसिज सुनेंगे । जब आप ग्रिवेसिज सेनुते है तो ये नयी नपयी कमेटीया बनाने की क्या आवस्यकता है? क्याये कमेटीया इसलिये बनाई जाती है कि जे लाग पालिटिकनी डिस् ग्रेन्ल्ड है, उनको एडजस्ट किया जा सके?

इनकी मजबूरी हम समझते है । आप उनको कुछ चीजे देना चाहते है, बख्शी । देना चाहते है तो कुछ और दीजिये । चीफ मिनिस्टर साहब, यहां पर बैठे नही है । उनकी गैर मौजूदगी मे कुछ कहता मै अच्छानही लगता । बड़ी खुशी होगी, अगर इनकी प्रोमोशन हो जाये जैसे कि पिछले दिनो खबर आयी थी कि इनको भायद सर्वेअर मे लिश्या जा रहा है । हमे इसमे कोइ अरमान नही है यही पर रो तो भी ठीक है । गवान इनकी जो थोड़ी बहुत तकलीफ है, उनसको दूर कर दे और यह ठीक हो जाये ताकि अइच्ची तरह से काम कर सके । मै यह कहना चाहता हूं, चेयरमैन साहब, कि इस ग्रिवेसिज कमेटी का कोइ तमलब ही

नही है यह फिजूल है, आलपैसरी है ओर यह एक्सबैकर के ऊपर बोझ है यह हरियाणा के किसान, मजदूर छोटे व्यापारी और मेहनतक़ा आदमी के गाढ़े पसीने के पैसा का मिसयूज करने वाले बात है। चेयमैन साहब, इसमे ओल्ड ऐज पेंशन के लिये भी पैसा रखा गया है। यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। बहिन जी बैठी नहीं है यह बात तो उनकी तारीफ़ के काबिल है। ये स्वयं हरिजन ओर गरीब परिवार से संबन्ध रखती है। इसलिये वे गरीब आदमियों के दुख को जानती हैं इसके अलावा उन्होंने अपने डिमापटमेंट के राइट रिलीफ़ के लिये एक लाख रूपयामांगा है मैं जानता हूँ कि कहीं पर राइट्स हो गये जहाँ रिलीफ़ देने के लिये रूपयामांगा कयगा है क्या हरियाणा में कहीं पर राइट्स हो गये या दंगे हो गये या यह पैसा पंजाब में भेजा है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस गवर्नमेंट फेल हो रही है। ला एण्ड आर्डर को मैनटेन करने के लिये पंजाब परमेंट नाकामयाब है वहाँ पर रोज़ बेचारे निरंकारी लोगो को गोलियों से मारा जाता है ओर उनको मारकर वे उग्रवादी या एक्सट्रीमेस्टस नानकर निसास के आंदर के अंदर घुस जाते हैं। क्या आपसे वहाँ पर यह रूपया भेजना है यह किसव परपज के लिये मांगा जा रहा है इसके बारे में आप पेज 60 पर देखें, उसमें यह लिखा हुआ है—

“Relief to persons affected by riots Rs 50000 (Non-recurring) That scheme provides, for relief to persons affected by riots for which a sum of Rs. 1 lakh was provided in Budget Estimantes 1982-83. Government decided to donate cash as

well as supply blankets to the Palestinian refugees who were victims of Israeli aggression.....”

चेयरमैन साहब, आप देखिए, हरियाणा सरकार को दर्द जागता है इसरायल के एग्रेगेशन के खिलाफ फिलोसीलो रिफयुजियों के लिये। उसके लिये ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे है। चेयरमैन साहब, यह इंटरफैल मांमला है। इस मे क्यां ये अपने आपको इंवाल्व कर हरहे है पहले यह हरियाणा का ही दुख तो दूर कर ले। हरियाणा के गरीबों का दुख दूर कर ले। अगर भेजना ही है तो रूपयाआसाम के उन उजड़े हुए लोगों के लिये भेजों जिनकी कांग्रेस की केन्द्रीय सरकार ने अपनी बी०एस०एफ० से ओर सी०आर०पी०एफ० से मरवा दिया। वहां पर जो साढ़े चार हजार आदमियों को मार कर फेक इलैक्ट्रिक करवाये है, उकनो फ़ैमलीज को बसाने के लिये भेजों अगर आप आसाम के उजड़े आम लोगों के लिये यह पैसा भेजते तो हम मानते लेकिन आप तो भेज रहे हो फिलीस्तीनियों को। ये ऐसे काम कर रहे है। चौधरी कटार सिंह जी जैसे एंग्रेजिंग मिनिस्टर जब यहां पर बैठे हुए है तो इनकी कटार इधर चलनी चाहिए। लेकिन उनकी कटार इधर तो चलती नही इसी तरह से अब मैं डिमांड नं० 16 पर कुछड कहूंगा। सरदार लछमन सिंह जी ने सेंट्रल सबसिडी, बैकवर्ड एरियाज के लिये 10 प्रति सत से बढ़ा कर 15 प्रति सत करने की वजह से कुछरूपया मांगा है और उनका कहना यह है कि यह रूपया गवर्नमेंट आफ इंडिया देगी। मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट आफ इंडिया को , जो उसने

किसी एरिया को बैकवर्ड एरियाडिकलेयर करने का कार्टेरिया बना रखा है, उसको रिवाईज करने के लिये खियालासं। धर्म जी साहब, कुछ कागज पस्द रहे है। इस सज्जन पुरुश मे गांधी जी की आवाज है, वे भाक्ल सूरत से भी गांधीवादी लगते है। उन्होंने गरीबों की बात रखनी चाही थी लेकिन इन्होंने मासूम कली को रौंद कर रख किदया। चेयरमैन साहब, लछमन सिंह जी मैं क्या कहूं। हमे परवानु बुलाकरखुद इधरचले गये । इन्होंने यह कहा है कि “Grant of 20 % subsidy for the purchase of generating sets..” चेयरमैन सहाब, यह बिल्कुल ठीक बात है। हरियाणा का बिजली बोर्ड मोस्ट अन सर्टन है, बिजली की सप्लाई के बारे मे इन्के एक् इंज मोस्ट अन सर्टन है। कि कब बिजली चली जायेगी और कब आ जायेगी किसी को कुछ पता नही है। आपने देखा है कि जब असैम्बलीर का सैक्शन नजदीक आयेगा त्यों त्यों, सारे अफसर भागेंगे ताकि चौधरी भामदेर सिंह जी को सदन मे यह कहने का कोई कठिनाई न हो कि हब बिजली मे कोई कटौती नही है। अब पूरी बिजली दी जा रही है। जब हम घर जायेंगे तो फिर बिजली गायब हो जायेगी। पता इनको भी है कि 6 महीने तक फिर कोई बोलने वाला नही है। यह जो इंडस्ट्रीज वालों को जनरेटिंग सेंटस के लिये सबसिडी दी जा रही है यह बहुत अच्छी बात है मेरा कहना यह है कि यह ठीक लोगो को जैनुयन लोगो को मिलनी चाहिए। चेयरमैन साहब, साहब मैं एक और बात के बारे मे कहना चाहता हूं। स्पोर्टस कार्पोरेशन बनाने के लिये भी यहां पर बिल लाया जायेगा। फूल चंद जी बैठे नही है।

उनको यहां पर होना चाहिए था। स्पोर्ट्स एक कंट्रोवर्षियल इंडु है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उसने किया है, वह न करती। उन्होंने मैनबर्ज को, मिनिस्टर जो कंवीनर थे और कैबिनट को बुला कर यह कह दिया कि यह फैसला कर दो। उसमें कई बातें ऐसी कंवीनर थे और कैबिनट को बुला कर यह कह दिया कि यह फैसला कर दो। उसमें कई बातें ऐसी रिवील हुई हैं, जिनसे स्पेसल आती है कि उसमें कहीं पर कोई न कोई गड़बड़ है। चेयरमैन साहब, मैं तो कटार सिंह जी को बड़ा ही इन्नोवेटिव समझता था लेकिन उनके तो काम देखने में आए हैं उनसे तो यह उल्ट भी निकले। मैं तो यह समझता था चूंकि ये हमारे पुराने वित्त मंत्री बाबू मूल चंद जी को हटा कर आये हैं जो कि दो बार वित्त मंत्री रह चुके हैं, इसलिये भायद इनको यह भार सौंपा गया है। लेकिन इसमें तो बात ही कोई और है। इतना ही कहकर अंत में मैं एप्रोप्रिएट बिल नं० 1 और 2 दोनों का ही विरोध करता हूं।

श्री किताब सिंह (गोहाना): चेयरमैन साहब, आज एप्रोप्रिएट बिलों पर बहस हो रही है। मैं समझता हूं कि जो रूपया कृषि के लिये इसमें रखा गया है यह बहुत ही थोड़ा है। अभी पिछले वर्ष कुछ जगहों पर ओले पड़े थे। मेरी समझ में एक बात नहीं आती। एक तरफ तो सरकार के यह आंकड़े हैं कि 6 लाख 85 हजार एकड़ रकबे में 170 करोड़ रुपये की फसल कानुक्सान हुआ लेकिन उसका जो मुआवजा हदया गया है वे केवल 14 करोड़ 49 लाख रुपये दिया गया है। अगर इस हिसाब

से हम एवरेज लगाये तो यह केवल 200 रुपये प्रति एकड़ निकलती है। दूसरी तरफ 170 करोड़ रुपये का जो 6 लाख 85 हजार एकड़ रकबे का नुकसान हुआ है, अगर उसकी एवरेज निकाली जाये तो 2480 या 2482 रुपये के करीब पड़ती है। इतना ज्यादा किसानका नुकसान हुआ है और गेहूँ की फसल का तो सैंटपरसैंट नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार ने दिया है 25 से 50 प्रति ात नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार ने दिया है 25 से 50 प्रति ात नुकसान वाले इलाके में 200 रूपया, 50 से 75 नप्रति ात वाले इलाके में 300 रुपये और 75 से 100 प्रति ात नुकसान वाले इलाके में 400 रुपये प्रति एकड़ इनके आपने आंकड़ों के मुताबिक किसानों का 2480 रुपये प्रति एकड़ की एवरेज के हिसाब से नुकसान हुआ है। इसके मुबाकले में उनको बहुत कम दिया गया है और जो दिया गया है उसमें भी गलत तरीके से और हेरा फेरी करके दिया गया है एक बात मैं और कहना चाहूँता हूँ कि कृषि के लिये जो पैसा रखा गया है, वह पले ही कम है हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि की बात तो यहां पर सारे भाई कहते हैं लेकिन मैं कृषि के उत्पादन की कीमतों के मुकाबले में दूसरी चीजों की कीमते कितनी बढ़ी है, यह बताना चाहता हूँ सन् 1970 में मिट्टी के तेल की कीमत 67 पैसे प्रति लीटर थी और 1975 में मिट्टी के तेल का भाव 1.39 रुपये हो गया। इस प्रकार से 107.5 प्रति ात की बढ़ौतरी हुई है। 1970 में गेहूँ का भाव 76 क्विंटल था और चावल का भाव 89 रुपये क्विंटल था 1975 में गेहूँ का भाव 105 रुपये क्विंटल था और चावल का भाव 117 रुपये क्विंटल

था। इस प्रकार से चेयरमैन साहब, गेहूं के भाव में 38.16 प्रति टा की बढ़ौतरी हुई और चावल के मूल्य में 31.46 प्रति टा की बढ़ौतरी हुई। इससे पता लगता है कि कृषि उत्पादन के मुकाबले में दूसरी चीजों की कीमत ज्यादा बढ़ी है। (गोर एवं व्यवधान)। मैं कह रहा था कि जिस प्रकार कृषि के काम आने वाली चीजें, उनके रेट ज्यादा बढ़े कृषि उत्पादन की वस्तुओं का रेट दूसरी चीजों के मुकाबले बहुत कम बढ़ा। चेयरमैन साहब, ये सरकार आंकड़े हैं, चेयरमैन साहब, कल कृषि मंत्री जीने कहा था कि 1978-79 में रिकार्ड तोड़ फसल हुई थी। यह बात ठीक है कि वह वर्ष फसल के लिये बहुत अच्छा वर्ष था परंतु कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष ने पंजाब के गेहूं उत्पादन के आंकड़े दिये हैं। 1974, 1975, 1976, 1977 और 1978 में आंकड़े किसान को जो प्रति हैक्टेयर बचत हुई है उसके आंकड़े दिये हैं वे इस प्रकार हैं— 1974 में 762.51 रुपये प्रति हैक्टेयर, 1975 में 465.18 रुपये, 1976 में 128.26 रुपये, 1977 में 82.09 रुपये और 1978 में 32.33 रुपये पर हैक्टेयर बचत हुई है। इन सब चीजों को देखकर पता लगता है कि दूसरी चीजों की कीमत बढ़ती रही और कृषि से जो उत्पादन हुआ उसकी कीमत उतनी नहीं बढ़ी और इसलिये किसान की पर हैक्टेयर बचत कम होती चली गई। चेयरमैन साहब, एिया में जितने मुल्क हैं, उनके मुकाबले हिन्दुस्तान के किसान को सब से ज्यादा मंहगा पाद अपने खेत में डालना पड़ता है और कृषि में जितनी चीजें काम आती हैं उनकी सब से ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। चेयरमैन साहब, भारत में किसान को जो डीजन स्नेहक, उपकरण और

उर्वरक आदि इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उनके बारे में भी मैं आकंठे देना चाहता हूँ। 1970-71 में डीजल का सूचकांक 131.1 था और जुलाई 1975 में 324.2 रुपये था, 167.7 प्रति मीटर की बढ़ोतरी हुई स्नेहक का सूचकांक 1970-71 में 171.9 था जो जुलाई, 1975 में 448.9 हो गया और इसमें 216.3 प्रति मीटर की बढ़ोतरी हुई। उपकरण और औजार का सूचकांक 1970-71 में 161.6 था जो जुलाई, 1975 में 311.3 रुपये हो गया और इसमें 92.4 प्रति मीटर की बढ़ोतरी हो गई। उर्वरक का सूचकांक 1970 में 135.6 रुपये था और 1975 में 292 रुपये हो गया और इसमें 115.3 प्रति मीटर की बढ़ोतरी हुई। जहाँ तक किसान की पैदावार के भाव का ताल्लुक है गेहूँ का भाव 1970-71 में 76 रुपये क्विंटल था जो 1975 में 105 रुपये हो गया और इसमें 38.16 प्रति मीटर की बढ़ोतरी हुई। चावल का रेट 1970 में 89 रुपये था और 1975 में 117 रुपये हो गया और इसमें 31.46 प्रति मीटर की बढ़ोतरी हुई। चेयरमैन साहब, अगर जापान को देखें तो वहाँ पर एक किलो भुद्ध नाईट्रोजन की कीमत कम है और एक किलो जीरी की कीमत ज्यादा है लेकिन भारत में इसके उलट है। इसी तरह से कोरिया, बंगला देश और दूसरे देशों की हालत है। चेयरमैन साहब, भारत के किसान को दूसरे देशों के मुकाबले में खर्च ज्यादा करना पड़ता है और उसकी आमदनी कम होती है। यह सरकार अपने आपको किसानों की सरकार कहती है लेकिन किसानों के साथ सही किस्म का व्यवहार नहीं करती। चेयरमैन साहब, यहाँ पर किसान को नकली खाद सप्लाई किया जाता है। मेरा सुझाव है कि जो भी

आदमी नकली खाद बेचता पकड़ा जाए उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए खाद को बेचने का काम प्राईवेट सैक्टर में ही दिया जाना चाहिए बल्कि सरकारी एजेंसी द्वारा बेचा जाना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूँ। चेरमैन साहब, किसान को नवम्बर, 1981 से मई 1982 तक पानी की कमी का सामना करना पड़ा लेकिन जून, जुलाई और अगस्त में उसको पानी की आवश्यकता पड़ी। उस वक्त बिजली परकट लगा दिया गया और उस वक्त जो जीरी पकने वाली थी बिजली की कट लग जाने से वह सूख गई। चेरमैन साहब, जहाँ तक पैदावार का ताल्लूक है चीन, जापान और कोरिया के मुकाबले हमारी पैदावार तीस प्रतिशत पर हैक्टियर आती है लेकिन जिस खेत को हम प्रदेशों के लिये तैयार करते हैं उसकी पैदावार उनके बारबार आती है। इससे साबित होता है कि अगर पूरी सहायता किसानों की जाये तो उन देशों में जितनी पैदावार होती है उतनी ही हमारी यहाँ को सकती है। चेरमैन साहब, इस सरकार जितनी किसानों को सहायता न देने का कारण यह है कि सरकार प्रोसिान नहीं है सरकार कृषि की बात जरूरी कहती है। लेकिन जो सहायता किसानों को देनी चाहिए वह सहायता नहीं देती है। चेरमैन साहब, कृषि की मद में जो पैसा रखा गया है वह बहुत कम है इसको बढ़ाया जाना चाहिए। चेरमैन साहब, मैं सरकार से मुआवजा देने के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार सरकार ओले से सुसल खराब होने का मुआवजा देती है उसी प्रकार सरकार को यह प्रावधान करना चाहिए कि अगर किसानों की फसल

बाढ़ से, आंधी से या किसी औरतरीके से खराब हो जाती है तो उसको भीमुआवजा दियाजायेगा। चेयरमैन साहब, मंत्री परिशद ओर एम0एल0एज0 पर बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है। इसका ज्यादा खर्च नहीं किया जानाचाहिए। चेयरमैन साहब, 1971 मे भारत सरकार ने राज महाराजाओं का प्रिवी पर्स समाप्त किया था लेकिन अब सरकार ने एम0एल0एज0 की पैँ उन भुरू करके राज महाराजाओं जैसा प्रिवी पर्स फिर भुरू किया है। मेरा सुझाव है कि इस पैँ उन को बंद किया जाये।

चौधरी मांगे राम (बहादुरगढ़): चेयरमैन साहब, यह सरकार जो विधेयक प्रस्तुत कर रही है, मैं उसके बारे मे कुछ कहना चाहता हूं कि यह पैसा खर्च हो रहा है। चेयरमैन साहब, मेरे हल्के के अंदरगांव किरोड़ी, प्रहलाद,पाइ मे सड़ो का काम भुरू हुआ था जिस परमिटटी रोड़ पड़ी है। लेकिनवह काम एक साल से बंद पड़ा है। जब हम अफसरान से सड़क के बारे मे मिलते है तो वे कहते हे कि पैसा नहीं है। सारा पैसा आदमपुरहल्के मे लगायाजा रहा है। चेयरमैन साहब, क्यांकि मैं विरोधी दल का सदस्य हूं, इसलिये मेरेहल्के के साथ सौतेला व्यवहारहो रहा है। चेयरमैन साहब, इसी तरह सवे मे हल्के मे कोईवाटर वर्क्स पानी नहीं दे रहा है। ग्राम मुकंदपुर, वाई ब्राही, दिसावरखेड़ी, माडौठी जाखोदा, ईं ररहैड़ी, बरोझा, निहलौठी, हुलारहेड़ी, डाबोदा ओरलोवामाजराके वाटरवर्क्स अधूरे पड़े हैक्ळ यसह पैसा भी आदमपुर या नारायणगढ़ मे लग रहा है। विरोधी दल का मैंबर होने के कारण मेरे हल्के

मेपैसानही लगया जा रहा है। चेयरमैन साहब, वाटर वर्क्स परसीमेंट ओरलोहासरे आम बिकता है लेकिनसरकारइसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। चेयरमैन साहब, इस प्रांत मे भ्रश्टाचार इतना है कि बगैर पैसे कोई काम नहीं होता। किसी भी दफतर मे चले जाओ बगैर पैसे कोई काम नहीं होता। चेयरमैन साहब, इस तरह हमारी तहसील के अंदर रजिस्ट्री क्लर्क ने सरे आम लूट मचा रखी हैं असने एक साल के अंदर दो काठी और एक कार बना ली है। इस कल्क ने बहुत भारी रकम बना ली है। चेयरमैन साहब, इसी तरह से हसनगढ़ कालेज मे ओ0टी0 के दाखले मे भारी रकम ली गई और इसी वक्त प्रिंसीपल ने सरकार को टेलिग्राम के माध्यम से सूचना दी लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी कालेज मे कई प्रौफेसरो को नौकरी से भी हटाया गया है मैनेजमेंट इस कालेज को बंद करना चाहती है। सरकार इस तरह अव य ध्यान दे। इसके आगे चेयरमैन साहब, एकआत बात एम0आई0टी0सी0 के बारे मे बताना चाहत हूं जो पक्के खाल बने हुए है, वे एक हफते के अंदर टूट जाते है क्योकि उन खालों को बनाने के वक्त उन परसीमेंट कम लगाया गया है। सीमेंट को बेच दिया जाता है, सरकार इनको कब करवाये। किसान बहुत दुखी है। क्योकि उन खालों मे पानी नहीं चलता।

इसी तरह से चेयरमैन साहब, मैं नम्बरदारों के बारे मे आपको बताना चाहता हूं। नम्बरदारों को 1947 मे पहले भी सौ रूपये पर तीन रूपये मिलते थे आज भी वही हालत है। उन्हे

आज भी सौ रूपये परतीन रूपये ही मिलते हैं जबकि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत आज मजदूरी की दर बढ़ कर 15 रूपये हो गयी है और नम्बरदार बेचाराउन्ही तीन रूपयो पर ही गुजाराक रता हैं। इस तरह की अंधेर गर्दी यहां पर वमी हुई है सरकार को इस तरहफ पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। इस भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। एक बार अंत मे फिर मैं सरकार से यह कहूंगा कि जो जो बाते मैंने यहां पर कही हे, उनपर विचार किया जाये और तुरंत एक् इन लिया जाये।

श्री जसवंत सिंह चौहान (राई): चेयरमैन साहब, 1983-84 के बजट के संबंध मे जो एप्रोप्रिये इन बिल यहां डिस्कस हो रहा है उस पर मैं अपनी विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूं हमारे इस बजट मे जो कर लगये गये है। उससे सरकार को कृि आमदन होगी ओर उससे गरीब आदमी पवर कोई बोझा नही पड़े। इसके साथ साथ मैं सरकार से यह कहूंगा कि बे एक ऐसे कुछ कर ओर लगा दिये जाये। जिससे कि गरीब अदमियों पर कोई बाझा न पड़े। इस बारे मे मैं कुछेक सुझाव सदन के सामने आपके द्वारा रखना चाहता हूं। आ ता है कि आदणीय सदस्यगण मेरे इन सुझावों के साथ सहमत होंगे और इस पर पुरजोर ताईद भी करेंगे। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि ज्यादा खर्च न करा सकने की वजह से कई भाादियां नही हो पाती उस वजह से कोई लड़के और लड़कियां

खुदक ही कर लेते हैं। बहिन बंसंती देवी जी ने भी इस बात पर काफी जोर दिया है कि तेरा एक सुणव है कि इस पर भी कोई ऐसा कर या बैलडीटी सरकार की तरफ से लगायी जाये या कोई ऐसी लिमिट फिकस की जाये ताकि हर आदमी सरकार द्वारा फिकस की हुई लिमिट के अंदर ही ब्याह भादियों का आयोजन करे। इससे हर आदमी को खुशी होगी, राहत मिलेगी और इस तरह के खुदाईयों के केंसिज भी नहीं होंगे जोकि आजकल आम हो रहे हैं। भागर कोई आदमी डैकोरे इन पर यादेहत वगैरा पर कुर्कर की हुई राशि से ज्यादा खर्चा करेगा तो उस पर कर लगाया जाये। इससे सामाजिक कुरीतियों से आम आदमी को छुटकारा मिलेगा और लोगों का जीवन भी सुखमय और खुशहाल हो सकेगा।

दूसरी सुझाव मेरा यह है कि जैसाकि भाई निहाल सिंह जी ने हेल्थ मिनिस्टर जी को कहा कि हरियाणा के अंदर कोई ऐसी स्कीम बनाई जाये ताकि लोगों की सेहत ठीक रह सके। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, राव इंद्रजीत सिंह पदासीन हुए।) चेयरमैन साहब, मैं भी इसहक में हूँ कि इस तरह की कोई स्कीम हरियाणा के अंदर बनायी जाये जिससे लोगों की सेहत बरकरार रखी जा सके। इसके साथ साथ हरियाणाकी जनता पर ऐसा कोई टैक्स लगाया जाये जिससे पेंशन पालन को बढ़ावा मिले। यानी जिस घर में पेंशन न हो, उस पर टैक्स लगाया जाये।

Shri Ram Bilas Sharma: On a point of order, sir, the hon. Member is speaking on the Budget. This is not the budget speech which is under discussion. I may tell him through you, sir, that the discussion is going on on Appropriation Bills. He should speak on the Appropriation Bills, Sir.

Mr. Chairman: This is no point of order. Please take your seat.

श्री जसवंत सिंह चौहान: चेयरमैन साहब, हमारे हरियाणा की एक कहावत म तहूर है कि 'हरियाणा दुख दही का खाना'। इस बारे मे हम आज क्या देख रहे है कि हरियाणा के अंदर यह बात केवल नाम मात्र की ही रह गयी है। अब तो सुनने की ही बात है। इस बारे मे मैं यह भी महूंगा कि प गुओं को बाहर जाने से रोक कर, उन से आमदनी का साधन जाये ताकि हरियाणा सरकार की आमदनी बढ़े।

इससे आगे मैं एक और बात कहना चाहता हूं। कि हरियाणा के नौजवान ही ज्यादातर पुलिस और मिलट्री मे भर्ती के लिये जाते है। इससे भारत वर्ष सारे हरियाणा का नाम रोान होता है, इसलिये इस सरकार से मेरी रिक्वैस्ट है कि हरियाणा चाहिये। जब तक सरकार प गुपालन पर कोई ध्यान नही देगी तब तक यह काम पूरा नही हो सकेगा। (इस समय सभापतियों की सूची मे से एक सदस्य चौधरी साहब सिंह सैनी पदासीन हुए)

चेयरमैन साहब, अब मैं अपने हल्के के बारे में कुछेक बातें कहना चाहूंगा। मेरे हल्के, की कुछेक समस्याएँ हैं, वह मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। हमारा हल्का राई फलडिड एरिया है। हालांकि सरकार की पालिसी है कि हर गांव में सड़कें दी जायेंगी लेकिन मेरे हल्के में कुछेक गांव अभी तक भी ऐसे हैं जहां पर सड़कें नहीं पहुंची हैं। कारण क्या है कि वहां पर एक हाई स्कूल है, वहां जाने के लिये बच्चों को काफी दिक्कत होती है। हालांकि वह स्कूल केवल एक किलोमीटर पर ही है लेकिन पुल न होने के कारण बच्चों को चक्कर काट कर वहां कम से कम 8 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है। इसलिये मैं सरकार से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे गांवों में जल्द से जल्द पुल और सड़कें बनायीं ताकि लोगों को और खासकर बच्चों को स्कूल तक जाने के लिये कोई परेशानी न हो।

इसके साथ साथ मैं यह भी बताऊंगा कि यमुना की बाढ़ से भी हमारे इलाके में नुकसान होता है। दिल्ली से लेकर मूरथल गांव तक एक कच्चा बांध बना हुआ है। बरसात के पानी से उसमें िगाह हो जाते हैं। जिसके कारण बहुत से गांव तथा फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि जिस तरह से दिल्ली वालों ने स्कीम बनाकर हरियाणा के बार्डर तक यमुना के बांध को पक्का किया हुआ है, उसी तरह से आपको भी यह चाहिये कि इस बांध को दिल्ली के बार्डर से लेकर मूरथल तक पक्का किया जाये। उसके साथ एक सड़क भी बनाई जाये।

जैसा कि दिल्ली की तरफ अब बांध के टूटने का कोई खतरा नहीं रहा, उसी तरह से इस और भी ऐसा कोई इंतजाम किया जाये ताकि किसानों को परेशानी न हो और एक प्रकार से राहत भी मिले और वे आगे से लाखों रुपये के नुकसान से बचे।

इससे आगे मैं यह कहूंगा कि ड्रेन नम्बर 8 जो है, उससे भी लोगों को काफी नुकसान होता है। जब बरसात का मौसम आता है उसमें पानी काबहाव काफी हो जाता है और बाढ़ भी आ जाती है जिससे गांवों के अंदर तक पानी भर जाता है और फसलों को काफी नुकसान होता है। इसलिये मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि ड्रेन नम्बर 8 को यमुना तक पुखता किया जाये।

अगली बात मेरी अपने हल्के के स्कूलों से संबंधित है। हमारे वहां पर बहुत ऐसे गांव हैं जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से स्कूलों की बिल्डिंगें तैयार की हुई हैं। जैसे जाखोली गांव है, वहां पर लड़कियों के स्कूल के लिये एक बिल्डिंग बनी हुई है। इसी तरह से नांगल गांव है, उसमें भी स्कूल की बिल्डिंग तैयार है। इसी तरह से राई में, बहोली गांव में और कमासपुर में भी बिल्डिंग तैयार पड़ी हुई है।

मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि उन गांवों में कम से कम बच्चों के पढ़ने के लिये स्कूल को अपग्रेड किया जाये ताकि उनको अपनी मेहनत का फल मिल सके। अगली बात यह है कि मेरे हल्के राई में फरीदाबाद की तरह से इंडस्ट्रीज बगैरह बनी

हुई है। वहां पर जो किसानों की उपजाऊ जमीन थी उसको लेकर वहां पर बहुत फैक्ट्रीज लगा दी हैं वहां का जो किसान है या देहात में रहने वाला कोई भी आदमी है जिनका गुजारा खेती पर ही निर्भर करता है, वे बाहर के आदमियों को नौकरी पर न रखे और हमारे गांवों के आदमियों को ही रखे। आजकल यह हो रहा है कि वे उन इंडस्ट्रीज में बाहर के प्रदेशों के वर्कर और कारीगरों को रखा जा रहा है और हमारे हल्के के एक आदमी को भी भरती नहीं किया जा रहा है। मेरे हल्के राई में एक प्रोब्लम और है। मेरा हल्का दिल्ली के नजदीक पड़ता है। वहां से हजारों आदमी सर्विस करने वाले रोज दिल्ली जाते हैं और बहुत से आदमी सब्जी बेचने के लिये दिल्ली जाते हैं। इनको दिल्ली जाने के लिये बहुत से आदमी होती हैं क्योंकि लम्बे रूट की बसें वहां पर नहीं रुकती हैं। दिल्ली को जाने वाली बसें हमारी देहातों में होकर बहुत कम चलती हैं। मैं सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि जो हमारे बड़े बड़े गांव हैं जैसे मूरथल, राधना बगैरह कम से कम दिल्ली जाने वाली बसें इध्यान से जानी चाहिए ताकि सर्विस करने वाले और सब्जी ले जाने वाले लोगों को सहूलियत हो सके। धन्यवाद।

श्री हरि चंद हुड्डा (किलोई): चेयरमैन साहब, आप का बहुत बहुत भुक्रिया कि आपने मुझे बोलने के लिये टाईम दिया। यह जो एप्रोप्रिएटन बिल आया है जब मैं इसके टोटल को देखता हूं तो वह 819199316 बनता है। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर,

विलेज एंड स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और माईनर इरीगे ान के लिये राि ा को देखा जाये तो वह इसके 9 प्रति ात के करीब बनती है। मैं इस बात को मानता हूं कि गवर्नर एड्रैस को भी और इस एप्रोप्रिए ान बिल को भी आम जनता समझ नहीं पाई, लेकिन आम जनता को इसकी मार जरूर पड़ी है। जिससे वह तिलमिला उठी है। आम जनता इस चीज को समझे कि यह एक कागज है जिससे तुम्हारी किस्मत का सत्याना ा किया जाता है। उधन जो हमारे भाई बैठे है चीफ मिनिस्टर चौधरी भजन लाल, फाईनैस मिनिस्टर चौधरी कटार सिंह जी तो मेरे बहुत ही पुराने दोस्त है। मैं इनको बिल्कुल दोशी नहीं ठहराता। असली दोश तो डिफैक्टिव ला का है। मैं आप का ध्यान कांस्टीच्यू ान की धारा 372 की तरफ दिलाना चाहता हूं which hsa perpetuated the imprial legal inheritance and our codes and laws of the colonial ventage haunt it like voice from the grave. असली जो बात है वह यह है कि हम इनको दोशी इसलिये नहीं ठहराते क्योंकि हमारी व्यवस्था और ला इस किस्म के बना दिये जैसे अंग्रेज हिन्दुस्तान पर राज कर गये और कालोनी राज बना गये थे। मुझे अफसोस है कि हमारा जो कांस्टीच्यूए ान है इसकी कुछ धाराएं इंगलैंड से ली गई है। इन दोनो के बीच मे एक ऐसी लाईन आई कि न घोड़ी रही न गधी रही । इस डिफैक्ट की वजह से हम दुखी हो रहे है।

* * * * *
 * * * * * यह जो बजट
 आया है इस बारे मे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं.....

उद्योग मंत्री (श्री लछमन सिंह): चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। इन्होंने अभी जो बात कही है यह कार्यवाही से एक्सपंज होनी चाहिए।

श्री सभापति: ये भाब्द एक्सपंज कर दिये जाये।

श्री हरि चंद हुड्डा: चेयरमैन साहब, मैं कहना चाहता था कि—

पंछी समझते है कि चमन बदला, हंसते है सितारे कि गगन बदला, भाम तान की खामो गी मगर कहती है कि है ला । वही सिर्फ कफन बदला।

तो यह तो इनका बजट था। जहां तक मांगो की बात है मांगों को ये तो समझते नहीं, मैं समझता हूं। यह मांग वह मांग नहीं, इस मांग मे लोकतंत्र की खुाबू नहीं, यह मांग तो वह मांग है जिसमे नोट तंत्र की बू आती है। (गोर) अब हमारे सामने यह चीज आ गई है। आज 56 प्रति त लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह गये है। and it is because of the polioies of you and your leaders. जिसको आप लीडर मानते हो, महात्मा कहते हो for them I can say on the floor of the House that they are all responsible for the pverty in the country.

चेयरमैन साहब, कृशि के लिये सिर्फ 6-7 करोड़ रुपया दिया गया है जबकि डिमांडज मे 82 करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा

है। चेयरमैन साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि बजट हुआ, डिमांडज हुई और गवर्नर साहब का एड्रेस हुआ ये कागजात हल के साथ नहीं जुड़ सकते और न ही इनसे किसान अपने खेत में कोई खूँड निकाल सकते हैं। हल में तो बैल और किसान जुड़ेंगे। इस बजट के कागजों से किसान का हल चलने वाला नहीं है, किसान का तो बैल ही चला सकता है। इस मुल्क के मसले किसानों ने हल चला कर ठीक करने हैं। बैल और किसान दोनों मजबूत होंगे तो प्रोडक्शन लाजमी तौर पर होगी। लेकिन ये जो बजट और डिमांडज के कागजात हमारे सामने आए हैं इनसे हमारे हरियाणा की जनता मर रही है। इन कागजों द्वारा जनताको जो तकलीफ दी गई है, उस तकलीफ को तो जनता महसूस कर गई लेकिन यह ड्रामा जनता नहीं समझती है। चेयरमैन साहब, हमारा देश 1300 साल गुलाम रहने के बाद आजाद हुआ। जब हमारा देश 35 साल पहले आजाद हुआ तो उस समय से यह भूखमरी का शिकार है। अगर यही हालात देश में रहे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे चार हजार साल तक यह देश आजाद रहे तो फिर भी इस देश की भूखमरी खत्म नहीं हो सकती। चेयरमैन साहब, यह सरकार हमारे देश को भूखमरी की जिम्मेदार है। हमारे देश में 56 फीसदी लोग गरीबी की लाइन से नीचे हैं। हमारे देश में करीब लोग बहुत परेशान हैं और उस परेशानी का नतीजा यह हुआ है कि आसाम में रिवेरिलयन है। वहाँ पर लगभग 5-6 हजार मारे गये चेयरमैन साहब, 1965 के पाकिस्तान के आप्रेशन में कुछ साढ़े चार हजार नौजवान मारे गये

थे लेकिन आसाम मे 5-6 हजार आदमी मर चुके है। इसी तरह से पंजाब मे रिबेलियन है और क मीर मे ला को खुल्मखुला अफेड कर रहे है, वहां पर भी रिबेलियन है। साउथ मे पीसफुल रैवोल्व्यू इन आया हैं मेरे कहने का मतलब है कि हमारे दे 1 मे दे 1 के अंदर रिबेलियन और रैवोल्व्यू इन घुस चुके है। गुरबत की वजह से हमारे दे 1 मे रिबेलियन और रैवोल्व्यू इन आ चुके है। What is this is happening in diffenrent parts fo the country? That is a ravage from you and your Government. चेयरमैन साहब, 35 साल तक इस दे 1 के बडे बड़े लोग अपने अपने कर्म करके चले गये लेकिन वे इस दे 1 की भूखमरी को समाप्त नहीं कर सके। चेयरमैन साहब, मै यही कहूंगा कि वह सोना किस काम का जो कानों को काटे, वह लीडर किस काम का जो कौमों को बांट दे, वह दुकानदार किस काम का जो सौदा घाट दे, वह सरकार का कानून क्या जो इंसाफ को काट दे। चेयरमैन साहब, मै यह कहना चाहता हूं कि आपके ये बजट कागज डिमांडज और एप्रोप्रिए इन बिल जो आए है ये ला तो है लेकिन इंसाफ नहीं दे रहे है। इसलिये यह एक बहुत ही झूठा ड्रामा है। चेयरमैन साहब, मैंने देहात के गरीब किसानों को देखा है, छोटे दुकानदारों को देखा है और मजदूरों को देखा है, वे सब भूखमरी के िकार है। हमारे दे 1 मे पूंजीपति दो किस्म के है जो इस दे 1 के सारे माल को हड़प रहे है। एक तो वे है जिनके ऊपर सरकार की तरफ से कोई लगाम नहीं है, वे सारे दे 1 का धन हथिया रहे है और गरीब लोगों का खून चूस रहे है। * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * | इन भाबदों के साथ मैं

इस एप्रोप्रिए इन बिल का विरोध करता हूं। और आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी ई वर सिंह (पुंडरी): चेयरमैन

साहब, एप्रिप्रिए इन बिल नम्बर एक पर हाउस मे चर्चा चल रही है। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। चेयरमैन साहब, यह एप्रोप्रिए इन बिल सप्लीमेंटरी डिमांडज के बाद रखा गया है। सप्लीमेंटरी डिमांडज मे 81 करोड़ 92 लाख रूपये मांगे गये है। चेयरमैन साहब, यह इस किस्म का खर्चा है जो पहले एनविसिज नही हो सका। जैसे सरकार ने अपने प्रांत मे डिवैल्पमेंट के कार्य किये या सैंटर की तरफ से कोई ऐसी स्कीम आई जो कमजोर वर्ग के लोगों के लिये थी, उस पर खर्च किया गया पैसा है या सरकारी कर्मचारियो को जो ए0डी0ए0 की इनस्टालमेंट दी गई थी, और उसी हिसाब से कुरुक्षेत्र और एम0डी0 युनिवर्सिटीज के कर्मचारियों को ए0डी0ए0 की इनस्टालमेंट दी गई थी या उस मेले मे कुछ खर्चा हुआ था उसके

बारे में भी सप्लीमेंटरी डिमांड में पैसा मांगा गया है। चेरमैन साहब, मेरे अपोजी इन के भाईयों इस बिल पर बोलते हुए कुरुक्षेत्र में मेले की बहुत आलोचना की। डाक्टर मंगल सैन ने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पर बहुत भारी खर्च कर दिया गया। मैं आपके द्वारा डाक्टर साहब को बताना चाहता हूँ कि उस मेले में जो स्टाल लगाई गई थी, वह सारे मेले में फर्स्ट आई थी जिससे हमारे हरियाणा का नाम ऊंचा हुआ है। इसी प्रकार डाक्टर साहब ने एशियाड के बारे में कुछ बातें कहीं एशियाड के बारे में डाक्टर साहब को बताना चाहता हूँ कि एशियाड में हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने कम्पीटी इन में हिस्सा लेकर बहुत सराहनीय खेल दिखाए। आज गवर्नर साहब ने यहां लगभग 232 खिलाड़ियों को ईनाम बांटे जायेंगे, जिन्होंने एशियाड में और दूसरे खेलों में हमारे हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। चेरमैन साहब, इसी तरह से ए0सी0 चौधरी साहब ने म्यूनिसिपल कमेटीज के बारे में बताया था कि जो कमजोर म्यूनिसिपल कमेटीज थी उनको ग्रांट दे कर सफाई का अभियान चलाया है उसके लिये भी सप्लीमेंटरी डिमांड के जरिये पैसा रेडज के खर्च के बारे में भी कुछ बातें कही थी। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि एक्साइज एंड टैक्स इन तो सरकार की आमदनी का मेजर हिस्सा है। यदि उनके रेडज के लिये कुछ रूपया खर्च हो गया तो उससे डबल आमदनी होगी। पिछले साल एक्साइज एंड टैक्स इन से 160 करोड़ रुपये की आमदनी सरकार को हुई है, वह सारा पैसा हमारे प्रदेश के डिवैल्पमेंट के कार्यों पर खर्च किया गया

है। एक्साइज एंड टैक्सों से इन से सरकार को जितनी आमदनी होती है वह सार पैसा प्रदेशों के डिवेलपमेंट के कार्यों पर खर्च होता है। चेरमैन साहब, फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज के बारे में भूल कहा गया। मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूँ कि वाकई फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज कती स्थिति बहुत खराब है। जो उनको एक लाख रूपया दिया गया है, इससे कुछ नहीं होता यह तो उनके प्रति टोकन हमदर्दी है। जब चर्चिल साहब को यह कहा गया कि हिन्दुस्तान को आजादी दे दी जाये तो उन्होंने उस समय यह कहा "I have not become the Prime Minister of England to liquidate the British Empire." चेरमैन साहब, लगभग 25-30 लाख आदमी फिलिस्तान से निकाले हुए हैं और वे लेबनान में अपना डेरा डाले हुए हैं, उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। अभी पिछले दिनों जब दिल्ली में नान अलायन कंट्रीज की कांफ्रेंस हुई, उसमें 101 देशों ने भाग लिया था। उस कांफ्रेंस में युनानीमसली हमदर्दी का यह रैजाल्यू इन पास किया गया कि उनको वहाँ पर बसाया जाये। उस कांफ्रेंस में युनासनीमसली यह आवाज उठाई गई कि चूंकि उन लोगों को उनके घरों से उजाड़ दिया गया है। इसलिये उनको बसाया जाये। चेरमैन साहब, लेबनान में जितनी आबादी है उतनी ही आबादी फिलिस्तीनियों की है। ये लोग कुछ सीरिया में भी हैं। मैं पिछले दिनों बैरुत गया, मैंने वहाँ पर उनकी हालत देखी थी। उनका बहुत बुरा हाल है। चेरमैन साहब, जितनी भी मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं हमें उनको सिम्पथी देनी चाहिए हम उनसे क्रूड आयल और पेट्रोल लेते हैं। यदि हम फिलिस्तीनी लोगों को हमदर्दी के

लिये एक लाख रूपयादेने तो जितनी भी मिउल ईसट कंट्रीज है, उनको भी हमारे साथ हमदर्दी होगी। उन कंट्रीज से हमें बड़ी भारी मात्रा में तेल लेना पड़ता है जो एक लाख रूपया टोकन हैल्प के रूप में दिया गया है। यह बहुत थोड़ा पैसे है और बहुत जायज मांग है। अभी हमारे दूसरे भाइयों ने भी इसके बारे में काफी कुछ कहा है। इस बिल के जरिये जो पैसे मांगे जा रहे हैं, अगर गौर से देखे तो ज्यादातर पैसे कर्मचारियों को पांच ए0डी0ए0 की किस्तें देने पर खर्च हुआ है बाकी पैसे वाटर सप्लाई स्कीम के लिये म्यूनिसिपल कमेटियों द्वारा सफाई अभियान के लिये, तथा लोगों को दूसरी सुविधा प्रदान करने के लिये खर्च हुआ है हरिजनों के लिये ने इनल परमिट लेने के लिये 50 लाख रूपये रखे गये हैं। इसी प्रकार हरिजन टूरिस्टों के लिये भी 25 लाख रूपये रखे गये हैं ताकि वे भी घूम फिर सकें। इसी प्रकार से हरिजनों को जमीन देने के लिये 40 लाख रूपये रखे गये हैं ताकि वे भी पेट्रोल पम्प आदि लगा सकें। इसी प्रकार से हरिजनों को डेरी के लिये, सुअर पालने के लिये तथा मकान आदि बनाने के लिये पैसे सरकार दे रही है। जो हमारे बच्चे डैस्टीच्यूट हो गये हैं, उनके लिये भी सरकार पूरा पूरा ध्यान रख रही है। हमारी सरकार ओल्ड एज पै इन भी देने जा रही है तथा साथ ही साथ में जो औरतें विडो हो गई हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दे रही है। सरकार इंटैग्रेटिड चाइल्ड डिवैल्पमेंट स्कीम की तरफ भी पूरा पूरा ध्यान दे रही है और इसके लिये इस एप्रोप्रिए इन बिल में पैसे रखा गया है। सरकार बूढ़ों और मजोर लोगों के लिये रिवाड़ी

के अंदर एक होम बना रही है। चेयरमैन साहब, जो रूपया सरकार मांग रही है, वह सारे का सारा जायज है और यह ठीक जगह पर ही खर्च होगा। जिन किसानों की फसल ओलावृष्टि से खराब हो गई थी, उनको भी सरकार ने सहायता दी है। सरकार किसानों को खाद की भी सुविधा दे रही है। महेन्द्रगढ़, भिवानी, हिसार और रोहतक जिलों में फसलो को कीड़ों आदि से बचाने के लिये दवाई भी प्रदान की है। यह डिमांड जो सरकारने रखी है, बिल्कुल जायज है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। जहां तक एप्रोप्रि एन बिल नं० 2 का सवाल है, यह बजट से संबंध रखता है। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा के अंदर चहूमुखी विकास हो रहा है। आज सरकार डिवैल्पमेंट के काम अधिक कर रही है। एग्रीकल्चर की तरफ भी सरकार का पूरा पूरा ध्यान है सरकार एग्रीकल्चरिस्टस को रा मैटिरियल भी ठीक ढंग से सप्लाई कर रही है। सरकार किसानों को सिंचाई की अधिक से अधिक सुविधा देने के लिये भी खूब कार्य कर रही है। इसी प्रकार बिजली की मात्रा को भी बढ़ाने की तरफ सरकार का ध्यान है सरकार नई सड़के भी बना रही है। कुछ गरीब लोगों द्वारा इण्डस्ट्रीज लगाने के लिये लोन देने का प्रोवीजन भी रखा गया है इस बिल में जो पैसा मांगा गया है वह ठीक है और यह हरियाणा के सही विकास कार्यों पर ही खर्च होगा। आज हरियाणा में चारों तरफ विकास हो रहा है। फिर भी मैं सरकार को कुछ सजै ांज दूंगा, जिन पर गहराई से विचार करना जरूरी है।

जहां तक एजूके इन का सवाल है उसके बारे में मैं। कहना चाहता हूँ कि Education gives practical side of life. जो भी कुछ काम हमें उसे क्रियात्मक रूप देना चाहिए। खाली शिक्षा देने से कुछ बात नहीं बनती। आज हमारी शिक्षा की पद्धति ठीक नहीं है। जिस कारण तो उससे काफी बेरोजगारी दूर हो सकती है। बच्चों तक मौरल एजूके इन मिलनी चाहिए। जहां तक मौरल एजूके इन देने की बात है यह घर में और देश में जो कुछ हो रहा है। या प्रांत में जो कुछ हो रहा है उस पर भी निर्भर करता है। बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाती है, वैसा ही प्रभाव उन पर पड़ता है। सरकार का स्कूलों में धार्मिक एजूके इन भी बच्चों को बराबर दी जाती है। इस संबंध में सरकार को मेरा सुझाव है कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी बराबर दी जानी चाहिए। बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी बराबर दी जानी चाहिए। बच्चों को स्कूलों के अंदर फिजिकल शिक्षा तो दी जाती है लेकिन योगा की तरफ ध्यान देने के लिये पूरे ग्राउंड भी नहीं है। जहां पर स्कूल बने हुए हैं। वे बहुत कम जगह में बने हुए हैं। स्कूलों में अधिक मैदान नहीं होते जहां पर बच्चे फिजिकल काम कर सकें। सरकार को मेरा सुझाव है कि बच्चों को योगा की शिक्षा भी हर हालत में दी जाये। हमारे यहां पर चीन के हयूनसांग और फाहियान आए थे। नालंदा युनिवर्सिटी में काफी समय तक ठहरे थे। उस युनिवर्सिटी के अंदर विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अध्यापकों आदि को मिला कर कोई 17 हजार व्यक्ति रहते थे। उन्होंने लिखा है कि जितने समय तक हम उस युनिवर्सिटी में ठहरे, उस समय में सिर्फ एक

बावर्ची ही बीमार हुआ था । इसका कारण उन्होंने दिया है कि उस युनिवर्सिटी के अंदर प्रत्येक बच्चे को योगा अभ्यास प्रतिदिन करवाया जाता था । इसलिये सरकार को इस ओर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से म्यूजिक के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को म्यूजिक की शिक्षा भी बराबर देना चाहिए। म्यूजिक इन्स्ट्रुमेंट्स हमारे स्कूलों में है लेकिन उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस संबंध में मैंने पहले भी एक भोर सुनाया था कि—

मैहतरानी होके रानी गुण गुणायेगी जरूर,

कुछ भी हो जाये जवानो गुणगुणायेगी जरूर।

गाने की शिक्षा भी बच्चों को जरूर दी जानी चाहिए। आजकल की जो किताबें हैं वे ठीक नहीं हैं, उनमें जहर भरा पड़ा है। इसलिये इन किताबों को भी ठीक किया जाना चाहिए। चेयरमैन साहब, इसी प्रकार से मैं हौटिकल्चर के बारे में कहना चाहता हूँ कि इस तरफ सरकार खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में मेरा यह भी सुझाव है कि यदि मैट्रिक तक का स्कूल है तो उसके पास 10 एकड़ जमीन होनी चाहिए, यदि कोई स्कूल आठवीं क्लास तक का स्कूल है तो उसके पास 8 एकड़ जमीन होनी चाहिए और यदि कोई स्कूल पांचवी तक है तो उसके पास 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। हौटिकल्चर के संबंध में मैं। यह कहना चाहता था कि गार्डन आदि की शिक्षा बच्चों को एनीमल

हस्बैण्डरी के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में भी शिक्षा दी जानी चाहिए। 1983-84 के बजट के अंदर सरकार ने निर्णय लिया है कि हम 200 प्राइमरी स्कूल लड़कियों के खोल रहे हैं। यह फैसला सरकार का बहुत ही अच्छा है। सरकार ने इसके लिये भी एक करोड़ रुपये रखे हैं। इसी प्रकार से मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में कहना चाहूंगा। सरकार अब नए अड्डे भी बनाने जा रही है। बस स्टैंडज के लिये जब जगह एक्वायर की जाती है तो वहां पर पक्की सड़के भी बनायी जाती है। मेरा सुझाव है कि पक्की सड़के अनाने से पहले सरकार को जमीन एक्वायर करते वक्त छायादार वृक्ष लगा देने चाहिए जिससे लोगों को वहां पर खड़े होने में सुविधा हो सके। आप उदाहरण के तौर पर पिपली के अड्डे को ले लीजिये। वहां पर अड्डे के अंदरबसें काफी खड़ी होती है लेकिन लोगों को बैठने के लिये न तो कोई भोड बने हुए है और न ही कोई छायादार पेड़ है। हमारे यहां बेरोजगारी की भी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस संबंध में मैं सरकारको गुजारि करूंगा कि जो हमारी बसें हैं उनमें उस समय एक एक कंडक्टर है। यदि इन बसों में एक एक कंडक्टर लगाने की बजाये दो दो कंडक्टर लग दिये जाये तो उससे भी बेरोजगारी काफी कम हो जायेगा। सरकार पर एक बस पर दो कंडक्टर लगाने से कोई ज्यादा बोझ नहीं आयेगा। यदि दो कंडक्टर होंगे तो एक अगली खिड़की से टिकट काटेगा और दूसरा पिछली खिड़की से टिकट काटेगा। यदि ऐसा हो जाता है तो इससे काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारी बसों में एरियाड के दौरान बड़ा ही

सराहनीय काम किया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने स्टेट एक्सचेंजर में 32 करोड़ रुपये जमा करवाये हैं। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।) स्पीकर साहब, सरकार ने इंटिग्रेटेड चाइल्ड डिवेलपमेंट की स्कीम चलाई है। इस स्कीम के तहत बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जायेगा और उनका मैडीकल एग्जामिनेशन समय समय पर किया जायेगा। स्पीकर साहब, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से गांवों के अंदर जो पीने के पानी का इंतजाम किया गया है, वह पानी काफी बर्बाद हो जाता है। इस संबंध में भी मेरा सरकार को सुझाव है कि यदि पानी बर्बाद होने से भी बच जायेगा। इसके साथ मेरा सुझाव यह भी है कि गांवों के अंदर औरतों को जंगल पानी जाने के लिये जगह नहीं है, सरकार को उनके लिये कुछ न कुछ इंतजाम करना चाहिए। हमारे हरियाणा के अंदर इण्डस्ट्रीज की भी काफी तरक्की हुई है। अर्बन डिवेलपमेंट के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस में किसानों के लिये भी कालोनियां बनायी जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है और सरदार हरपाल सिंह जी ने भी कहा है कि भविष्य में किसानों की जो भी जमीन ली जायेगी, उसकी कीमत किसानों को मार्केट प्राइस की दी जायेगी। यह काम भी सरकार बहुत अच्छा करने जा रही है। जिन किसानों की जमीन ली जाती है। उनको प्लॉट्स भी दिये जाने चाहिए। भाहरों के अंदर जो किसान बैठे हैं, उनके घरों में बड़ी भीड़ है। उनके पास मवेशियाँ हैं और काम आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। इनके लिये भी कालोनियां नो प्रोफिट नो लॉस बेंसिज पर बनाई जानी

चाहिए। इस ढंग से मकान बनाने चाहिए जिससे ये खुदआगे की तरफ रहे और मवे की पीछे की तरफ रखे जा सके। इनको भी प्लॉट दिये जाये, दुकानें दी जाये क्योंकि अकेली खेती से आज काम नहीं चलता। अगर गवर्नमेंट मदद करे तो ये जमींदार दूसरे धंधे भी कर सकते हैं। अगर किसान की जमीन एक्वायर कर ली जाती है तो उसे मुआवजा पुरा नहीं मिलता। मेरे कहने का मतलब यह है कि उनको कुछ न कुछ रिलीफ दिया जाना चाहिए। (घंटी)

अब मैं रैवेन्यू के बारे थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ। अगरहर जिले में चार पांच पटवारखाने बना दिये जायें तो पटवारियों को काम करने में अच्छी सुविधा मिल जायेगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ, पटवारी की पोस्ट सैकड़ों सालों से चली आ रही है। उस वक्त न तो इतनी इंडस्ट्री थी, न इतने टैक्स थे, सारे देना का खर्चा लैंड रैवेन्यू से ही चलता था। इसलिये पटवारी के पटवारखाने के लिये जगह जरूर देनी चाहिए क्योंकि अगर किसी किसान ने फर्द लेनी होगी तो उसको जगह जगह जाना पड़ेगा। अगर पटवारी एक जगह बैठेगा तो किसान को परेशानी कम हो जायेगी। (घंटी) इन भावों के साथ मैं एप्रोप्रिएट बिल नं० 1 और 2 का समर्थन करता हूँ।

चौधरी हुकम सिंह फोगट (दादरी): स्पीकर साहब, वित्त मंत्री महोदय ने एप्रोप्रिएट बिल नं० 1 विधान सभा में पेश किया है और सरकार इसको पास करवाना चाहती है, मैं इस बिल

का विरोध करता हूँ। स्पीकर साहब, अगर यह पैसा स्टेट की डिवलपमेंट पर खर्च होता तो कोई बात बनती थी इस खर्च को देखते हुए मैं यही कहूंगा कि आज जनता के पैसे को लूटाया जा रहा है। डिमांड नं० 2 में जो लिखा है उसके मुताबिक राजभवन में एक हाल बना रहे है और फौरन से एक कार खरीदी जा रही है। इतना बड़ा महल बनाने की क्या आवश्यकता थी? जनता के पैसे को इस तरह से बरबाद करने की क्या आवश्यकता है। इन्होंने मंत्रिपरिषद को बड़ा लम्बा चौड़ा बना दिया है। * *

* * * * *

अगर ये मंत्री न बनते तो कोई बात बन नहीं सकती थी ओर अब इनकी कार खरीदने के लिये यह पैसा खर्चा जा रहा है। इनकी कोठियों की सजावट के लिये जनता के पैसे को बुरी तरह से बहाया गया है। इसके दूसरी तरफ वाटर वर्क्स बन रहा है लेकिन वहां से वाटर पाईप्स का एक ट्रक कोई आदमी ले गया है। इस वाटर वर्क्स का सीमेंट खुलेआम बिक रहा है। यह वाटर वर्क्स पिछले 10 साल से बन रहा है लेकिन आज तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है। कई गांवों में खारा पानी है और लोग दो दो, तीन तीन मील चलकर अनी प्सास बुझाने के लिये जाते है। इसी तरह से एक वाटर वर्क्स इमलौट में पिछले पांच साल से बन रहा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। स्पीकर साहब, भ्रष्टाचार की भी कोई हद होती है। आज खुलेआम सीमेंट बिक रहा है, नहर की लाइनिंग में जो सीमेंट लगाना था वह चोर बाजारी में बिक रहा है। लोहा और सीमेंट खुलेआम बिक रहा है। स्पीकर

साहब, एम0आई0टी0सी0 द्वारा मोघ डिस्ट्रीब्यूटरी पर लोहाखेड़ा मे चार पांच साल पहले खालें पक्की की गई थी लेकिन इस खालों मे चेपियां पड़ गई थी लेकिन इन खालों मे चेपियां पड़ गई है और पानी नही चलता। इससे तो कच्चे खाल ही अच्छे थे क्योंकि किसान बेचारे कच्चे खालों से अपनी जमीन को पानी तो लगा लिया करते थे। इन्होंने खाल पक्के तो कर दिये लेकिन सीमेंट का प्रयोग बिल्कुल नही किया, सिर्फ बजरी ही बजरी चेप दी है। इन चेपियों को ठीक करवाने के लिये किसान भागता फिरता है। ये खाले एम0आई0टी0सी0 ने बनाई है और पिछले पांच सालों से ही खालों मे पानी न चलने के कारण किसान परे ान है। जब खालो का पानी सुखता है तो चेपियां फट जाती है। स्पीकर साहब, सरकार इंडस्ट्रीज की बात करती है तो इंडस्ट्रीज लगाने के लिये सरकार ने बहुत पैसा रखा है। इंडस्ट्रीज के बारे मे जब विधान सभा मे हम कोई सुझाव देते है तो सरकार मानने के लिये तैयार नही होती। सरकार कहती है कि देहातों मे इंडस्ट्रीज लगाई जाये लेकिन अब्बल तो कर्जा मिलता ही नही, अगर मिले तो एक एक साल तक बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते है। बहुत से लोग कर्जा लेने के लिये पांच पांच सौ रूपया खर्च कर के चुपचाप बैठे जाते है, कर्जा नही मिलता। अगर कोई आदमी को ि । । करके छोटी माटी इंडस्ट्री लगा लेता है तो सरकार की तरफ से उसको मदद नही मिलती। जो माल वह बनाता है, सरकार के पास कोई प्रबंध नही है। कि उस माल को बिकवाये। रूरल इंडस्ट्रीज मे जासे माल तैयार होता है सरकार को उस माल को बेचने मे इंडस्ट्रियलिस्ट

की मदद करनी चाहिए । यह तो जनता के साथ एक किस्म का धोखा है। कर्जा तो बेचारा बैंक से किसी तरह से ले लेता है लेकिन रा मैटीरियल उसको मिलता ही नहीं और यह जिम्मेदारी सरकार की है जो थोड़ा बहुत माल वह बनाता है, वह बिकता ही नहीं, परिणामस्वरूप आखिर में वह इंडस्ट्री फेल हो जाती है। अगर सरकार इस समस्या का समाधान नहीं करेगी तो सारी की सारी रूरल इंडस्ट्री फेल हो जायेगी। नौकरियां तो लोगों को मिलती ही नहीं, जो मिलती है वह पैसों से बिकती है। अगर किसी गरीब आदमी के पास नौकरी खरीदने के लिये पैसा न हो तो वह इंडस्ट्री की तरफ भागता है और इंडस्ट्री का हाल तो आपने देख ही लिया है। आज गरीब इतनातंग है कि वह अपने दिन भूखा रह कर काट रहा है। स्पीकर साहब, चौधरी ई वर सिंह ने बताया कि किसानों को खाद के लिये 11 करोड़ रुपये की सेंट्रल एड आती है और यह एड सबसिडी के रूप में दी जाती है। स्पीकर साहब, किसान को खाद पर सबसिडी उस वक्त देनी चाहिये जब किसान खेत में बीजाई करता हूँ क्योंकि बीजाई से पहले किसान खेत में खाद डालता है या पहला पानी जब गेहूँ के लिये लगता है, उस वक्त डालता है। इसलिये फरवरी और मार्च में अगर किसान को खाद पर सबसिडी दी जाये तो किसान उसको ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता, वैसे ही इधर उधर खुर्दबुर्द हो जाता है। फरवरी और मार्च में खाद डालने का कोई मतलब नहीं होता। जो रुपया खाद के लिये आया भी है, वह हेराफेरी करके खुर्दबुर्द कर दिया गया। झूठे परमिट काट कर उस पैसे के खुर्दबुर्द कर

दिया और किसान को इसका कोई लाभ नहीं हुआ। किसान के नाम पर एक ऐंट्रल एड आती है लेकिन इसको दूसरे ही लोग हाजम कर जाते हैं। सरकार किसान की हमदर्द बनती है और कहती है कि 11 करोड़ रुपये की एड दी है। मैं पूछना चाहता हूँ यह क्या खाक एड दी है। इसी तरह से बिजली बोर्ड की बुरी हालत है। आज बिजली बोर्ड दीवालिया बन कर रह गया है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़ी लार्ज स्केल पर बिजली की चोरी हो रही है। अगर कोई साधारण आदमी या किसान बिजली का बिल एक दो महीने न दे तो बिजली बोर्ड वाले उसका कनेक्शन काट देते हैं। इसके दूसरी तरफ मेरे एक क्वेश्चन के जबाब में सरकार ने बताया है कि पचास पचास लाख, एक एक करोड़ रुपया एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ बकाया पड़ा है लेकिन इनके कनेक्शन नहीं काटे जाते। अगर इनके कनेक्शन काटने तो एक एक करोड़ रुपया इनकी तरफ बकाया न होता। किसान अगर एक महीने तक टयूबवैल की बिजली का बिल न भरे तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड की यूनियन की तरफ से एक चार्ट पेपर्स किया गया है। जिस में बताया गया है कि बिजली बोर्ड में कितना भ्रष्टाचार है, किस तरह से पैसे को खुर्दबुर्द किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जांच नहीं करवाई जा रही। अगर जांच करवाते तो महत्वपूर्ण नतीजे सामने आ सकते थे। स्पीकर साहब, जांच तो क्या होनी थी, बोर्ड में भ्रष्टाचार आज चरम सीमा तक पहुँच गया है। बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता। किसी भी डिपार्टमेंट में लचे जाये, पटवारी के

पास चले जाये, पुलिस मे चले जाये, इतना भ्रष्टाचार है कि बिना पैसे से कोई आदमी दफतर मे घुसने नही देता। लोग कहते है—

भजन लाल का राज है, लूटा जा तू लूट,

पाछे फिर पछतायेगा, जब भजन जायेगा टूट। (हंसी)

हर आदमी सोचता है, तू लूट ले और खुलेआम लोगों को लूटा जा रहा है । (घंटी) नहर का, बिजनी का, किसी भी डिपार्टमेंट को देख ले, सब का बुराहाल है। स्पीकर साहब, हरियाणा कृषि प्रधान प्रदे । है। लोहारू कैनल मे केवल एक बार पानी देते है जबकि उस एरिया मे कहरा पड़ा हुआ है गेहूं मे कम से कम पांच पानी की आव यकता होती है। एक पानी दे कर आबियाना उतना ही वसूल कर लेते है। एक पानी से किसान की तो कमर टूट जाती है, लगान तो उसे देना ही पड़ता है लेकिन नहर मे दोबारा पानी नही आता। सरकार ने रेतीले इलाकों मे छोटे छोटे मोघे लगा दिये है जिनसे पूरी सिंचाई भी नही हो सकती। नहर विभाग तो इसी हेरा फेरी मेलगा रहता है कि कहीं पर मौघे छोटे कर दिये और कहीं पर बड़े कर दिये। भिवानी जिला कहत की लपेट मे आया हुआ है। डिपार्टमेंट वाले पानी की चोरी खुद करवाते है। दादरी हल्के मे पांच छः टेल्ज है, वहां कहीं पर भी पानी नही पहुंचता है। किसानों की कुछ मदद हो जाती, अगर ये पानी वहां तक पहुंचा देते लेकिन यह सरकारन उन्हें पानी दे रही है और नही सस्ती बिजली दे रही है। किसानों की किसी

प्रकार की भी सहायता नहीं कर रही है। किसानों की पैदावार की भी पूरी कीमत सरकार नहीं दे रही है। स्पीकर साहब, आप भी किसान हैं और इस बात को जानते हैं कि गेहूं कीमत का आज तक एग्रीकलचर प्राइस कमी एन ने एलान नहीं किया जबकि गेहूं मार्किट में आने वाला है। सरकार ने खाद, बिजली और खेतों में इस्तेमाल होने वाली दवाईयों की कीमतें तो बढ़ा दी लेकिन गेहूं की कीमत आज तक नहीं बढ़ पायी है। इस सब चीजों की कीमतें बढ़ने के बाद भी किसान को अपने गेहूं की कीमत सही नहीं मिल पाती है। मंडी में गेहूं जाता है तो वहां पर सरकार का इंस्पेक्टर लूटता है। किसान के गेहूं की कीमत सरकार मुकर्रर करती है लेकिन इंस्पेक्टर मंडी में आधी ढेरियों को रिजैक्ट कर देता है कि ये खरीदने के काबिल नहीं है। इन्सपेक्टर से मंडी के व्यापारी मिल लेते हैं। वे इंस्पेक्टर की मिली भगत से उस गेहूं को खरीद लेते हैं और बाद में फूड कार्पोरेट्स को बेच देते हैं। इसलिये मैं इस एप्रोप्रिएट बिल का विरोध करता हूँ। यह पास नहीं किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: वित्त मंत्री।

श्रीमती चंद्रावती: स्पीकर साहब, एप्रोप्रिएट बिल पर तो ओर भी मैनबर बोलना चाह रहे हैं। इसके बार तो ओर कोई टाईम नहीं रहेगा कि हम किसी बात पर बोल सकें।

श्री अध्यक्ष: अब मैंने वित्त मंत्री को काल अपोन कर लिया है इसलिये आप नैक्सट बिल पर बोल लेना।

श्रीमती चंद्रावती: सर, आप वित्त मंत्री को हुक्म दे कि दस मिनट के लिये बैठ जायें क्योंकि एप्रोप्रिए इन बिल पर तो बोलना बड़ा जरूरी है। जहां तक नैक्सट बिल का संबंध है उस पर तो कुछ नहीं कह सकते। अगर आप इजाजत दो तो अभी बोल लेती हूं। अपोजी इन को टाईम मिलना चाहिए केवल एक या डेढ़ घंटे का समय मिला है। अगर आपकी मर्जी हो तो समय और बढ़ा दे।

श्री राम विलास भार्मा: स्पीकर साहब, अगर आपकी अनुमति हो तो मुझे भी केवल पांच मिनट दे दे क्योंकि करोड़ों रूपये का एप्रोप्रिए इन बिल पास करवाने जा रहे हैं। मैं इस बारे में बड़ी जरूरी बात कहने जा रहा हूं। आपको नये सदस्यों को भी टाईम देना चाहिए ताकि हम भी अपने विचार सदन में प्रकट कर सकें।

श्री अध्यक्ष: अब समय नहीं दिया जा सकता क्योंकि अभी दो बिल और भी हैं। इसलिये आप उन पर बोल लेना।

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर): स्पीकर साहब, एप्रोप्रिए इन बिल नम्बर एक और दो सप्लीमेंटरी एस्टीमेटस सन् 1982-83 तथा वर्ष 1983-84 से संबंधित हैं, के बारे में सदन में बहुत से साथियों ने अपने विचार रखे। हाउस के अपोजी इन

के साथियों को पहले मौका नहीं मिला था क्योंकि वे उस दिन वाक आउट कर गये थे इसलिये उन्होंने आज बहुत सी बातें कही हैं। कुछ साथियों ने अपने क्षेत्र के बारे में कहा है जो जवाब देने योग्य भी है। मैं एक बात सदन के नोटिस में लाऊँ केवल रिवाइज्ड एस्टीमेट्स 81 करोड़ 92 लाख रुपये के रखे गये हैं जिनमें से 41 करोड़ 79 लाख रुपया ऐसा होगा जो वास्तविक रूप से खर्च होगा। 40 करोड़ 23 लाख रुपया ऐसा है जो हमें बाहर से सहायता के रूप में मिल जायेगा या काउंटर एंट्री होनी है, उनसे पूरा हो जायेगा। खाते में एंट्री होगी, जितना आया होगा उतना व्यय हो जायेगा, वह खाता ठीक रखने के लिये है। इसमें से ज्यादातर पैसा डिवैल्पमेंट के कामों पर खर्च हुआ है। जैसा सूखा पड़ गया था लोगों को राहत देने पर खर्च हुआ। डिवैल्पमेंट पर 7 करोड़ 36 लाख हेल्थ पर 5 करोड़ 26 लाख, सोशल वेलफेयर पर, 5 करोड़ 70 लाख, इंडस्ट्री पर एक करोड़ 79 लाख और एग्रीकल्चर पर 7 करोड़ 90 लाख रुपया खर्च हुआ है। वही सारे का सारा डिवैल्पमेंट के काम पर खर्च हुआ है, जिनके बारे में उस वक्त यानी बजट के टाइम पर अनुमान नहीं लगा सके थे। साल के दौरान इस पैसे को खर्च करना जरूरी समझा गया था क्योंकि प्रदेश के लिये विकास के जरूरी काम करने थे, इसलिये इस बारे में साथियों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसे पास करना चाहिए। डाक्टर मंगल सैन जीने और एक साथी ने कहा कि मिनिस्टर्स के घरों और दफतरों की फरनिचिंग का खर्चा बढ़ गया है। यह बात उनकी किसी हद तक ठीक है लेकिन यह बात

भी सही है कि उस खर्च की केवल लिमिट बढ़ायी गई है, यह लिमिट बहुत पहले की रखी हुई थी। आज के दिन चीजों के दाम ज्यादा हो गये हैं, मकानों के किराये भी पहले की रखी हुई थी। कुर्सी और दूसरे फर्नीचर की कीमतें भी बढ़ गई हैं। ये चीजें आज सेपांच दस साल पहले के भाव पर नहीं मिलेंगी। अगर इस मार्किट से कोई भी चीज आज के दिन खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मैं हाउस को यह विवास दिलाता हूँ कि कोई लग्जरी का आइटम नहीं बढ़ाया है केवल पैसे की लिमिट बढ़ायी है, वह भी इसलिये बढ़ायी है कि कीमतों में वृद्धि हो चुकी है।

स्पीकर साहब, कारों के बारे में भी बात कही गई। जहां कार की जरूरत होती है वहीं के लिये कार ली जाती है। कारों पर नियम के हिसाब से सरकार ने रोक लगा रखी है ताकि कार का कोई गलत इस्तेमाल न करे। जहां तक मुझे याद है पिछले साल में तीन चार कारें खरीदी हैं वरना हम पुरानी कार की रिपेयर करा कर ही कहते हैं कि इसे ही आप चलायें। कई बार रिपेयर में भी बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। ज्यादा पैसा फिजुल में खर्च नहीं किया है। बोर्ड और कार्पोरेट इंज का भी सदन में खर्चा हुआ। इस बारे में कोआप्रेटिव मिनिस्टर साहब जवाब दे चुके हैं। उन्होंने बताया था कि कई कार्पोरेट इंज और बोर्ड घाटे में हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कर्मचारियों को तन्खाह और डी0ए0 तो देना ही पड़ता है। यहां कहा गया कि वहां चोरी बढ़ गई है। अगर वहां बिजनैस की एक्टिविटीज हो तो यह खर्च और आमदनी

मे इतना ज्यादा अंतर न रहे। वहां की एकटीविटिज भी घाटे की है। जैसे एग्री इंडस्ट्रीज ने ट्रेक्टर्स खरीदे थे। जब तक वे नये रहे तो मुनाफे में चलते रहे लेकिन जब वे कंडम हो गये हैं। उनके ड्राइवरज तो यों के यों रखे हुए उनसे दूसरा काम लेना पड़ता है। ऐसे काम सरकार ने भुरु किये हुए हैं जिसमें घाटे और मुनाफे की ज्यादा की बात नहीं है, इसलिये गरीब और किसान वर्ग को उठाने के लिये ऐसा करना जरूरी है। यहां सदन के कुछ सदस्यों ने कहा कि अगर ये सारे बोर्ड और कारपोरेट अमीर आदमियों को बेच दी जायें या उनके हवाले कर दी जाये, फिर देख लेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि इन फैक्ट्रियों का या कंसर्ज का अमीरों को बेचना, कोई अच्छी बात नहीं है और यह प्रदेश के हित में भी नहीं होगा। जो बातें यहां पर हो चुकी हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। पुलिस के खर्च बढ़े हैं। अक्षय महोदय, इस बारे में भी बहुत बातें यहां पर हो चुकी हैं। सवालियों के जवाब में आ चुका है कि पुलिस के खर्चे निसंदेह बढ़े हैं और उसके कई कारण हैं। कुछ तो सिपाहियों ने और दूसरे रैंक्स ने थौड़ी सी इन्डिस्प्लिन की बात कर दी। इसके अलावा एग्रीकल्चर के इंतजाम बगैरह की वजह से कुछ ला एंड आर्डर की बात भी खास रही। ला एंड आर्डर कोमेनटेन करने के लिये और सिक्योरिटी रिजन की वजह से कुछ खर्चे बढ़े हैं। हमने इस बात की पूरी कोशिश की है कि यह खर्चे महसूद रहे और जरूरत के मुताबिक हो और जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च न हो। मुझे आशा है कि कुल मिला कर सारा सदन मेरी इस बात से मुतलिफ होगा

कि अगर पुलिस के खर्चे बढ़े हैं तो हमारे यहां ला एण्ड आर्डर की हालत में सारे देश में सबसे अच्छी रही है। वह कोई बात नहीं होती कि अगर किसी एक आदमी की जान का नुकसान हो जाये और हम मुंह दुखते रह जायें किसी की जान का नुकसान न हो, इस बात की जिम्मेवारी सरकार की है। ऐसे तो बात नहीं बनती कि पहले किसी की जान का नुकसान होजाये फिर जवाबतलबी होती फिरे। सरकार ने ला एण्ड आर्डर ठीक रखने के लिये और अमन को कायम रखने के लिये जो पुलिस के कुछ खर्चे किये हैं, यह प्रदेश के और देश के हित के लिये किये हैं। एक्सआईज डिपार्टमेंट के लिये रिवाईज्ड एस्टीमेट्स में कुछ खर्चा मांगा गया है। चौकिया बढ़ायी गयी हैं, कुछ स्टाफ बढ़ाया गया है, चौकसी/रेड्स करने के लिये और टैक्स की इवजन को रोकने के लिये हमने स्टाफ बढ़ाया है। इससे हमारी पहले के मुकाबिले आमदनी भी बढ़ी है और इवेजन पहले से कम हुआ है। डाक्टर साहब ने कालेजों को दी जाने वाली ग्रांट की तो सराहना की लेकिन प्राइवेट स्कूलों के बारे में एक बात कही। उन्होंने यह कहा कि उनकी भी कुछ मांगें हैं, उनको मान लेना चाहिए। डाक्टर साहब को मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सरकार प्राइवेट स्कूलों की तरफ कोई कड़ी निगाह नहीं रखती। इन प्राइवेट स्कूलों को भी हरियाणा सरकार की ओर से उनके घाटे का 75 प्रतिशत अनुदान या ग्रांट के रूप में दिया जाता है। ऐसा पिछले दो-तीन सालों से हो रहा है। पिछले साल 2 करोड़ 35 लाख रुपया इन प्राइवेट स्कूलों को घाटे की वजह से दिया गया था जो अब इस

साल बढ़ कर 3 करोड़ 35 लाख हो जायेगा। जहां तक इन प्राइवेट स्कूलों के सारे घाटे/खर्च का संबंध है, वह तो भायद सरकार बर्दा त नहीं कर पायेगी। इस बात को हमारे आनरेबल मेंबर्ज भी महसूस करेंगी कि हम इनके साथ कोई ज्यादाती नहीं कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जान बूझ कर इनको नहीं देना चाहते आपके पता ही है कि जैसे जैसे स्टेट के फाईर्नसिज एलाउ करते हैं, उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी रोहतक को 8 लाख रूपया देने के बारे में कही। अगर तो यह पैसा कहीं मिसयूज हुआ है, फिर तो अलग बात है। मैं उनकी जानकारी के लिये यह बताना चाहूंगा कि यह पैसा सिर्फ एम्पलाईज के एडी एनल डी0ए0 का है और कुछ जो 1979 में एम्पलाईज की तनखाहें इंक्रीज हुई थी, उसकी वजह से प्रोवीडेंट फंड जो उनका बढ़ा है, उसका खर्चा है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैंने तो इनसे यह अ योरेंस मांगा था कि दुलत कमी एन ने रिपोर्ट में वहां के वाइस चांसलर के बो में कमेंटस दिये हैं, उनके बारे में आप एक एन कर तक ले लेंगे?

चौधरी कटार सिंह छोकर: सदन में यह बात पहले भी हो चरुकी है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका जवाब दे दिया है कि वह रिपोर्ट प्रोसैस हो रही है। उस रिपोर्ट को अभी सरकार देख रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन बातों का जवाब आ चुका है, उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। एक बात यहां

पर स्पोर्टस के बारे में कही गयी। एग्रीकल्चर में हरियाणा के खिलाड़ियों ने पुरस्कार प्राप्त किये, इसकी तो तारीफ की गयी। और कुल मिला कर सारे खिलाड़ियों के मुकाबिले में यह भी कहा गया कि हमारा बहुत ही अच्छा योगदान था। एक बात डाक्टर साहब ने कही, भायद मैं उसको गलत समझ सका हूँ और या डाक्टर साहब उसको ठीक तौर पर समझा नहीं सके। उन्होंने यह कहा कि अर्बन डिवैल्पमेंट के लिये कम खर्च रखा गया है। यह अनुपात के हिसाब से होना चाहिए था। भायद उनका मतलब रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में दिये गये खर्चों के बारे में था। मैं उनको यह बताना चाहूँगा कि ये रिवाइज्ड एस्टीमेट्स या किसी सारे साल के एस्टीमेट्स किसी अनुपात से नहीं बनाये जाते। (व्यवधान व भाोर).....

श्री मंगल सैन: मैंने आपको यह सुजैस्ट किया था कि आबादी के हिसाब से आपको अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में खर्च करना चाहिए।

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, हम रूरल एरियाज की डिवैल्पमेंट और अर्बन एरियाज की डिवैल्पमेंट का पूरे तौर पर, और बराबर ख्याल रखते हैं। एक बात डाक्टर साहब ने कह दी कि स्टेट लैवल पर कोई ग्रिवैसिज कमेटी बना दी है। मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि स्टेट ग्रिवैन्सिज कमेटी कोई नहीं है। केवल डिस्ट्रिक्ट ग्रिवैन्सिज कमेटीज है। मैं यह समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट ग्रिवैन्सिज कमेटीज बहुत अच्छा

काम कर रही है। हर आदमी की शिकायत के बारे में, जब तक उसको सामने न सुना जाये तब तक कोई समाधान नहीं हो सकता। इसलिये जब तक उसकी शिकायत दूर नहीं हो जाती, उसकी शिकायत की सुनवाई को हर महीने चालू रखा जाता है। मैं यह समझता हूँ कि इस कमेटी के लोगों के कष्ट निवारण के लिये बहुत अच्छा काम किया है। एक बात उन्होंने रायट रिलिफ के बारे में कह दी कि साहब यह एक लाख रूपया फिलीस्तीनियों को क्यों दे दिया गया है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरे लायक दोस्त ने सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स की डिमांडज में पेज 51 पर यह लिखा है। कि स्टेट लैवल पर कोई कमेटी बनी हुई है, उसके लिये 29400 रूपया इनको दिया जाये। मैंने बहिन भाकुंतला जी को यह कहा था कि आप तो खुद हरिजन हैं और आप उनके दुःख को बेहतर समझती हैं। सरकार यह कहती भी है कि हम हरिजनों का खास तौर पर खयाल रखते हैं। अगर ऐसी बात तो फिर स्टेट लैवल पर कमेटी बनाने की क्या जरूरत है।

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, स्टेट लैवल की जैसे मैंने पहले कहा, कोई कमेटी नहीं है, (व्यवधान व भाोर) स्पीकर साहब, अगर यह बहुत ज्यादा जिद्द करते हैं तो मैं इनको देख कर बता दूंगा। वैसे स्टेट लैवल पर कोई ग्रिवैन्सिज कमेटी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट ग्रिवैन्सिज कमेटी जरूर बनी हुई है। (व्यवधान व भाोर) यह मेरे से बाद में मिल ले, मैं इनको पोजीटिव बता दूंगा।

Shri Mangal Sien: On a point of order, Sir. I am on page 51 of Supplementary Estimates (Second Instalment) 1982-83. wherein it is written:-

“In order to devote special attention to the cases of victimisation and discrimination in respect of the members of the Scheduled Casts and backward Classes, a State Level Grievances Committee has been set up by the State Government.”

Chaudhri Katar Singh Chhokar: That is for the members of the Scheduled Castes. सपीकर साहब, इन्होंने तारे अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया है कि हरिजनों के लिये है। यह कोई जनरल कमेटी नहीं है। (व्यवधान व भाोर) आपने खुद तो बता दिया है कि हरिजनों के लिये यह कमेटी है। जनरल ग्रिवेंसिज कमेटी कोई भी स्टेट लैवल पर नहीं है।

श्री फतेह चंद विज: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं वित्त मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि यह जो बैगियर्ज पर 24 घंटे में तीन रिफ्टों में 20-25 हजार रूपया रोज का रि वत का लिया जा रहा है। इसको रोकने का कोई इंतजाम किया जा रहा है या नहीं या केवल जनता के ऊपर टैक्स ही बढ़ा रहे हो?

चौधरी कटार सिंह छोकर: सपीकर साहब, जहां तक फिलीस्तीनियों को एक लाख रूपये देने की बात है, वह एक लाख रूपये का खर्च तो हमने इस साल के बजट में दौरान रखा

हुआ था लेकिन हमें दो लाख रूपये के कम्बल फिलीस्तीनियों के लिये देने पड़े, इसलिये यह एक लाख लाख रूपया मांगा गया है

श्री मंगल सैन: क्या आपका असम वालों के लिये भी कोई प्रोग्राम है।

चौधरी कटार सिंह छोकर: जब उनके लिये प्रोवीजन आयेगा तो आप आपत्ति कर लेना। (व्यवधान व भाोर)

श्री मंगल सैन: साहब, इसमे तो कोई आपत्ति वाली बात ही नही है। जब फिलीस्तीनियों के लिये आप यह कर रहे हो तो आसामियों के लिये क्यों नह कर रहे हो?

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, दुनिया मे आपसी इतना रि ता है कि अगर दुनिया के किसी हिस्से मे भी कोई परे ानी आती है तो उसमे छोटी मोटी राहत हर जगह से आती है। डा0 साहब, थोड़ा सा उदार होना चाहिए।

श्री मंगल सैन: आसाम वालों के लिये भी आप कुछ उदर हो जाओ।

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, यह पिदले साल की बात है। जब यह पैसा दिया गया था।

श्रीमती चन्द्रावती: अध्यक्ष महोदय, सैंट्रल गवर्नमेंट विदे ाों मे सहायता के रूप मे पैसा दे तो बात मानी जा सकती

है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट विदे गों के लिये पैसा बजट मे रखे यह तो अनप्रैसिडेंटिड बात है।

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, अगर एक दो लाख रूपया आसाम वालों के लिये भी रख देते तो उससे उनका क्या होने वाला था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालीस करोड़ रूपया उनको दिया है। एक दो लाख से क्या फर्क पड़ने वाला है। स्पीकर साहब, चौधरी किसताब सिंह ने कहा कि एग्रीकल्चर के लिये बहुत थोड़ा पैसा रखा गया है। मैं आपकी मारफत सदन को बताना चाहता हूँ कि इस आने वाले साल मे 43 करोड़ 80 लाख रूपये से ज्यादा एग्रीकल्चर के लिये रखा है और जो चालू साल खत्म हो रहा है उसमे भी तकरीबन इतना ही रूपया रखा गया था। आप अंदाजा लगा सकते है कि यह राशि कम नही है। स्पीकर साहब, उन्होंने कहा कि हैल स्टोर्म से किसानों की फसलों का 170 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है और सिर्फ चौदह करोड़ रूपये की राहत किसानों को दी गई, वह नुकसान हुआ और सिर्फ चौदह करोड़ रूपये की राहत किसानों को दी गई, वह नुकसा के अनुपात मे काफी नही है। स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि आलों से या दूसरी कैलेमिटी से जो नुकसान होता है सरकार उनको सेंट परसेंट पूरा नही कर सकती। मान लो किसी का मकान गिर गया और मकान गिरने से उनका दस लाख का नुकसान हो गया तो सरकार उसको किसी भी तरह से पूरा नही कर सकती। सरकार तो टोकन रिलीफ दे सकती है। सदन के

सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इस सरकार ने 182-83 में चौदह करोड़ से अधिक रुपया ओलो से खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जबकि आज तक जो भी सरकार आई उसने एक दो करोड़ रुपये से ज्यादा मुआवजा नहीं दिया। यह ठीक है कि किसान का नुकसान हुआ है और अब का सरकार एक दो करोड़ की मदद दिया करती थी परंतु इस सरकार ने चौदह करोड़ की सहायता दी है।

श्री किताब सिंह: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। माननीय मंत्री जी ने माना है कि किसानों का 170 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है और जैसा सरकार का फैसला है कि अगर 75 परसेंट से ज्यादा नुकसान होगा तो चार सौ रुपया फी एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा तो उस हिसाब से तो मुआवजा दिया जाना चाहिए था।

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, पीछे जब भी राहत दी गई, वह तीन सौ रुपये फी एकड़ के हिसाब से दी जाती रही है। लेकिन हमने सौ रुपया अधिक दी है। मतलब यह है कि हमने चार सौ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया है। स्पीकर साहब, उन्होंने यह भी कहा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रेट्स ज्यादा होने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान जो पैदा करता है उसका रेट कम है और दूसरी चीजों के रेट्स ज्यादा हैं। अगर किसान की चीज के रेट ज्यादा हो जाये तो अच्छी बात है लेकिन इसके लिये स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। इसके लिये बहुत सी

तैयारी करनी पड़ती हैं यह मामला भारत सरकार से संबंधित है। यह जनरल इकॉनोमिक पौलिसी की बात है। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से सदन केनोटिस में लाना चाहता हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान चाहे वह सेंट्रल में है यह स्टेट्स में है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कीमत कौंसेंट्रली रीजनेवली बढ़ाई गई है। स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि जब जनता राज आया था और प्रकाश सिंह बादल एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेंट्रल में बने थे तो उन्होंने दावा किया था कि गेहूँ की कीमत 125 रुपये प्रति क्विंटल कर दूंगा। उस वक्त 110 रुपये से केवल एक सौ साठे बारह रुपये कीमत ही वे कर पाये थे। केवल अढ़ाई रुपये की बढ़ौतरी ही वे कर पाये थे और उनको रिजाइनकरके वापस आना पड़ा था। कांग्रेस के टाइम में कौंसेंट्रलीदस, बारह रुपये कीमत बढ़ती रही है। पिछले साल 142 रुपये प्रति क्विंटल थी और सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर यह कोशिश करते रहे कि कीमत बढ़ाई जाये।

श्री मंगल सैन: 1973 में जब चौधरी बंसी लाल चीफ मिनिस्टर थे और भजन लाल एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उसवक्त हरियाणा में 74 रुपये का भाव था। किसान संघर्ष समिति के आंदोलन के कारण उस वक्त गेहूँ का भाव 110 रुपये दिया गया था और यह कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ही दाम बढ़ाती रही है।

चौधरी कटार सिंह छोकर: डा० साहब, किसान का भला होना चाहिए। स्पीकर साहब, श्री किताब सिंह ने कहा

कि एम0एल0एज0 की पैं इन बंद होनी चाहिए गोहाना वाले एम0एल0ए0 अच्छा ही सुझाव देते है लेकिन यह आल इंडियालेवल की बात हो गई है। अगर पैं इन बंद होने का मौका आता है तो हमें कोई एतराज नही है। अपोजी इन वाले रिटायर हाने के आद पैं इन न ले। अगर ये पैं इन नही चाहते तो ये लिख कर दे दे। अध्यक्ष महोदय, श्री मांगे राम ने कहा कि उनके यहां कोई रजिस्ट्री क्लर्क है वह बहुत क्रप्ट हैं उसने दो कोठी और एक कार बना ली है फिर कहा कि एम0आई0टी0सी0 द्वारा वाटर कोर्सिज मे सीमेंट नही लगाया जाता बल्कि ब्लैक मे बेचा जाता है। उनकी ये बाते नोट कर ली हैं अरग इस तरह की बात उनके क्षेत्र मे हो रही है तो वे खिल कर दे तो अच्छा रहेगा। (गोर व व्यवधान) स्पीकर साहब, नम्बरदारों को पचौतरा दिलाने की बात कही गई है, स्पीकर साहब, सरकार इस पर गौर करेगी। स्पीकर साहब, श्री जसवंत सिंह चौहान ट्रेजरी बेंचिज से बोले और उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने कहा कि डाउरी मांगने की वजह से अगर कोई डैथ होती है तो उस पर पैनल्टी लगनी चाहिए। स्पीकर साहब, डाउरी डैथस के बारे मे मुख्य मंत्री महोदय ने विस्तार से बता दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर देहात मे कोई आदमी प ु नही रखता तो उस पर टैक्स लगना चाहिए। ऐसा करने से देहात मे लोग प ु रखने लगेंगे और कैटल वैल्थ इंक्रीज होगी। उनका सुझाव अच्छा है लेकिन अभी सरकार का इस तरह का टैक्स लगाने का इरादा नही है। स्पीकर साहब, चौहान साहब ने यह भी कहा कि उनका राई

का इलाका फलडिड एरिया है, वार्डर पर बसा हुआ है और वहां पर बहुत से ऐसे गांव हैं जो जमना में आ जाते हैं। वहां पर सड़क बनाई जाये। स्पीकर साहब, वहां पर सड़क तो बनाई जा सकती है लेकिन पुल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि जमना इरोजन कर देती है थोड़ी कीमत का पुल तो वहां ठहर नहीं सकेगा। सरकार का इस तरफ पूरा ध्यान है और मैं वि वास दिलाता हूं कि जो गांव बाकी है, सब को सड़क देंगे।

जो गांव नक्शों पर रही है, जो डायरेक्टरी विलेजिज नहीं है अगर वहां की आबादी 250 की है और हरिजन कालोनीज में आते हैं तो वहां पर सरकार सड़कें बनाने जा रही है।

श्री फतेह चंद विज: स्पीकर साहब, ब्रिजिज की बात अगर प्रैक्टिकेवल नहीं है तो जो गांव सड़कें न होने के कारण आपस में मिल नहीं पा रहे, कम से कम वहां पर तो सड़कें बना कर उनको आपस में मिलाया जाये।

चौधरी कटार सिंह छोकर: ठीक है, इस तरह के गांवों को आपस में मिलाने के लिये सड़कें बनाई जायेगी। चौहान साहब ने एक सुझाव दिया है दिल्ली से लेकर मूरथल तक एक कच्चा बांध है, उसको पक्का कर दिया जाये और साथ में सड़क भी बना दी जाये। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि इस वक्त तो यह फिजीकल नहीं है। जब यह एग्जामिन होगा। तब इस पर विचार कर लेंगे क्योंकि ऐसा काम सारे प्रदेशों के लिये करना पड़ता है। एक ओर

बात उन्होंने स्कूल बिल्डिंगज के बारे में कहीं कि उनके हल्के में बहुत से गांवों में स्कूल बिल्डिंगज बना रखी है लेकिन स्कूलों को अपग्रेड नहीं किया गया है। फिर भी मैं इस बारे में उनकी डिमांड एजुकेशन मिनिस्टर साहब तक पहुंचा दुंगा और आता है कि सरकार उनके इस सुझाव पर भी अवश्य विचार करेगी। एक बात और उन्होंने कही कि इंडस्ट्रीज के लिये सरकार दिल्ली के नजदीक लगने वाले गांवों की जमीन, गरीब किसानों की जमीन एक्वायर कर लेगी है जिससे वे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जब नौकरी वगैरह देने की बात आती है तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टसबाहर के लोगो को रख लेते हैं। इससे उस इलाके के लोगो को बड़ी परेशानी होती है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार इस बारे में कुछ कर सकी तो इसओरपूरा ध्यान दिया जायेगा।

श्री हरि चंद हुड्डा जी ने भी एक आधा बात कह दी। वे अपना सांग करके बैठ गये। मेरे तो कोई बात पल्ले नहीं पड़ी कि वे कह गये इसलिये किस बात का मैं जवाब दूँ। सिर्फ खेती के बारे में उन्होंने कहा कि एनुअलप्लान में इसके लिये बड़ा पैसा रख गया, उसके लिये पैसा ज्यादा रखना चाहिए था। मैं जो कहूंगा वह उनकी समझ में भायद नहीं आयेगा। खेती के लिये जो प्रोवीजन रखा गया है, आने वाले साल में उसमें 18.43 परसेंट वृद्धि की है। यह उनका कहना बिल्कुल निराधार है कि खेती के लिये जो पैसा रखा गया है, वह बहुत कम है।

इससे आगे श्री ई वर सिंह जी ने भी एक दो सुझाव दिये कि सिलेबस में चेंज होनी चाहिए। रिलीजस, फिजीकल और योगा वगैरह सबजैक्ट भी स्कूलों/कोलेजों में इंट्रोड्यूस होने सुझाव दिये। हम उनसे सम्पर्क करके जैसे जैसे फिलीकल हुआ, कर लेंगे। एक ओर बात इन्होंने कही कि बस स्टैण्डज के लिये जमीन एक्वायर करने के बाद वहां वृक्ष लगाने चाहिए, इस पर भी हम गौर करेंगे।

चौधरी हुक्म सिंह जी ने बोलते हुए सरकार के ऊपर कुछ आरोप भी कसे और कुछ सुझाव भी दिये सब से पहले उन्होंने कहा कि राज भवन के अंदर एस्सटैंट्स की गयी है। वैंकुट हाल बनाया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गवर्नर महोदय के लिये नई कार भी खरीदी गयी। यह बिल्कुल ठीक है। गवर्नर महोदय के लिये नई कार खरीदी गयी और पुरानी को बेचकरी यह कारी खरीदी गयी है। गवर्नर का औहदा एक प्रतिश्टा का औहदा होता है। वैंकुट हाल कोई गवर्नर साहब ने उठाकर नहीं ले जाना, हमें इस तरह की बातें सहां पर कहना भाभा नहीं देती। अगर आनरेबल मैनबर इसको फिजूल खर्ची कहे तो उनके लिये यह उचित नहीं है एक दो बातें उन्होंने अपने हल्का के बारे में भी कही कि इमलौट ओररानीलावाटर वर्कस का काम पिछले 5-10 सालों से वैसे ही पड़ा हुआ है। उस परकाम चालू था, लेकिन अब वे काम रुके पड़े हैं। मैं उनको इस हाउस में आवासन दिलाना चाहता हूं कि संबंधित विभाग का इस बारे

ध्यान आकर्षित कर दिया जायेगा और इस काम को जल्दी से जल्दी एक्सपीडाइट करवा दिया जायेगा दुसरा उन्होंने मौँघ डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे मे भी कहा कि एम0आई0टी0सी0 जो खाले बना रही है पानी आते ही वे खालें टूट जाती है, लाइनिंग ठीक नहीं है। खालें तो कई जगहों पर बनायी गयी है। अगर माननीय सदस्य किसी पार्टिकूटलर जगह का नाम हमारे नोटिस मे लाए तो हम अब य उनकी बातों पर ध्यान देकर वाहं काम करवाने की कोशिा करेंगे और मुरम्मत भी आव यक करवा दी जायेगी जो खालें पिछले पांच पांच सालों से रूकी पड़ी है, उनको भी जल्दी ही बनवा दिया जायेगा। इसके साथ उन्होंने फर्टीलाइजर पर सबसिडी की बात कही कि इसका मिस युटीलाइजै न हो रहा है। अगर माननीय सदस्य कोई बात हमारे नोटस मे लायेंगे तो हम अब य कार्यवाही करेंगे ओरध्यान रखेंगे कि आगे के लिये किसी के साथ कोई घांघली न होने पाएं जहां तक एच0एस0ई0बी0 का ताल्लुक है, इस बारे मे कठै चन आवर हमे ही आई0पी0एम0 साहब ने सारी पोजी न क्लीयर कर दी थी। फिर भी मैं आनरेबल मैंबर्ज की जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे एच0एस0ई0बी0 की हालत काफी अच्छी है। पहले एच0एस0ई0बी0 ने हमें काफी परे नान किया था क्योंकि पानीपत और फरीदाबाद के दोनों थर्मल पलांटस खराब पड़े हुए थें लेकिन अब पानीपत के दोनो थर्मल पलांट जोकि 110-100 मैगावाट के है, वे अपनी 85 परसेंट कैपेसिटी पर चल रहे है अब हमें किसी बात की कोई परे नानी नहीं है। इस वक्त

हमारी युटीलाइजे इन सारे दे 1 मे टॉप पर है बे 100 की डाक्टर मंगल सैन जैसे उसे इसी हालत मे रहने दें (100 एवं व्यवधान) इन्ही भाबदों के साथ स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूआ यह रिक्वैक्ट करूंगा कि इन एप्रोप्रिये इन बिलज को पास किया जाये ।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into ocnsideration at one.

The motion was carried

Clause 2 and 3, Schedule, Clause 1, Enacting Formula and Title

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 and 3, the Scheuled, clause1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar):

Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Clause 2 and 3, Schedule, Clause 1, Enacting Formula and Title

That clause 2 and the Schedule, clause 1, the Enacting formula and the Title stand part of the Bill.

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar):

Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगूले ान एंड डिवैल्पमेंट) अमेंडमेंट बिल, 1983

श्री अध्यक्ष: मुझे श्री मंगल सैन एम0एल0ए0 की ओर से फरीदाबाद कम्पलैक्स (रेगुले इन एंड डिवैल्पमेंट) अमेंडमेंट आर्डिनैस, 1983 (हरियाणा आर्डिनैस नं0 2 आफ 1983) की अप्रूवल के लिये नोटिस मिला है। अगर हाउस सहमत हो तो हाउस का समय बचाने के लिये इस प्रस्ताव पर और बिल की कंसिड्रे इन मो इन पर इकट्ठा विचार कर लिया जाये। परंतु चर्चा समाप्त होने पर इन पर अलग अलग मतदान किया जायेगा।

आवाजें: ठीक है जी।

श्रीमती चंद्रावती: जनाव आपने जो हुकम दिया है वह हमने मान लिया है लेकिन एप्रोप्रिए इन बिल पर कुछ बोला जा सकता था। यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टस तो आई नहीं है। कल एक पुलिस एडमिनिस्ट्रे इन की रिपोर्ट आई थी जोकि वर्ष 1978 की थी।

श्री अध्यक्ष: बहिन जी अब तो एप्रोप्रिए इन बिल पास हो चुका है। वैसे भी आपसे अपनी पार्टी के बोलने वालों के नाम मेरे पास भेजे थे और उसमें आपने अपना नाम नहीं लिखा था।

श्रीमती चन्द्रावती: मैंने आपको जुबानी कहा था। बहुत सारी बातें कहने की थी। क्योंकि बातें तो बजट पर या डिमांडज पर बोलते ही कही जा सकती हैं।

श्री अध्यक्ष: वह तो अब पास हो चुके हैं, आप कृपया बैठिये।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, कल जब हम यहां पर आये तो हमें। पुलिस एडिमिनिस्ट्रेटिव की 1978 की रिपोर्ट मिली। रूलज के मुताबिक इन पर डिसक इन के लिये हमें नोटिस देना पड़ता है। फिर जैसा कि आप जानते हैं सारा विजनैस रीट्यू किया जा रहा है। हम चाहते थे कि इस रिपोर्ट को स्टडी करके इस पर बहस की जाये। स्पीकर साहब, हम उस बात से डिप्राइव हो गये। आप इनको इस बात की इजाजत न दें कि ऐसी रिपोर्ट्स फ्रैग एंड में लाएं बल्कि भुर्रु में लाएं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि यह सदन फरीदाबाद संव्यूह (विनियमन तथा विकास) संशोधन अध्यादे 1, 1983 (1983 का हरियाणा अध्यादे 1 संख्या 2) का निरनुमोदन करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि यह हाउस फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुलेटिव एंड डिवैल्पमेंट) अमेंडमेंट अर्डिनैस, 1983 (हरियाणा आर्डिनैस नं० 2 आफ 1983) को डिसएप्रूव करता है।

स्थानीय भासन राज्य मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एंड डिवैल्पमेंट) अमेंडमेंट बिल पर तुरंत विचार किया जाये ।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एंड डिवैल्पमेंट) अमेंडमेंट बिल पर तुरंत विचार किया जाये ।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, लोकल बाडीज के मिनिस्टर महोदय ने पहले तो यह इजाजत दे रखी थी कि फरीदाबाद कम्पलैक्स मे 11 साल के बाद चुनाव कराये जायें और अब इन्होंने एक साल और बढ़ाने की मांग की है । ये हम से चाहते है कि हम इस बात पर मोहर लगाये । स्पीकर साहब, इस बिल के स्टेटमेंट आफ आबजैक्टस एंड रीजंज मे इन्होंने फरमाया है ।

“.....Government in the Locak Self Government has for some timepast been exploring the possibilities of declaring Faridabad Complex as ‘A’ Class Municipalities/Corporation. It sas not possible to ninalise action before 14th January, 1983 when its present term was expiring. As such the period to constitute an elected body in Fariidabad Complex was extended by one year by issue of an Ordinance on 14th January, 1983.”

स्पीकर साहब, लोक बौडी की गवर्नमेंट पिछले कई दिनों से यह बात एक्सप्लोर करती रही है या सम्भावनाओं के बारे मे प्रयत्न कर रही है कि फरीदाबाद कम्पलैक्स को या तो ‘ए’ क्लास म्यूनिसिपल कमेटी करार दे दिया जाये अथवा उसको निगम

बना दिया जाये। यह सरकार पिछले 11 सालों में तक नहीं कर सकी। अब ये कहेंगे कि दो अढ़ाई साल आपको भी मिले, आपने क्या किया था। ये दो अढ़ाई साल का रोना अननी चमड़ी बचाने के लिये और उस गवर्नमेंट की इन एफिशिएंसी भागे करने के लिये रोते हैं। अगर हमारा मामला ठीक रहता और हमारे साथी दल बदल कर न भागते तो आपने आज यहां नहीं होना था। (गोर) स्पीकर साहब, इस कम्पलैक्स से पहले वहां पर दो म्यूनिसिपल कमेटियों थीं। एक ओल्ड फरीदाबाद की और दूसरी बल्लभगढ़ की। स्पीकर साहब, इनहोंने फरीदाबाद टाउनशिप और 17 गांवों को मिलाकर यह कम्पलैक्स बनाया था। स्पीकर साहब, यह भी संयोग की बात है कि जब फरीदाबाद कम्पलैक्स का एकट बना तो मैं उस समय भी इस हाउस का मੈबर था। उस समय हमने चौधरी बंसी लाल जी से कहा था कि आप इलैक्ट्रिक बाडी क्यों नहीं बनाते। उन्होंने कहा कि अभी तो नया नया एक्सपीरिएंस है, कुछ दिनों के बाद बना देंगे। धीरे धीरे साल बढ़ते गये और आज बाहरवें साल पर पहुंच गये। देखने वाली बात यह है कि वह एरिया दिल्ली के नजदीक है और लोग किस तरह से वहां पर जमीन ले रहे हैं। हैफ हैजर्ड ग्रोथ हो रही है। सारे देश से आए लोग वहां पर काम करते हैं। वहां पर उद्योग पतियों ने उद्योग लगा रखे हैं और काफी करोबार फ्लोरिंग कर रहे हैं। अगर एक युनिट के हिसाब से हरियाणा का कोई सब से बड़ा इलाका है तो वह फरीदाबाद है और उसके बाद हमारे भाहर का नम्बर आता है स्पीकर साहब, डैमोक्रेसी का तकाजा है और आप

जानते हैं कि जब अमरीका ने इंग्लैंड के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था तो कहा था कि 'नो टैक्स इन विदआउट रिप्रजेंटे इन' यानी बिना प्रतिनिधित्व के कोई टैक्स नहीं देगा। अगर म्यूनिसिपल कमेटी या कार्पोरे इन में हमें नुमायंदगी नहीं मिलेगी तो हम आपको कोई टैक्स नहीं देंगे। स्पीकर साहब, डैमोक्रेसी की पहली पीढ़ी लोकल बाडीज यानी पंचायत है। जहां से आदमी डैमोक्रेटिक फंक्शनिंग का अभाव सीखता है। इस देश के बड़े मानीय नेता हो चुके हैं जैसे पहले प्रधान मंत्री, पहले राष्ट्रपति, पहले गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल और भी बहुत ऐसे व्यक्ति थे जो इन संस्थाओं से संबंधित रहे। इनमें से कुछ इलाहाबाद म्यूनिसिपल कमेटी और पटना की म्यूनिसिपल कमेटी के प्रैजिडेंट रहे। लाला लाजपत राय लाहौर म्यूनिसिपल कमेटी के म्यूनिसिपल कमिशनर थे। इसी प्रकार से बल्लभ भाई पटेल अपने क्षेत्र की म्यूनिसिपल कमेटी के प्रैजिडेंट थे और धीरे धीरे राज करतें हुए उन्होंने देश के प्रशासन को बड़ी अच्छी तरह से चलाया। तो स्पीकर साहब, वहां की जनता पिछले 11 सालों से अपने अफेसर खुद कंट्रोल करने से वंचित है। इन्होंने वहां पर एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखा है और लोग उस आदमी के खिलाफ हैं। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि अगर डैमोक्रेसी न होती और नौकर शाही पर सारा मामला छोड़ दिया जाता.....

श्री अध्यक्ष: आप थोड़ा ब्रीफ करें।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह तो फर्स्ट स्टेज है। मैं इतना आहिस्ता तों बोल नहीं रहा जितना कटार सिंह जी बोल रहे थे। स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ की जनता को अपने अफेयर्स को खुद कंट्रोल करने के लिये, सुपरवाइज करने के लिये और अपने नगर की व्यवस्था की देख भाल करने के लिये मौका मिलना चाहिए था, जोकि नहीं दिया। इसी प्रकार से सारी नगरपालिकाएं बंचित कर रखी है। चौधरी भजन लाल जी कह रहे थे कि क्या करे। साहब जनगणना बीच में आ गई हैं यह बहाना कब तक लगायेंगे। 81 बीत गया और 82 भी बीत गया और आज 1983 के मार्च की 23 तारीख हैं। स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सारे प्रदेश के अंदर नगरपालिकाओं का बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैंने पहले भी एक दिन बोलते हुए यह कहा था कि हरियाणा प्रांत की सभी नगरपालिकाएं नर्कपालिकाएं बनी हुई हैं। (गोर) स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना हूँ कि नगरपालिकाओं के तुरंत चुनाव कराने के लिये घोषणा की जानी चाहिए। जिस भाहर की दो लाख की आबादी है उसकी नगरपालिका को कारपोरेट न का दर्जा देना चाहिए। स्पीकर साहब, रोहतक भाहर की रा न कार्डों के हिसाब से दो लाख की आबादी है लेकिन जो सेंसस करने वाले थे। उनको यदि कोई आदमी घर में मिल गया तो उसको लिख लिया और जो आदमी घर पर नहीं मिला उसको नहीं लिखा, इसलिये सेंसस के हिसाब से रोहतक भाहर की रा न कार्डों के हिसाब से दो लाख की आबादी रह गई है। ऐसे बड़े भाहरों में नगरपालिकाओं की बजाये कारपोरेट न

होनी चाहिए। स्पीकर साहब, गवर्नमेंट को यह चुनाव कराने के लिये घोशणा कर दे। इसमें संकां करने वाली क्या बात है ? जो भी आदमी चुनकर आयेंगे, वे आ जायेंगे। लोकल बाडीज मिनिस्टर को इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि मौसम अनुकूल होगा है या नहीं होता और फेवरेबल होता है या नहीं होता। इन भाब्डों के साथ मैं यह कहता हूं कि मैंने जो एस बिल की डिसएप्रूवल का नोटिस दिया है, मैं उस पर स्टैंड करता हूं और जो बिल आया है वह पास नहीं होना चाहिए। न ही इनको टाईम एक्सटेंशन का अधिकार मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: अब मंत्री महोदय जवाब दे दें।

स्थानीय भासन राज्य मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी):

स्पीकर साहब, मेरे मुअजिज दोस्त डा० मंगल सैन जी ने इस बिल पर कुछ एतराज उड़ाए हैं मैं उनकी जनरल कमेंटरी का जिक्र नहीं करूंगा लेकिन उनकी दो बातों का जवाब अब य देना चाहूंगा। स्पीकर साहब, जनवरी 16983 तक इसकी मियाद थी। मैंने संतोधान के जरिये एक साल की मियाद और मांगी है इस बारे में डा० साहब ने भी एक बात वाजह तोर पर सजैस्ट की है कि इस मियाद को जून तक क्यों न कर दिया जाये। मैंने पहले भी एक एक सवाल के जवाब में यह क्लीयर बताया था और अब भी बता देता हूं कि 1981 की सेंसस फिगर्ज हमें 1982 के आखिर में मिली है। इसलिये सेंसस फिगर्ज मिलने के आद ही इस बारे में गौर करना था। कि आया इसको ए क्लास कमेटी बनाना है या

इसको कारपोरे ान का दर्जा देना है। दिसम्बर 1983 के बाद जनवरी में, चुनाव कराने के लिये हमें नोटिफिके ान के लिये भी 30 दिन का समय चाहिए था। लिहाजा मैंने इस अमेंडमेंट के जरिए एक साल की मियाद और मांगी है ताकी इा दौरान में इसको कारपोरे ान या ए क्लास कमेटी बनाने के लिये वार्डबंदी की जा सके। डा० साहब खुद मिनिस्टर रहे इनको खुद पता होना चाहिए कि कारपोरे ान की वार्डबंदी के लिये कम से कम एक साल का समय चाहिए और वह भी दिन रात काम करे तो वार्डबंदी का काम हो सकता है। स्पीकर साह, 13 जनवरी को इसकी मियाद सामप्त हो गई थी इसलिये टाईम की एक्सटें ान लेना बहुत ही जरूरी था। दूसरी बात डा० साहब ने मौसम के अनुकूल होने की कही। मैं इनको बताना चाहता हूं कि वहां पर मौसम आपके अनुकूल कभी नहीं होगा। वहां पर तो मौसम मेरा ही हैं इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन भावों के साथ मैं हाउस से दरख्वास्त करूंगा कि इस बिल को कंसिडर तथा पास किया जाये। (इस समय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

Mr. Speaker: The Hon. Minister has now replied to the discussion on this motion.therafter, normally further discussion is not permitted. However, to accommodate the wishes of the hon. members, I will allow only 2 more members from the opposition to speak.

श्रीमती चन्द्रावती (बाढड़ा): स्पीकर साहब, यह जो दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रेगुले ान एंड डिवैल्पमेंट) अमेंडमेंट बिल

सदन में पे 1 हुआ है मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ी हुई हूँ। स्पीकर साहब, मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि अलग से किसी नगर की नगरपालिका को एक क्लास म्यूनिसिपल कमिटी या कारपोरेट बनाने के लिये कोई बिल लाया जाये, या अमेंडमेंट लाई जाए। यह सारा डुप्लीकेट काम होता है। उनमें जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आप किसी भी नगर की सब्जी मंडी में से नहीं गुजर सकते क्योंकि किसी भी नगर की सब्जी में सफाई नहीं है। सभी मंडियों में सफाई नहीं है। सभी मंडियों में जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जो बड़े बड़े नगर हैं, वे तो प्राइज नगर माने जाते हैं लेकिन उनमें सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। (गोर एवं विघ्न) आप गरीब किसानों की ही जमीन एक्वायर करते हैं बड़े लोगों की जमीन एक्वायर नहीं करते। आपने फरीदाबाद में बड़े बड़े लोगों की जमीन छोड़ दी और गरीब किसानों को जमीन एक्वायर की है। मैं यह बात पहले भी कह चुकी हूँ कि झाड़सैतनी के गरीब किसानों की जमीन एक्वायर की जा रही है। डिवैल्पमेंट का यह मतलब नहीं है कि आप गरीब किसानों की जमीन लें। डिवैल्पमेंट का मतलब यह है कि आप के पास जो चीज है उसी चीज को डिवैल्प करे। स्पीकर साहब, जिला हैडक्वार्टर्ज पर गवर्नरमेंट की जो फेयर प्राइस भाप्स है, उनमें कपड़ा भी होता है, यह कपड़ा गरीब लोगों के काम नहीं आता बल्कि आफिसर्ज लोगों की रजाई और गद्दों में काम में आता है। जितना भी कपड़ा उन फेयर प्राइस भाप्स में जाता है वह जनसाधारण तक नहीं पहुंचता है। (गोर) मैं फरीदाबाद कम्पलैक्स की

बात कर रही हूँ। क्या फरीदाबाद कम्पलैक्स में फेयरप्राइस भाप्स नहीं है ? फरीदाबाद कम्पलैक्स में भी फेयर प्राइस भाप्स होगी। यदि वहाँ पर फेयर प्राइस भाप्स नहीं है तो आप उसको किस चीज का कम्पलैक्स बना रहे हैं। (गोर) स्पीकर साहब, फेयर प्राइस भाप्स में जितना भी कपड़ा जाता है वह बड़े बड़े अफसरों की रजाई और गद्दों के काम में आता है, जन साधारण तक नहीं पहुँचता। स्पीकर साहब, फरीदाबाद कम्पलैक्स में जो 17 गाँव हैं उनकी वही दुर्गति है जो दिल्ली के आस पास के गाँवों की हो रही है? इसलिये मैं कहना चाहती हूँ कि यह बिल उन 17 गाँवों की पंचायत पर लागू नहीं होना चाहिए। स्पीकर साहब, उन गाँवों के किसानों की जमीन टकों के भाव एक्वायर की जायेगी। फरीदाबाद के नजदीक जितने भी गाँव हैं। उनमें सैनेटरी तक की भी सुविधा नहीं दी जा रही है। स्पीकर साहब, फरीदाबाद में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं लेकिन मजदूरों के लिये वहाँ पर कोई अच्छा इंतजाम नहीं किया गया है। फरीदाबाद के नजदीक जितने भी गाँव हैं उनके लिये भी कोई अच्छा इंतजाम सरकार ने नहीं किया है, जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और फैक्ट्रियों का गंदा पानी किसानों की जमीनों में आता है। स्पीकर साहब, सरकार को फरीदाबाद की इंडस्ट्रीज पर पोल्यूशन टैक्स लगाना चाहिए था और उस टैक्स का सारा पैसा वहाँ की गंदगी को साफ करने के काम पर और वहाँ पर जितने मजदूर रहते हैं। उनकी भलाई के काम पर खर्च किया जाना चाहिए था। यदि वहाँ की इंडस्ट्रीज पर पोल्यूशन टैक्स लगाया होता तो मजदूरों की

काफी भलाई हो सकती थी। फरीदाबाद की इंडस्ट्रीज केवल धुआं ही नहीं निकालती है बल्कि उनका जो गंदा पानी बाहर निकलता है उससे भी काफी गंदगी फैलती है। फारीदाबाद में इंडस्ट्रीज का गंदा पानी बाहर निकलने के कारण जगह जगह गंदगी फैली हुई है। एक या दो सैक्टर को छोड़ कर सारे फरीदाबाद में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इन भावों के साथ मैं हाउस से प्रार्थना करूंगी कि जो बिल के जरिये अमेंडमेंट पे 1 की गई है इसे पास न किया जाये।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सेंस हो तो बैठक का टाईम आधे घंटे के लिये बढ़ा दिया जाये?

आवाजें: ठीक है जी, बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: बैठक का टाईम आधे घंटे के लिये बढ़ाया जाता है।

**दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले 1 न एंड डिवैल्पमेंट)
अमेंडमेंट बिल,**

1983 (पुनरारम्भ)

श्री हीरानन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, लोकल बाडीज मिनिस्टर ने जो दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले इन एंड डिवैल्पमेंट) अमेंडमेंट बिल पे किया है, मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, हम पिछले कई सालों से यह देख रहे हैं कि फरीदाबाद कम्पलैक्स के लिये इसी प्रकार की अमेंडमेंट हर साल के आखिर में आ जाती है। पहले आर्डिनैस होता है उसके बाद अमेंडमेंट बिल आ जाता है और उसमें एक साल की मियाद और मांग ली जाती है। अभी तक सरकार यह फैसला नहीं कर पाई है कि फरीदाबाद में कारपोरेट्स का दर्जा देना है। या ए क्लास म्यूनिसिपल कमेटी बनाना है। यदि सरकार को यह फैसला करना ही है तो उसके लिये यह तक कर लिया जाये कि इतने समय में यह काम कर दिया जायेगा। इसके अलावा स्पीकर साहब, इस बिल के एम्ज एंड आबजैक्ट्स में नगरपालिकाओं के चुनावों के बारे में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। जिस प्रकार से मार्किट कमेटीज की बात है, वहाँ इन्होंने चुनाव ही समाप्त कर दिये हैं। वहाँ पर ये अपने आदमियों कानोमिनेट्स करते हैं। जिनको लगाना ठीक समझते हैं, उन्हीं को लगा दिया जाता है। पंचायतों के चुनाव हुए पांच साल हो चुके हैं लेकिन पंचायत समितियों के चुनाव क्यों नहीं करवाती। जिस तरह से ये काम कर रही है उससे पता चलता है कि ये चुनाव पद्धति को समाप्त करने जा रहे हैं। स्पीकर साहब, यह सरकार फरीदाबाद कम्पलैक्स के चुनाव भी नहीं करवा रही। उसके लिये भी अब समय बढ़ा रही है। सरकार चुनाव करवाने की बजाये कमेटीयों के के

जरिए कमजोर लोगो पर अनाप भानाप टैक्स लगा रही है। जिन लोगो के पास रेहड़िया थीं याजो खरादका काम करते थे, उनकी साल की लाईसैंस फीस चार सौ रूपये और साढ़े चार सौ रूपये कर दी है। इसी प्रकार से जो दूसरे छोटे छोटे दुकानदार है उन की लाईसैंस फीस भी बढ़ा दी गई है। सरकार ने म्यूनिसिपल कमेटियों के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखे है लेकिन चुनाव नही करवाये जाते। अगर म्यूनिसिपल कमेटियों के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखे है लेकिन चुनाव नही करवाये जाते। अगर म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव हो जाते है और चुने हुए लोग वहां का काम देखेंगे तो वे लोग टैक्स की अच्छी तरह से वसूली कर सकेंगे। अंत मे सरकार फरीदाबाद कम्पलैक्स मे चुनाव न करवाने का जो बिल लाई है, मैं उसका विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

श्री हरि चन्द्र हुड्डा द्वारा

श्री हरि चन्द्र हुड्डा: स्पीकर साहब, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। मैं आपकी मार्फत वित्त मंत्री कटार सिंह जी को यह बताना चाहता हूं कि मैंने बोलते हुए मांग या ड्रामा कोई नहीं किया। मैंने यह कहा था कि मैंने बोलते हुए सांग या ड्रामा कोई नहीं किया। मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा था कि यह सरकार 35 साल से काम कर रही है।

(गोर) स्पीकर साहब, मैंने तो संविधान का जो आर्टिकल 372 है, उसके बारे में कहा था। (गोर) स्पीकर साहब, मैंने तो संविधान का जो आर्टिकल 372 है, उसके बारे में कहा था। (गोर) मैंने कोई सांग या ड्रामा नहीं किया। (गोर)

दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एंड डिवैल्पमेंट) अमेंडमेंट बिल, 1983 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Now if the hon. Minister wants to reply to the points raised by these hon. Members he may please do so.

स्थानीय भासन राज्य मंत्री (श्री ए०सी०चौधरी): स्पीकर साहब, यहां पर फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एण्ड डिवैल्पमेंट) अमेंडमेंट बिल पर चर्चा चल रही है। इस संबंध में कई साथियों ने अपने विचार किये हैं। आर्य साहब ने बोलते हुए सड़कों का जिक्र कर दिया तो कहीं पर गलियों का जिक्र कर दिया। मैं बड़े अदब के साथ इनको कहूँ कि—

‘हमको है उनसे वफा की उम्मीद,

जो नहीं जानते वफा क्या है।’

स्पीकर साहब, इनको भाहरों की हालत का बिल्कुल नहीं पता। फरीदाबाद के अंदर तो भायद ये कभी नहीं गए

होंगे। ये यहां पर कह रहे थे कि 12 साल से कोई चुनाव नहीं करवाये गये। इनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 10 साल तो एक्ट में ही थे कि कोई इलैक्ट्रान नहीं होंगे। इस संबंध में एक अमेंडमेंट इन लोगों ने खुद की थी। दूसरी बात इन्होंने यह कही थी कि आर्डिनैस पहले करदेते हैं और फिर उसकेबाद बिल ले आते हैं। इस कम्प्लैक्स की टर्म जनवरी में खत्म हो रही थी और मार्च में ही आ रहा था। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके लिये कोई स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए था। मैं इनको फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि फरीदाबाद कम्प्लैक्स की मियाद 13 जनवरी को खत्म हुई है। वहां के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिये मैं सारे हाउस से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को यूनानीमसली पास कर दिया जाये।

Mr. Speaker: Question is—

That this house disapproves the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Ordinance, 1983 (Haryana Ordinance No. 2 of 1983)

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title to be Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister of State for Local Government (Shri A.C. Chaudhri): Sir, I beg to move

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

The motion was carried.

(6) दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टिशनर्स (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 1983

Mr. Speaker: Now a Minister will move his motion for the reconsideration of the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill, 1983

Health Minister (Shrimati Prasanni Devi): Sir, I beg to move—

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

सेठ राम दास धमीजा (अम्बाला छावनी): स्पीकर साहब, इस बिल पर मैंने अमेंडमेंट दी है और अमेंडमेंट देने का मतलब यह है कि हर रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर को रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल के लिए हर साल एडमिनिस्ट्रेशन के जो चक्कर लगाने पड़ेंगे वह न लगाने पड़े इसलिए एक साल की लिमिट को पांच साल के लिए कर दें और पांच साल की इक्वटी फीस जमा करवाई जाए। पांच साल से कम रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो सनदयाफता हकीम और वैद्य है और इसके दूसरी तरफ जो एम.बी.बी.एस. डाक्टर है, इन दोनों को एक ही सतह पर होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है जिसकी वजह से भेदभाव की भावना पनपती है। मैं सरकार से दख्वास्त करूंगा कि इस बात पर विचार किया जाए और एक साल की जो लिमिट रखी है इसको पांच साल के लिए कर दिया जाए ताकि बार-बार रजिस्ट्रेशन के लिए चक्कर न काटने पड़ें और कोई नाजायज फायदा न उठा सके।

श्री राम बिलास भार्मा(महेन्द्रगढ़): स्पीकर साहब, जो बिल मंत्री महोदय ने सदन में पेश किया है, इस पर आपकी अनुमति से मैंने अमेंडमेंट दी थी।

श्री अध्यक्ष: वह तो मैंने रिजैक्ट कर दी थी और उसका जवाब आपको पहुंच गया होगा।

श्री राम बिलास भार्मा: हां जी पहुंच गया है। स्पीकर साहब मैं आपकी मारफत सदन को बताना चाहता हूं कि यह अधिनियम पास होने के बाद करण्डान के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टिसीनर जो देहात में काम करता है और डाक्टर के पास प्रैक्टिस करता है, वह हर साल अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवायेगा और वह भी पहले साल की अवधि समाप्त होने पर एक महीने के अंदर अंदर रिन्यू करवायेगा और अगर नहीं करवायेगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जायेगी। यह तो एक खतरनाक क्लोज दी गई है क्योंकि इससे भ्रष्टाचार के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। गरीब आदमी इससे परेगान होगा। प्रांत की गरीब जनता जो गांवों से बड़े हस्पतालों में नहीं जा सकती, बड़े डाक्टर की फीस अदा नहीं कर सकती, वह बिना दवाई के रह जायेगी। इसलिए मेरी सदन से गुजारि है कि इस बिल को पास न किया जाए। आज हरियाणा का पिछड़ा आदमी बेसहारा है, ज्यादा फीस डाक्टर को अदा नहीं कर सकता इस अमेंडमेंट का असर उस पर पड़ेगा, इसलिए इस बिल को पास न किया जाए।

डा० ओम प्रकाश भार्मा (जगाधरी): स्पीकर साहब, सदन में पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टिसीनरज (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल 1983 पर चर्चा हो रही है। सेठ धमीजा साहब की अमेंडमेंट भी इस बिल पर आई है। स्पीकर साहब, इस बिल में एक गलती का अहतमाल हुआ है, इसको साफ करने के लिए

वाजह करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। स्पीकर साहब, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स की दो कैटेगरीज है, दो जुमले है। एक वे लोग है जो क्वालीफाईड प्रैक्टिशनर्स है, जिन्होंने किसी कालेज से बाकायदा आयुर्वेदिक या यूनानी डिप्लोमा या डिग्री हासिल की है। दूसरे वे लोग है जिनको क्वैक्स कहते है। ये लोग दस दस साल के तजुर्बे के आधार पर रजिस्टर्ड किये गये है। आप इन दोनों कैटेगिरिज को खलतमलत कर रहे है जिससे कन्फ्यूजन पैदा होता है। जो डिग्री होल्डर्स है चाहे ऐलोपैथी के है, एमडी है चाहे एमएस है, इन लोगों पर रिन्यूवल आफ रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है लेकिन यूनानी और आयुर्वेदिक के जो क्वालीफाईड प्रैक्टिशनर्स है उनके ऊपर रिन्यूवल फीस डाल रखी है, जबकि डिग्री होल्डर्स डाक्टरों और आयुर्वेदिक एंड यूनानी के क्वालीफाईड प्रैक्टिशनर्स के अंदर कोई फर्क नहीं है। वे भी बाकायदा डिग्री होल्डर्स है और ये भी डिग्री होल्डर्स है। जब दोनों बराबर है तो आयुर्वेदिक एंड यूनानी के क्वालीफाईड प्रैक्टिशनर्स के अंदर कोई फर्क नहीं है। वे भी बाकायदा डिग्री होल्डर्स है। जब दोनों बराबर है तो आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टिशनर्स के ऊपर रिन्यूवल फीस क्यों डाली जा रही है? यह भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। हमारा जो कांस्टीच्युशन है उसके आर्टिकलज 14, 19 और 22 में फंडामेंटल राइट्स दिये हुए है और इन आर्टिकलज के तहत कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। आप देख ले मेरी बात ठीक है। यहां महकमें के एक्सपर्ट्स बैठे है प्रसन्नी देवी जी तो एक्सपर्ट नहीं है यह ठीक

है कि वे डिपार्टमेंट की मिनिस्टर है। स्पीकर साहब, जहां तक पैथी का ताल्लुक है इलाज का ताल्लुक है इसको देखने के लिए बाकायदा महकमे के अंदर क्वालिफाईड एक्सपर्ट्स रखें गये है। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि इन्होंने इस तरह की गलती कैसे कर दी? उनको चाहिए था कि जो क्वालिफाईड फिजिथियन है चाहे ऐलोपैथी के है चाहे यूनानी एंड आयुर्वेदिक के है उनको एक ही जुमले के बना देते है। वे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है जो यह नहीं जानते कि अनाटमी क्या होती है फिजिओलोजी क्या होती है, जिन को यह इल्म नहीं कि हमारे भारीर के अंदर लिवर का फंक्शन क्या है नर्वस सिस्टम क्या है इन लोगों को महज तजुर्बे के आधार पर दस दस साल के एक्सपीरिंस को देखते हुए रजिस्टर्ड प्रैक्टीशनर बना दिया है। जो लोग कुछ जानते हीनहीं उन्होंने पता नहीं किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा ली हैं। ठीक है उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई वे हमारे भाई है इनको भी रोजगार चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रोजी कमाने की आड़ में लोगों की जान से खेलते रहें। इसलिए इन लोगों के लिए एक छोटा सा कंडैसड कोर्स बना दें जिससे उनको थोड़ा सा भारीर का ज्ञान हो जाए। चाहे यूनानी का प्रैक्टीशनर है चाहे आयुर्वेदिक का है जब तक वह कंडैसड कोर्स को पास नहीं करता तब तक उसकी फरदर रिन्यूवल नहीं होनी चाहिए, यह पाबंदी सरकार को लगा देनी चाहिए। पहले बाकायदा कंडैसड कोर्स को पास कर ले, उसके बाद रिन्यूवल दी जाए। यह सारी कार्यवाही होने के बाद उनको डिप्लोमा होल्डर

के जुमले में ले आये। (घंटी) स्पीकर साहब, मैं एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। इसके अलावा स्पीकर साहब, बिल में हर साल रिन्यूवल के लिए जो प्रोवीजन रखा है, यह पांच साल में एक बार होनी चाहिए और रिन्यूवल फीस नहीं होनी चाहिए। अगर फीस डालनी ही है तो डिस्क्रीमिनेशन होगी। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से लीडर आफ दि हाउस से कहूंगा कि इस बिल में कोई ऐसी गुंजाई रख दें कि अगर कोई आदमी किसी वजह से पांच साल के बाद दो साल तक मतवातर अपनी फीस जमा नहीं करवा पाता, ऐसी सूरत में उसका नाम रजिस्टर से नहीं काटना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई हैं — एक क्वालिफाईड और दूसरे अनक्वालिफाईड की, ये नहीं होनी चाहिए और जो एलोपैथी के क्वालिफाईड डाक्टर हैं, जो सलूक इनके साथ किया जाता है वही ट्रीटमेंट यूनानी और आयुर्वेदिक प्रैक्टिसीज के साथ होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, यह जो हाउस में अमेंडि बिल सरकार लाई है इससे ऐसा लगता है कि जाने या अनजाने में इन लोगों को स्वदेशी उपचार से या उसके तरीके से कुछ नफरत हो गई है। इनको आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा के तरीके नकारद मालूम होते हैं कि आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सकों को तो हर साल रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवानी पड़ेगी

लेकिन एलोपैथिक वालों को नहीं करवानी पड़ेगी। स्पीकर साहब, धमीजा साहब ने अमेंडमेंट दी है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी अपना रजिस्ट्रीकरण पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा सं गौधन) अधिनियम 1983 के प्रारम्भ से दो महीने के भीतर नवीकृत करायेगा और उसके बाद, प्रत्येक पांच वर्ष बाद रजिस्ट्रीकरण की अवधि समाप्त होने पर ऐसी फीस के भुगतान पर रजिस्ट्रीकरण नवीकृत कराया जाएगा, जो विहित की जाये। अब सवाल तो यह है कि चाहे पांच साल का टाईम रखें चाहे दस साल का टाईम रखें लेकिन एलोपैथिक वाले तो रिन्यू नहीं करायेगे और आयुर्वेदिक वाले करायेगे। यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों है ? उनकी सुपीरियर पोजीशन क्यों समझी जाती है ? क्या यह जाने या अनजाने में किया जा रहा है। मुख्य मंत्री जी को इस बारे में गौर करना चाहिए। यह तो गुनाह बे-लज्जित करने वाली बात है। डा. ओमप्रकाश जी ने ठीक सुझाव दिया है, उन्हें कन्डेन्सड कोर्स करवाइये और प्रैक्टिस करने की इजाजत दें। हाउस में जो बिल मूव हुआ है वह रजिस्ट्रेशन के बारे में है। आयुर्वेदिक लोगों के साथ बड़ा हाईट आफ इन जस्टिस है, बड़ी ज्यादाती है। जो लोग रिमोट विलेजिज में बैठे हुए हैं, जिनको हैड क्वार्टर पर आ कर रिन्यू कराने के लिए खर्च करना पड़ेगा और अगर चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रेशन रिन्यू की बात होगी तो और भज ज्यादा लुटाई होगी। सरकार दूसरे तरीके से बचत कर सकती थी। इस बिल को लाने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हम इसे स्ट्रोंगली अपोज करते हैं। यह पास नहीं होना चाहिए।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): स्पीकर साहब, मैं बहिन जी से इस बिल के बारे में प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो सुझाव डा. ओम प्रकाश जी ने दिया है, वह मान लिया जाये। उनकी बात ठीक है दूसरी मेरी राय यह है कि अगर यह बात न मानी जाये तो इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाये और आज इसे वापिस ले लें। अगर पास ही करवाना है तो फीस जमा कराने के बारे में कोई बात नहीं की जानी चाहिए, उसे रिन्यू ही समझा जाना चाहिए। सरकार इसे पास करती है तो आयुर्वेदिक तथा यूनानी लोगों के साथ ज्यादाती हैं। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ और इसे पास नहीं किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी): स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगी कि इस अमैडिंग बिल में कोई खास बात नहीं है। श्री राम बिलास भार्मा, डा. ओम प्रकाश भार्मा तथा डा. मंगल सैन जी ने कुछ बातें कही हैं। इस बिल से किसी गांव में प्रैक्टिस करने वाले को कोई फर्क नहीं होगा। हरियाणा में आज के दिन ऐसा कोई गांव नहीं है जहां सड़क का साधन न हो। दूसरी बात पैसे के बारे में है। उन लोगों से जो पैसा आयेगा वह सरकार के पास जमा नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन फीस का पैसा चाहे प्राइवेट प्रैक्टिसनर से लिया जाये चाहे सरकारी से लिया जाये वह सारा पैसा बोर्ड में ही जमा रहेगा। यह उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो नाजायज फायदा उठाते हैं कई बार किसी की डैथ हो जाती है इसका

कारण यही है कि उन्हें दवाईयों का कोई ज्ञान नहीं होता। जिनको कोई ज्ञान नहीं है वे आदमी आज के दिन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं।

डा. ओम प्रकाश भार्मा: प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब बहिन जी ने अभी अभी कहा है कि जिन रजिस्टर्ड प्रैक्टिसर को कुछ ज्ञान नहीं है, उनके बारे में यह फीस है। क्या फीस लगा कर उन्हें ज्ञान हो जायेगा ? क्यों आप इन्सानी जिन्दगी से खेलना चाहती हैं ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, भायद डाक्टर साहब समझ नहीं पाये हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह फीस कोई लम्बी चौड़ी नहीं है। दस रूपये का मतलब यह है कि महीने में 80 पैसे। यह फीस सरकार के पास नहीं आयेगी, यह बोर्ड को जायेगी, चाहे वह प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डाक्टर से आये चाहे सरकारी डाक्टर से आये। जो फीस आयेगी वह उन्हीं पर खर्च होती है। मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि इस वक्त 16 हजार 680 चिकित्सक रजिस्टर्ड हैं, इनमें से अभी तक 1700 ठीक पाए गए। रिन्यू कराने से यह फायदा हो जायेगा कि जिन्होंने बोगस डिग्रियां ली हुई है या कुछ लोग बोगस डिग्रियां खरीद लेते हैं, उनकी चैकिंग हो जायेगी। डा. मंगल सैन जी ने यह बात भी कही कि मंत्री जी इतनी योग्य नहीं है यानी आयुर्वेदिक के बारे में ज्ञान नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि यह कोई क्राइटेरिया तो नहीं है कि इस महकमे का

इन्चार्ज वही हो जिसे इस बारे में ज्ञान हो। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि मैंने भी आयुर्वेदिक की भास्कर डिग्री ली हुई है। मैं भी इन सारी बातों को जानती हूँ। आपको पता है कि गांवों में जो जुल्म होते हैं, वह किसी से छिपे नहीं। लोग दवाई का पता होने पर इलाज करना भुरु कर देते हैं। इन सारी दिक्कतों को देखते हुए यह बिल लाया गया है धमीजा साहब ने जो अमैडमैड दी है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक साल की बजाय पांच साल आ जाये तो हमें कोई एतराज नहीं। इन भाब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगी कि इस बिल को पास किया जाये।

Mr. Speaker: Question is-

That is the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Speaker: I had received notices of two amendments to this clause from ShriRam Dass Dhamija, M.L.A. I had also received notice from the said hon. Member for the withdrawal of his first amendment, which has been allowed by me. Therefore, the second amendment of the hon. Member will only be deemed to have been read and moved together.

Shri. Ram Dass Dhamija: That for the proposed sub-section (1) of Section 15B of the Bill, the following sub section shall be substituted namely:-

(1) Every registered practitioner shall get his registration renewed within two months of the commencement of the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Act, 1983 and thereafter the registration shall be got renewed after every five years within one months of the expiry of the period of registration, on payment of such fees as may be prescribed.”

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सहमति हो गई तो दस मिनट के लिए बैठक का टाईम बढ़ा दिया जाये।

आवाजें: ठीक हैं, दस मिनट के लिए टाईम बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: बैठक का टाईम दस मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टिस एक्ट (हरियाणा अमेन्डमेंट) बिल, 1983 (पुनरारम्भ)

श्री मंगल सेन (रोहतक): स्पीकर साहब, आदरणीय बहिन जी का जवाब मैंने बड़े गौर से सुना है इन्होंने सदन को यह समझाने की कोशिश की है कि इस संशोधन से और रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने से केवल 80 रुपये महीने का फर्क पड़ेगा कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है। स्पीकर साहब, 80 रुपये ओर दस रुपये का सवाल नहीं है। प्रश्न यह है कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस एक्ट

से तो बोर्ड पैसे चार्ज करेगा लेकिन एलोपेथी पैक्टिस करने वालों को क्यों इन्होंने छोड़ दिया है।

14.00 बजे

श्री अध्यक्ष: यह तो आपने पहले भी कह दिया।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, उन्होंने मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय बार बार यहां पर एम्फैसाईज कर रही थी कि कुछ लोगों ने इन्टरव्यू के आधार पर बोगस रजिस्ट्रेशन करवा ली। उनको वाइप आउट करने का तरीका एक और था जो और लोग बोगस रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उनको हटाने के लिये आप कोई एग्जामिनेशन पास करने की बात कम्पलसरी कर देते तो हम आपकी तो हम आपकी बात को एप्रियेट करते कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो क्योंकि किसी को भी इन्सानों की जिन्दगियों से खेलने की इजाजत नहीं होनी चाहिये। वह तो आप कर नहीं रहे हो स्पीकर साहब, जो आयुर्वेदिक ओर यूनानी प्रैक्टिसनर्स के रजिस्टर्ड लोग हैं उनको 10 रुपये देने पड़ेगे यह सरासर अन्याय है। सरासर पक्षपात है और डिस्क्रिमीनेशन है। स्पीकर साहब, कांस्टीच्यूशन की किताब मेरे पास है। मैं हाउस में उसमें से पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। उसमें आर्टिकल 14 में यह लिखा हुआ है:—

“Equality before law - The State shall not deny.....”

श्री अध्यक्ष: आपका मतलब यह है कि यह डिस्क्रिमीनेशन है। यह आपकी बात समझ आ चुकी है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आप तो पुतैनी वकील हैं, आप तो समझ गये। आपको मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इनको यह समझा रहा हूँ कि कल को अगर इस को चैलेन्ज किया गया, कोई भाई कोर्ट में चला गया और उसने यह कह दिया कि यह तो डिस्क्रिमीनेशन है तो आप को यह बिल रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जायेगा। फिर आपके वकील भागे भागे फिरेंगे। आप बेकार में वकीलों को फीस देते रहोगे इसलिए मेरी सबमिशन मेरी सबमिशन यह है कि इस बिल को विद्वान करके, आपको जो बोगस रजिस्टर्ड लोगों को हटाने का पर्पज है, उसके लिए बिल लायें।

Mr. Speaker: Question is:-

That for the proposed sub-section (1) of section 15B of the Bill, the following sub section shall be substituted, namely:-

(1) Every registered practitioner shall get his registration renewed within two months of the commencement of the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Act, 1983 and thereafter the registration shall be get renewed after every five year one month of the expiry of the period of registration, on payment of such fees as may be prescribed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is:-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of
the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is:-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Home Minister (Smt. Prasanni Devi): Sir, I beg to
move:-

That the Bill, as amended be passed.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Bill, as amended be passed.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Bill, as amended be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 24th March, 1983.

14.03 Hrs.

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 24th March, 1983.)